Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९५८ का ७५वां दिवस [संख्या ४३

शुक्रवार, २५ अप्रेल, १९५८

विधान सभा की बैठक प्रातः ८ बज कर १४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री लक्ष्मीचन्द ।

प्रशासनिक सेवाओं के लिये आवश्यक साक्षात्कार के प्रतिबन्ध का उठाया जाना

१६११. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान न्याय सेवा के लिये साक्षात्कार में पास होना जरूरी नहीं है व राजस्थान प्रशासनिक, पुलिस व अकाउन्ट सेवा में पास होना जरूरी है ? अगर हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

(२) क्या सरकार इन साक्षात्कारों में पास होने का प्रतिबन्ध निकट भविष्य में उठा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) क्या सरकार ऐसे नियम बनाते वक्त आई. ए. एस. के नियमों को मद्दे नज़र रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां । साक्षात्कार में पास होना उनके लिए आवश्यक समझा गया है जिन्हें एग्ज़ीक्यूटिव ड्युटीज़ सम्पादन करनी पड़ती हैं । राजस्थान, पुलिस व अकाउन्ट सेवा के व्यक्तियों का सम्बन्ध एग्ज़ीक्यूटिव ड्युटीज़ से होने के कारण उन्हें साक्षात्कार में पास होना आवश्यक समझा गया । न्याय सेवा के व्यक्तियों को ऐसी कोई ड्यूटीज़ सम्पादन नहीं करनी पड़ती हैं । उन्हें न्याय सम्बन्धी विषयों में ही विशेष तौर पर दक्ष होना आवश्यक है ।

(२) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(३) जी नहीं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मामले में रिवीज़न किया है तब से, और जल्दी ही इस विषय में निर्णय किया जायगा।

श्री तनसिंह : आई. ए. एस. के लिए जरूरी नहीं है कि वे साक्षात्कार में पास किये जायं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, अभी संशोधन किया गया है, उसके अनुसार आवश्यक नहीं है कि वे उसमें पास हों।

प्रश्न संख्या १६१२

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६१३

श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण वर्मा।

सुपरवाईजर, जू जोधपुर

१६१४. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्रीराम पुरुषोत्तम, जू सुपरवाईज़र जोधपुर अपने खर्चे से दो माह के लिये जू की ट्रेनिंग लेने बाहर गये थे?

(ख) क्या वहां के अधिकारी ने उसे सर्टीफिकेट देने से इन्कार कर दिया था?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सी. सी. एफ. के लिखने पर सर्टीफिकेट प्राप्त हुआ?

(घ) यदि हां, तो सर्टीफिकेट न मिलने का क्या कारण था?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सर्टीफिकेट देने या न देने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि यह कोई रेग्यूलर ट्रेनिंग नहीं थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १६१५

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

न्यायालय एक्सट्रा मजिस्ट्रेट, कोटा

१६१६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा की एक्सट्रा मजिस्ट्रेटी में किन किन तहसीलों का कार्य सम्पादन होता है?

(ख) उक्त तहसीलें कोटा से कितनी दूरी पर स्थित हैं?

(ग) क्या सरकार मार्गाभाव के कष्टों तथा जनता के अनावश्यक व्यय को ध्यान में रखते हुए इन तहसीलों के ही मध्य के किसी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उचित स्थान पर इस कोर्ट को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) कोटा में अब इस नाम का कोई कोर्ट नहीं है। वहां असिसटेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के दो कोर्टस हैं। कोर्ट नं० २ तथा कोर्ट नं० ४। कोर्ट नं० २ में कोटा सिटी के मुकदमों का काम होता है तथा कोर्ट नं० ४ के इटावा तथा पीपलदा तहसीलों का और सब तहसील इन्दरगढ़ का रेवेन्यू एवं क्रिमनल मुकदमात का काम होता है।

(ख) कोटा से इटावा ४८ मील, पीपलदा ५५ मील तथा इन्दरगढ़ ५० मील दूर हैं।

(ग) जी नहीं, क्योंकि ऐसा करना असंभव है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि जनता की सुविधा के लिए उन न्यायालय को, जो किसी तहसील के लिए आवश्यक है, उन तहसीलों में स्थानान्तरित कर दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां और भी विशेष असुविधायें हैं, मकान की असुविधा है और लोग डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में आने में सुविधा अनुभव करते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जहां तक भवन का सम्बन्ध है, उधर छोटी छोटी रियासतें थीं, उनके काफी भवन पड़े हुए हैं, इसलिए भवन की असुविधा नहीं हो सकती। केवल प्रशासनिक दृष्टि से असुविधा दी जाय, तो यह अच्छा नहीं होगा, इससे जनता को लाभ नहीं होगा। जब कि हम चाहते हैं कि जनता को सस्ता न्याय दिया जाय। इसलिए वहां स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : ठीक है, लेकिन प्रेक्टिकल दिखाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

ए० सी० सी कम्पनी, लाखेरी द्वारा मेज नदी पर बनाया गया बांध

१६१७. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ए. सी. सी. कम्पनी, लाखेरी (ज़िला बूंदी) द्वारा पाटन लाखेरी रोड पर नया गांव के पास मेज नदी पर बांध बनाकर पानी रोका हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बांध के ऊपर होकर जाने के अलावा मोटर ट्रक या किसानों की बैलगाड़ियों के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस बांध की चौड़ाई इतनी कम है जिससे इसके ऊपर से जाने वाले बैलगाड़ियों के बैल कई बार नदी में गिर गये हैं ?

(४) क्या सरकार यह उचित समझती है कि किसानों व आम जनता के दुःख को मिटाने के लिए बांध को तुड़वा दिया जावे ?

(५) यदि नहीं, तो सरकार किस प्रकार इस तकलीफ को मिटाना चाहती है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखा भाई) : (१) जी हां।

(श्री भीखा भाई)

(२) इस विभाग की सूचना के अनुसार अन्य मार्ग मौजूद होना पाया जाता है।

(३) यह सही है कि बांध की चौड़ाई कम है। बैल इत्यादि गिरने की सूचना इस विभाग में नहीं है।

(४) बांध तुड़वाना ठीक नहीं मालूम होता अलबत्ता ए. सी. सी. कम्पनी से बांध (टोप) चौड़ा कराने के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की जा सकती है।

(५) उत्तर ऊपर आ चुका है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब ए. सी. सी. कम्पनी को बांध से फायदा है, तब वह टोप को चौड़ा क्यों नहीं करती, कब तक चौड़ा कर देगी ?

श्री भीखाभाई : इस बांध का ताल्लुक सरकार से नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि उस पर से बैलगाड़ियां निकलती हैं वे अक्सर पानी में गिर जाया करती हैं ?

श्री भीखा भाई : जानकारी नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या यह सही नहीं है कि बैलगाड़ियों को नहीं लेजा सकते इसलिए आदमी गाड़ी खींच कर ले जाते हैं ? और ए. सी. सी. कम्पनी परवाह नहीं करती।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है कि रास्ता तंग है। हमने कम्पनी को कह दिया है कि चौड़ा कराये। यह प्राइवेट बांध है, सरकारी बांध है नहीं। हम उनको कह सकते हैं कि थोड़ा चौड़ा करायें।

श्री अध्यक्ष : यह सरकारी ज़मीन है या निजी सम्पत्ति पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इर्रिगेशन लिस्ट पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ज़मीन किसकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मोस्ट प्राबेबली स्टेट की है।

श्री अध्यक्ष : तब तो उस पर ही डिपेन्ड करता है कि यह बांध प्राइवेट है या सरकारी है।

श्री रामकिशोर व्यास : कैसे बना, इसकी सूचना नहीं है, है प्राइवेट ही।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि जब बांध बनाया गया, उस समय सरकार से पर्मीशन नहीं ली कम्पनी ने ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन नहीं कर सकता कि उस वक्त पर्मीशन ली या नहीं। यह पुरानी बात है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सरकार अलाऊ करेगी अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति नदी पर बांध बना ले ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बांध पहले का बना हुआ है।

श्री भंवरलाल : क्या यह सही है कि अगर कम्पनी ने मना कर दिया कि नहीं

(श्री भंवरलाल)

करते, तो कौन चौड़ा करेगा ? किसानों की तकलीफ कौन मिटायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : कन्डीशनल बात क्यों करें।

प्रश्न संख्या १६१८

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६१९

श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

सड़क निर्माण, भरतपुर

१६२०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर ज़िले की निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कब हुआ था :—

(क) बयाना से वैर भुसावर होकर छोकर वाड़ा।

(ख) नदवई से जयपुर रोड़।

(ग) कामां से पहाड़ी।

(घ) भरतपुर से उच्चैन।

(२) बनने के पश्चात् उनकी मरम्मत हुये अब कितने दिन हो चुके ?

(३] अब वे पृथक पृथक किस दशा में हैं ?

(४) क्या उनकी हाल में ही मरम्मत किये जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) बयाना से भुसावर सड़क बहुत पुरानी बनी हुई है। भुसावर से छोकरवाड़ा सड़क सन् ५४–५५ में।

(ख) सन् १९५२ में।

(ग) पुरानी बनी हुई है।

(घ) पुरानी बनी हुई है।

(२) आवश्यक मरम्मत उपलब्ध धनराशि के अनुसार होती रहती है।

(३) भुसावर छोकरवाड़ा की सड़क को छोड़ कर बाकी की हालत विशेष अच्छी नहीं है।

(४) सड़क क्रम संख्या क, ग तथा घ पर मरम्मत का काम चालू है। बाकी वैर भुसावर होकर छोकर वाड़ा तथा नदवई से जयपुर रोड़ पर मरम्मत होने की इस वर्ष आशा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या बयाना से छोकरवाड़ा की सड़क की हालत दूसरी सड़कों के मुकाबिले में उतनी ज्यादा खराब नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी सड़कों से कुछ अच्छी है।

श्री पी. के. चौधरी : इन सड़कों की मरम्मत कौन कौन से सन् में हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आवश्यकतानुसार होती ही रहती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि केवल मिट्टी ही बिछाते हैं, इसके अलावा मरम्मत १० साल से नहीं हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मिट्टी बिछाना भी मरम्मत का काम है। अब डामर का काम चालू होगा, रोड रोलर से कंकरी जमाई जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

कपड़ा मिल्स, भीलवाड़ा

१६२१. श्री जगदीश प्रसाद माथुर, (सीकर) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भीलवाड़े की कपड़े की मिल में मक्की का वलैडर कपड़ों पर चढ़ाया जाता है ?

(ख) देश में वर्तमान में खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए क्या सरकार इस ओर विचार नहीं कर रही है कि मक्की का उपयोग इस कार्य में रोका जावे तथा कोई-दूसरा पदार्थ प्रयोग में लाया जावे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) हां।

(ख) यह प्रश्न भारत सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है। अतः राजस्थान सरकार इस पर विचार करने के लिये असमर्थ है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : राजस्थान में बार बार खाद्यान्नों का अकाल पड़ता है तो इसके लिये अन्वेषण क्यों नहीं करती राजस्थान सरकार ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जो कुछ इसका (ख) में उत्तर दे चुका, स्पष्ट है, इस मामले में हम कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के दौसा लालसोट मार्ग पर स्थित भवन के लिये विद्युत की उपलब्धि हेतु किया गया व्यय

१६२२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री को उनकी कोठी तक जो दौसा लालसोट के रास्ते पर है बिजली उपलब्ध की है ?

(२) क्या वह निजी खर्चे से दी गई थी ?

(३) अगर हां, तो उसमें कितना खर्चा हुआ ? क्या रकम वसूल हो गई ? अगर हां, तो कितनी और कब, अगर नहीं, तो क्यों ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) :
(१) जी हां।

(२) जी हां, निजी खर्चे से दी गई थी।

(३) बिजली के कनेक्शन लेने के लिये उपभोक्ता के कुल २०५ रु० खर्च हुए।

Page No.7

(श्री भीखाभाई)

यह रुपये दिनांक १२-५-५४ को उपभोक्ता द्वारा जमा करा दिये गये थे।

श्री पी. के. चौधरी : यह बिजली का कनेक्शन कब दिया गया था ?

श्री भीखाभाई : ५४ में, बताया न।

श्री पी० के० चौधरी : मन्त्री का सवाल नहीं, कन्ज्युमर का सवाल है, कन्ज्युमर की हैसियत से उन्होंने एप्लाई किया और कनेक्शन दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटा जयपुर बस सर्विस

१६२३. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा से जयपुर तक सीधी बस सर्विस चालू न होने से आवागमन में जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही हैं ?

(ख) यदि हां, तो जनता की इस दुविधा को दूर करने के सम्बन्ध में अब सरकार क्या कदम उठा रही है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) हां।

(ख) मामला एस. टी. ए. के विचाराधीन है और लॉ डिपार्टमेंट की राय मांगी गई है।

एक माननीय सदस्य : विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उचित समय तक।

एक माननीय सदस्य : क्या उचित समय ५ साल तक का हो सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इसे उचित ख्याल करें तो हो सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : इसमें विचारणीय बात क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां इसमें विचारणीय बात है, कानूनी डिफिकल्टी है कि एस. पी. ए. पर्मिट दे या आर. टी. ए. दे।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि कोटा जयपुर रूट को गवर्नमेंट नेशनेलाइज़ करने की सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

एक माननीय सदस्य : लॉ डिपार्टमेंट को कौन सी तारीख को लिखा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

विकास कार्य तहसील कोटपुतली

१६२४. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटपुतली तहसील में इस

Page No.8

(श्री रामकरणसिंह)

वर्ष कोई विकास कार्य करने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो क्या और उसे कब आरम्भ किया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों इस तहसील को विकास कार्य से वंचित रखा जाता है ?

(घ) राजस्थान बनने के बाद से क्या क्या विकास कार्य इस तहसील में किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में व्यय की जाने वाली धन राशि का बंटवारा ज़िलेवार अथवा तहसीलवार न किया जा कर सैक्टर वार किया गया है । अतः तहसीलवार सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : मेरे प्रश्न में साफ़ पूछा है कि क्या कोटपुतली तहसील में इस वर्ष कोई विकास कार्य करने की योजना है ? तो इसके आंकड़े तो मिल सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि विकास कार्यों को तहसीलवाइज़ डिवाइड नहीं किया है । इस वर्ष के बजट में सब दिया हुआ है, उससे मालूम कर सकते हैं ।

श्री रामकरणसिंह : (घ) ये पूछा गया है कि राजस्थान बनने के बाद से क्या क्या विकास कार्य इस तहसील में किये गये । इसका क्या जवाब है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अर्ज किया कि तहसीलवाइज़ आंकड़े नहीं हैं ।

श्री रामकरणसिंह : तहसील में अब तक कार्य हुआ उसका रेकार्ड तो मिल सकता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विकास कार्य तहसीलवाइज़ नहीं बांटे हुए हैं, सेक्टर वाइज़ हैं, इससे तहसीलवाइज़ कन्फर्मेशन कलेक्ट करने का सवाल है जो बहुत मुश्किल काम है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : विकास विभाग की ओर से इस तहसील में जो कार्य किया गया वह तो विकास विभाग में उपलब्ध है ।

श्री अध्यक्ष : तहसीलवाइज़ रेकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि इस तहसील में राजस्थान बनने के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका मतलब यह नहीं । एक तहसील में सड़क बनती है तो उस तहसील का ही नहीं टोटल रोड का खर्चा गिना जाता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार विकास कार्यों में तहसीलों को इकाई मान कर चलने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सरदारसिंह ।

हैंड लूम फैक्टरीज़

१६८५. रावराजा श्री सरदारसिंह,

Page No.9

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(उनियारा) ; क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में हैन्ड लूम फैक्टरीज़ कितनी और कहां २ पर हैं ?

(ख) उक्त फैक्टरीज़ में अब तक पिछले ५ साल में कितना कितना कपड़ा बनाया गया ?

(ग) टौंक डिस्ट्रिक्ट में कितनी हैंडलूम फैक्टरीज़ हैं और उसमें कितनी चालू हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) और (ख), यह सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(ग) टौंक डिस्ट्रिक्ट में कोई हैन्डलूम फैक्टरी नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची तो मुझे नहीं मिली है । खैर । टौंक डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री नहीं होने के क्या कारण हैं, क्या वहां जुलाहे नहीं हैं या कपड़ा नहीं बनता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जुलाहे तो कई जगह हैं पर फैक्ट्रीज़ सब जगह नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : ये तो प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टौंक कितनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है यह आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं है ।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : अगर माननीय सदस्य अर्जी लिख कर दें तो क्या इस कमी की पूर्ति कर देंगे ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विचार किया जा सकता है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या हैन्डलूम की जगह पावर-लूम मंगाने के लिये मांग की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि हैंडलूम को पॉवरलूम में कन्वर्ट करने की योजना नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : है, पर आम तौर से आशा की जाती है कि म्युनिसिपल एरिया के बाहर हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

जागीरदार द्वारा सार्वजनिक कुए से पानी लेने पर लगाया गया प्रतिबन्ध

१६२६. श्री किशनाराम, (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रतनगढ़ के तहसील ग्राम जैगणिया बीकान में एक सार्वजनिक कुआं बना हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि जैगणियां बीकान के जागीरदार के लड़के कुंवर सूरजमालसिंह ने अपने विरोधी बीसों परिवारों को

Page No.10

(श्री किशनाराम)

कई बार इस कुएं से पानी भरने से रोक दिया और उन्हें आतंकित कर के दूसरे गांवों से पानी लाने के लिये बाध्य किया ?

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच के लिये स्पेशल अधिकारी नियुक्त करने एवं प्रत्येक ग्रामवासी को उस कुएं से पानी लेने की शीघ्र व्यवस्था कराने के लिये तैयार है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों, व हां, तो कब तक ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशनाराम : यह जांच कब की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कब कहा कि जांच की गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री किशनाराम : रतनगढ़ एस. डी. एम. की अदालत में शिकायत की गई।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है। नेक्स्ट।

श्री शंकरलाल : प्रश्न संख्या १६२७।

श्री नाथूराम मिर्धा : (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) :

(क) जी हां....

श्री श्रीभानसिंह : वे अभी सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं कि रतनगढ़ के एस. डी. एम. के पास शिकायत की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो नेक्स्ट कहने पर जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या और पूछना चाहते हैं ?

श्री किशनाराम : एस.डी. एम. रतनगढ़ की अदालत में शिकायत की है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, ने कहा है कि जानकारी नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : जानकारी दी है तो क्या इसकी जांच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जो जानकारी दी है, उसके बारे में सत्य है कि नहीं यह जानकारी करके कहेंगे।

श्री पी.के. चौधरी : मन्त्री महोदय ने नहीं कहा है कि जानकारी करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की गई है एस.डी.एम. के यहां मुकदमा जेर तजवीज है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : रिपोर्ट की पर फाड़ कर फेंक दी गई।

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपकी जानकारी की बात है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप जांच करेंगे कि नहीं कि रिपोर्ट दी पर फाड़ दी गई।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि आप सूचना देंगे कि फलां आदमी ने फलां अधिकारी को दी और उसने फाड़ कर फेंक दी तो जांच की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सड़क निर्माण

१६२७. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली ज़िले में रायपुर तहसील केन्द्र से आम सड़क तक अप्रोच रोड की स्वीकृति सरकार द्वारा हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब तक हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) योजनानुसार वर्ष ६०-६१ में।

श्री शंकरलाल : इस पर कितना रुपया व्यय होगा और कितनी लम्बी सड़क बनेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २,४३,००० रुपया और अब की साल १०००० रुपया है ६०-६१ में पूरी होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पुरुषोत्तम लाल।

महाराजा मिडिल स्कूल, किशनगढ़

१६२८. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि किशनगढ़ स्थित महाराजा मिडिल स्कूल में बरसात में छत से पानी गिरता है, छत गिरने का अन्देशा बना रहता है और लड़कों को इस डर से छुट्टी दे दी जाती है ?

(२) अगर हां, तो कितने साल से ऐसा चल रहा है और इस इमारत को, दुरुस्त क्यों नहीं कराया जाता ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (१) जी हां, यह सही है कि महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ की इमारत में वर्षा में छत से पानी टपकता था परन्तु इस डर से कि छत गिर जावेगी छुट्टी नहीं दी गई, बल्कि लड़कों को दूसरे कमरों में बदल दिया जाता था।

(२) स्कूल की ओर से इस विषय में सूचना मिलते ही पी.डब्लू.डी. की मार्फत जनवरी, ५८ में छत की मरम्मत करा दी गई है, अब छत से पानी टपकने का अन्देशा नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अभी अभी दरवाजा गिरने का पूरा पूरा अन्देशा है। आपने देखा नहीं, मेरे मकान के पास ही है। उस स्कूल का दरवाजा गिरनेवाला है।

Page No.12

श्री अध्यक्ष : पहले तो छत से पानी गिरने का प्रश्न था अब दरवाजा गिरने का आ गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने छत के लिये प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या अब उस पर गौर किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां।

श्री पी. के. चौधरी : क्या जब पी. ड. ब्ल्यू. डी. वाले बिल्डिंग देखने के लिये जाते हैं तो दरवाजे पर नज़र नहीं डालते ?

श्री अध्यक्ष : यहां पर जानकारी छत की चाही गई है न कि दरवाजे की।

नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ठीक समय पर वेतन का न मिलना

१६२६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या लालसोट स्थित प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन ठीक समय पर दिया जाता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार इस विषय में समुचित व्यवस्था करेगी।

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां, साधारणतया ठीक समय पर ही दिया जाता है किन्तु कभी कभी किन्हीं खास कारणों से देरी हो जाती है जैसे बीमा पॉलिसी के नम्बरों का न होना, अध्यापकों द्वारा पद ग्रहण करने की रिपोर्ट देरी से देना, इत्यादि।

(ख) इसका उत्तर प्रश्न भाग (क) के उत्तर में दिया जा चुका है।

(ग) जी हां, जहां तक हो सकता है ठीक समय पर वेतन वितरण करने की व्यवस्था की जाती है।

(घ) देहातों के अध्यापकों को शीघ्र वेतन दिलाने हेतु यह योजना बनायी गई है कि अध्यापकों का चुकारा मनी ऑर्डर द्वारा किया जावे। यह योजना कई स्थानों में कार्यान्वित कर दी गई है और धीरे धीरे समस्त ज़िलों के अध्यापकों को मनीऑर्डर द्वारा वेतन का चुकारा करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मनीऑर्डर का खर्चा किसका लगेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ही भुगतेगी।

श्री पी. के. चौधरी : आपने बताया कि देरी होने का कारण अध्यापकों के बीमा के नम्बर का न होना आदि है। क्या सेलेरी-बिल में ये नम्बर अध्यापक डालते हैं या क्लर्क डालता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे ख्याल से अध्यापक खुद डालते होंगे।

श्री पी. के. चौधरी : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्राईमरी स्कूल के मास्टर खुद अपने नम्बर नहीं डालते बीमा के, सेलेरी बिल क्लर्क ही डालता है।

श्री अध्यक्ष : आप एग्जामिनेशन ले रहे थे क्या ?

श्री पी. के. चौधरी : प्राईमरी स्कूलों को वेतन देने का तरीका क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

बिजलीघर, बीकानेर

१६३०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : बीकानेर रोशनी घर में जो अन्तिम टरबाइन लगाया गया उससे अब तक कुल कितने किलोवाट बिजली उत्पादित की गई और कितने घंटे वह चला ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : १-६-१९५७ तक इस सैट ने ५४, ७६, २६५ युनिट बिजली उत्पादित की तथा वह ३, १२८ घंटे चलाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : एक नया टर्बाइन कितने घन्टे ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी लाइफ २५ साल की होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उसको २५ साल से ज्यादा हो गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सन् १९१५ का मेन्युफेक्चर्ड है। जब लगा था उस समय नया नहीं था।

श्री मुरलीधर व्यास : जब ऐसी हालत है तो उसकी सहायता के लिये दूसरा टर्बाइन क्यों नहीं लगाया गया जिससे की वह आसानी से चल सके। क्या इस प्रकार के प्रयत्न किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : किये ही जा रहे हैं, भाखरा वाले।

श्री मुरलीधर व्यास : बिजली से पानी की व्यवस्था होती है। इसलिये जब उसको २५ साल से अधिक समय हो जाता है तो उससे आधे किलोवाट के पॉवर का टर्बाइन लगाना चाहिये था जिससे की व्यवस्था ठीक रह सके, क्या ऐसा किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : लड़ाई की वज़ह से उस ज़माने में जब कि ओल्ड स्टेट्स थी उस समय टर्बाइन एवेलेबल नहीं थे अभी भी नये सेट एवेलेबल नहीं है क्योंकि फॉरन एक्सचेन्ज की डिफिकल्टीज़ हैं, वरना हम तो खुद बहुत इस मामले में उत्सुक हैं।

एक माननीय सदस्य : इस विषय में टार्बाइन इन्सपेक्टर की क्या रिपोर्ट है ?

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर बिजली पर ही पानी निर्भर है और लोगों का जीवन भी पानी पर निर्भर है। जब एक खराब हो जावे, तो दूसरे इंजिन के लिये, कोई ऑइल इंजिन के लिये सोचा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये व्यवस्था तो है। एक खराब हो जाता है तो दूसरा चलाया जाता है और तब तक वह ठीक हो जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां से ऑइल

(श्री मुरलीधर व्यास)

इंजिन था, वह क्यों हटाया गया ? जब वहां पर इस प्रकार की स्थिति है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां पर भेजा भी गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां से हटा लिया गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : ज्यादा बड़ा भेज दिया था ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार को यह मालूम हैं कि बिजली की बजह से पानी की बहुत कमी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : टर्बाइन इन्स्पेक्टर की क्या रिपोर्ट है ?

श्री रामकिशोर व्यास : टर्बाइन ठीक तरह से काम कर रहा है । बीच में खराब हो जाता है तो ठीक हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब ऑइल इन्स्पेक्टर से है ?

एक माननीय सदस्य : टर्बाइन इन्स्पेक्टर भी होता है ।

श्री अध्यक्ष : यह आप जानकारी दे रहे हैं । नेक्स्ट, श्री बृजेन्द्रपाल ।

मंडरायल मांगरोल सड़क

१६३१. **श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि मंडरायल मांगरोल सड़क के ठेके के टेन्डर्स अभी तक नहीं लिये गये हैं. ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सही नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : ये टेन्डर्स कब मांगे गये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी थोड़े दिन पहले । बनवारीलाल नाम है और ३ लाख ३६० रुपया में, और काम अभी शुरू हो जावेगा ।

श्री पी. के. चौधरी : सैक्शन कब हुई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख तो मेरे पास नहीं है । मैंने आपको नाम बता दिया है ।

श्री पी.के. चौधरी : When did you sanction the work ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एलाइनमेंट का सवाल पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से सैक्शन आती है । हमारे यहां से हमने ठेका कर दिया है । काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन आते ही शुरू कर दिया जावेगा ।

प्रश्न संख्या १६३२

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल

(अनुपस्थित)

श्री पी.के. चौधरी ।

डिप्टी सुपरिण्टेन्डेन्ट्स को पदच्युत करना

१६३३. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state:—Is it correct that some time back 21 experienced and able Deputy Superintendents were demoted to accommodate 21 new comers ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : It is correct that 21 officiating Dy. S. P. s were reverted to their substantive rank of Inspectors of Police to make room for 21 R. P. S. probationers who were directly recruited and have completed two years training on 31st December, 1957.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that these officiating Dy. S, P. s who were reverted, have got good recommendations on their service books regarding the period for which they worked as Dy. S. P. s ?

श्री रामकिशोर व्यास : They may have got good recommendations, I do not deny it.

श्री पी. के. चौधरी : Then what are the reasons that they have been reverted to accommodate the new comers.

श्री रामकिशोर व्यास : That I have already explained. Under the rules we directly recruit a certain percentage by competitive examinations. They came up successful, they were traind and they were to be provided and those who were officiating they were reverted.

श्री श्रीभानसिंह : Is it a fact that all the 21 Dy. S. P. s have not been reverted: that some of them, after having been reverted, have been reinstated ?

श्री रामकिशोर व्यास : If there were any temporary vacancies subsequently, some might have been promoted.

श्री श्रीभानसिंह : In reinstating them, has the Government taken seniority and length of service and their service record into consideration

श्री रामकिशोर व्यास : Yes.

श्री श्रीभानसिंह : And if in some cases they have not been taken into consideration, is the Government prepared to reconsider their claims ?

श्री रामकिशोर व्यास : A list is prepared by a Committee and according to that list the persons are given the chance.

श्री पी. के. चौधरी : Does the Government realise that the manner in which the persons who have commendable service as Dy. S. P. s, if they are reverted in this manner, it might kill their incentive for showing better work ?

श्री रामकिशोर व्यास : We have no alternative except to follow the rules.

श्री श्रीभानसिंह : When was this list prepared ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is prepared every year by the Committee.

श्री पी० के० चौधरी : What proposals the Government have for creating incentive in their personnel ?

प्रश्न संख्या १६३४

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६३५

श्री सोहनलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

गंगकेनाल

१६३६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) गंगनहर बीकानेर में कितने क्युसेक्स पानी की केपेसिटी है ?

(१) जनवरी, फरवरी तथा मार्च सन् ५८ में कितने क्युसेक्स पानी बहता रहा है ?

(३) गंग नहर में पानी कम आने का क्या कारण है ?

(४) क्या पानी के कम आने से गंग नहर के आस पास की फसल को भारी क्षति हो रही है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) गंगनहर में २७२० क्युसेक्स पानी की केपेसिटी है ।

(२) जनवरी, फरवरी तथा मार्च में जितने क्युसेक्स पानी बहता रहा है उसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(३) गंग नहर का पानी सतलज नदी पर निर्भर है और अपने हिस्से के अनुसार पानी मिल रहा है ।

(४) मार्च में सतलज में पानी कम होने के कारण हमारे हिस्से में कम पानी आया परन्तु उसके कारण फसलों को कोई भारी क्षति नहीं हुई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार ने इस बारे में जांच कराई है, क्या पहले से कोई क्षति नहीं हुई है ?

श्री भीखाभाई : ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आयी नहीं, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चुन्नीलाल : क्या यह सही है कि वहां पानी बराबर न मिलने से फसल को बहुत क्षति हुई ।

श्री भीखाभाई : यह आप जानकारी दे रहे हैं ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह सही है जब सदन के सदस्य लोग राजस्थान नहर के उद्घाटन के सिलसिले में गये थे तो वहां के लोगों ने गेहूं की बालियां तोड़कर बतायी थी कि पानी की कमी के कारण ये सूख गई हैं ?

Page No.17

श्री भीखाभाई : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सारे इस में बैठे हुए सदस्यों को बतायी थी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या आप के पास इस प्रकार की शिकायत आयी क्या कि गंग नहर में अन्य सालों की अपेक्षा इस साल कम पानी आया।

श्री भीखाभाई : यह मैंने उत्तर में निवेदन किया मार्च में सतलज में पानी कम होने के कारण हमारे हिस्से में कम पानी आया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या पानी के कम मिलने की वज़ह से फसल को नुकसान हुआ?

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री चुन्नीलाल : क्या यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में है कि प्रतिनिधि मंडल गंगानगर से आया और उनसे निवेदन किया कि पानी की कम सप्लाई की वज़ह से अनाज की फसल खराब हो रही है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो हमने माना है कि मार्च के महीने में पानी कम आया लेकिन उससे खास डेमेज नहीं हुआ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इसकी सरकार ने जांच करवाई है क्या?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच तो की जाती है।

सड़क निर्माण, जिला भीलवाड़ा

१६३७. **श्रीजयसिंह राणावत** (आसींद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (क) भीलवाड़ा ज़िले में भीलवाड़ा से कांकरोली सड़क भीलवाड़ा से बीगोद सड़क और मांडल से नसीराबाद सड़क को डामर रोड बनाने के लिये कोई डामर के ढोल और कंकरीट सड़क के आसपास जगह जगह एकत्रित किये गये हैं?

(ख) यदि हां तो कब से कितनी किमत की दोनों चीज़ें वहां डाली गई हैं?

(ग) क्या सरकार को पता है स्थानीय एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर की लापरवाही से सैंकड़ों ढोल फूट कर और कांकरीट आसपास बिखर कर हजारों रुपयों का नुकसान सरकार को हो चुका है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां कहीं कहीं।

(ख) कुछ माल सन् १९५६-५७ में कुछ १९५७-५८ में और कुछ जगह कार्य चालू है अभी तक लगभग निम्न कीमत का माल इकट्ठा किया गया है।

	मिट्टी	डामर
भीलवाड़ा-कांकरोली	२७०० रु.	१३६५० रु.
भीलवाड़ा-बीगोद	२७०० रु.	५१०० रु.
मांडल-नसीराबाद	२१४०० रु.	७८८८० रु.

(ग) आवश्यक हिफाज़त की जा रही है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ।

Page No.18

श्री जयसिंह राणावत : मैं माननीय मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं कि मैंने मौके पर जाकर देखा है, हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है, डामर ढोल फट रहे हैं स्थानीय अफसरों को सूचना देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस जगह ढोल फट रहे हैं ? अक्सर ऐसा भी होता है कि गरमी के दिनों में डामर लीक करने लग जाता है इसके अलावा यह भी है कि चरवाहा लोग होते हैं। वे भी ढोल को फोड़ डालते हैं, हर एक ढोल के पास निगरानी के लिए आदमी तो रह नहीं सकता । अगर विशेष तौर से विशेष जगह के लिए बतायें तो जांच पड़ताल की जा सकती है ।

श्री जयसिंह : मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूँ। जो सड़क भीलवाड़ा से सगनेर जाती है उस सड़क पर काफी ढोल फूटे पड़े हैं। आफिसरों को सूचना दी, उन्होंने किसी प्रकार की कार्यवाही नही की ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास जो सूचना आयी है वह मैंने बता दी उसके अनुसार कोई इस प्रकार का नुकसान नहीं हुआ । खास तौर से गर्मी के दिनों में डामर के जो ढोल होते हैं वे लीक करने लग जाते हैं ।

श्री जयसिंह : मैं जो आपको सूचना दे रहा हूं, हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है इसको साबित करने के लिए भी तैयार हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सूचना आपको कब दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास जवाब आया है, दो-चार दिन पहले का होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको जब यह कहा जा रहा है कि वहां पचासों ढोल फूटे पड़े हैं तो क्या आप इस बात की छानबीन करवायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि आपने कहा भीलवाड़ा से निकलते ही डामर ड्रम्स फूटे पड़े हैं यह जो जानकारी दी है उसके आधार पर जानकारी करवा लूंगा । यह भी ठीक हो सकता है डामर के ड्रम फूट जाने पर भी जो डामर निकलता है वह सड़क पर ही रहता है तो उसको काम में लिया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं होती रेत में घुल मिल जाता है तो जरूर नुकसान है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल तो यह है कि ढोल फूटे हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मैंने माना है ढोल फूट सकते हैं लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास : उस जगह ढोल फूटे हैं या नहीं इसका जवाब नहीं दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में डामर के ढोलों में अपने आप भी लिकेज होने लग जाता है । इसके अलावा चरावाह लोग जो होते हैं वे भी फोड़ देते हैं । इसके अलावा ढोल तो सब जगह बिखरे हुए हैं हरएक ढोल के पास आदमी तो तैनात नहीं कर सकते उसके हिफाज़त के लिए इनकी गेंगमैन देखरेख करते हैं । अगर ज्यादा ढोल फूटे हुए मिलेंगे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसमें यदि किसी की नेगलीजेन्स पायी जायगी तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री जयसिंह : नेग्लीजेन्स को साबित कराने के लिए भी तैयार हूँ।

पारोली बीड़

१६३८. श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : Will the Forest Minister please reply:-

(1) What was the area of Paroli Beed land given to Shri Yeshpal Anangpal Shukla of Jaipur and on what conditions?

(2) Were these conditions fulfilled? If not, what action has been taken?

(3) Is it a fact that they have unauthoritatively taken possession of 700 bighas of Beed land?

(4) What action has been taken against them uptil now? If not, why?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(1) 310 Bighas. It was allotted on the condition given in the Revenue Department Notification No. F. 3 (132) Rev. B/51 dated 15. 3.1959, under Grow More Food Scheme.

(2) These conditions have not yet been fulfilled. He has been given notice as to why the allotment may not be cancelled.

(3) Yes. He has unauthorisedly taken possession of about 312 bighas of land.

(4) Notice has already been given to him.

श्री तेजमल बापना : यह अनिधिकृत रूप से कब से कब्जे में है इसके लिये क्यों नहीं कार्यवाही की गई?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो साल का नियम है, दो साल तक कल्टीवेशन में रहनी चाहिये। दो साल निकल गये, नोटिस दे दिया गया है।

श्री तेजमल बापना : सन् १९५१ में ज़मीन दी गई थी, दो साल ५३ में खत्म हो जाते हैं। आज १९५८ है सात साल के बाद नोटिस क्यों सर्व किया गया और यह नोटिस किस तारीख को सर्व किया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : नोटिस सर्व करने की तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : साल तो होगा!

श्री अध्यक्ष : सन् ५१ में ज़मीन मिली ५३ में मियाद खत्म होगई उसके बाद पांच साल खत्म होगये।

श्री जयसिंह : सरकार की जब यह नीति है जो हल चलावेगा उसी की खेती होगी तो क्या ये व्यक्ति सचिवालय में बैठे बैठे हल कैसे जोतते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसीलिये तो अब नोटिस दे दिया है।

Page No.20

विकास खंड

१६३६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के निश्चयानुसार अब तक कितने विकास खंड कहां कहां खोले गये हैं व अगले वर्षों में कहां कहां खोलने की योजना है ? बीकानेर तहसील में ये खंड कहां कहां खोले जावेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के निश्चयानुसार अब तक खोले गये विकास खंडों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अगले वर्ष विकास खंड कहां कहां खोले जायेंगे यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। बीकानेर व कोलायत तहसीलों को मिलाकर उनमें दो विकास खंड खोलने की योजना है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर तहसील और कोलायत तहसील इन दोनों में कहां कहां विकास खंड खोलने की योजना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दोनों मिलकर दो ब्लॉक्स होंगे। कब खोले जायेंगे इसके बारे में अभी निश्चय नहीं किया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : इसमें जो अगला वर्ष दिया उसका मतलब चालू वर्ष से है क्या, चालू वर्ष में खोलने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी, नहीं लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये विकास खंड जो खोले जाते हैं उनमें किस किस स्थान को किस किस कारण से प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बीकानेर के बारे में पूछ रहा हूं कौन से कारण ख्याल में रखकर आप प्राथमिकता देते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रिपीटिशन करना नहीं चाहता जो जनरल क्राइटेरिया है वह सभी जगह के लिये एक सा है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या वर्तमान प्रगति से यह संभव है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के काल तक संपूर्ण तहसीलों को विकास खंडों से घेर लिया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १९६३ तक।

श्री पी० के० चौधरी : विकास खंडों के बारे में निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

मोहनलाल सुखाड़िया : १५ दिन के अन्दर अन्दर जहां तक कि इस वर्ष का सवाल है।

विकास क्षेत्रों की स्थापना तहसील पचभद्रा

१६४०. **श्री रावतराम** (बालोतरा) :

(श्री रावतराम)

क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पचभद्रा तहसील में २ साल पहले विकास क्षेत्र खुलने वाला था पर वह नहीं खोला गया ?

(२) क्या इसके लिये ज़िला विकास कमेटी की ओर से कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो किस तिथि की ?

(३) क्या सरकार अब अप्रैल सन् १९५८ में विकास क्षेत्र खंड खोलने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) और (ख), सन् १९५१ से १९५४ तक जवाई बांध के निर्माण में निम्न प्रकार के सरकारी वाहन समय समय पर काम में लाये जा रहे हैं....

डॉ० चन्द्रकला : आप किस का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं !

(हंसी)

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) जी हां। सिफारिश अप्रैल सन् १९५६ में की गई थी।

(३) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

जवाई बांध

१६४१. श्री महादेव प्रसाद बंका (कोटड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) जवाई बांध के निर्माण के सिलसिले में सन् ५१ से सन् १९५४ तक किन किन के वाहनों का उपयोग किया गया तथा उन के मालिकों से कितना कितना रोड टैक्स वसूल किया गया ?

(ख) यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

एक माननीय सदस्य (श्री भीखाभाई से) : अब आप उतर दें।

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) और (ख) सन् १९५१ से सन् १९५४ तक जवाई बान्ध के निर्माण में निम्न प्रकार के सरकारी वाहन समय समय पर कार्य में लाये गये:—लारियें ५, वाटर टैंक १, डीजल टंकी १, जीपकार ३, ट्रेक्टर रबर टायर का १। इसके अलावा ठेकेदारों की तरफ से समय समय पर कई वाहन कार्य करते हैं उनका कोई रेकार्ड नहीं रखा गया है।

सरकारी वाहनों का रोड टैक्स नहीं भरा गया क्योंकि कानूनन सरकारी वाहनों पर रोड टैक्स नहीं भरा जाता है। ठेकेदारों द्वारा भरे गये रोड टैक्स का कोई रेकॉर्ड इस विभाग में नहीं रखा जाता।

प्रश्न संख्या १६४२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

टोंक में टीन (चद्दरों) का वितरण ।

१६४३. **श्री लालूराम टटवाड़िया** (टोंक) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–(१) ज़िला टोंक को सन् ५५ से आज तक कितना टीन (चादर) दिया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष टीनों का वेगन टोंक ज़िले को उपलब्ध नहीं हो सका, बल्कि गायब हो गया ?

(३) क्या सरकार अब गत वर्ष का टीनों का कोटे का वेगन और इस वर्ष का कोटा भी देगी ।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, यह सिविल सप्लाईज़ से सम्बन्ध रखता है इसलिए कल माननीय सप्लाई मन्त्रीजी जवाब दे देंगे ।

शिक्षण संस्थाएं ।

१६४४. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे ।

(१) ज़िला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के एरिये में कुल कितनी स्कूलें हैं और उनमें हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूल कितनी हैं ?

(२) उक्त एरिये में सरकारी स्कूल कितनी हैं और राज्य सरकार द्वारा मानी हुई संस्था के नाम से कितनी स्कूलें चल रही हैं ?

(३) किस किस गांव में स्कूल के भवन सरकार ने बनाये हैं ?

(४) कुशलगढ़ शहर के हाई स्कूल में विद्यार्थियों की कितनी संख्या है और स्कूल में कितने कमरे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि छोटे व तंग कमरों के कारण लड़कों को बैठकर पढ़ने में काफी दिक्कत होती है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) कुल ४८ स्कूलें हैं, जिनमें से २ मिडिल तथा १ हाई स्कूल है ।

(२) तमाम स्कूल सरकारी हैं । सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है ।

(३) निम्न स्कूलों के भवन सरकार द्वारा बनाये गये हैं :–

१, थन्देश्वर ।
२. चीरा ।
३. कसारवाड़ी ।
४. लोहारिया ।
५. मोहनपुरा ।
६. भूंदड़ी ।
७. तामकेसरा ।
८. हुन्दनी ।
९. टाडी बड़ी ।
१०. सागवा ।
११. बड़ी सरवा ।
१२. माध्यमिक शाला डूंगरा ।
१३. माध्यमिक शाला, सज्जनगढ़ ।
१४. हाई स्कूल कुशलगढ़ ।

(४) कक्षा ६ से १० तक के विद्यार्थियों की संख्या १८७ है व कमरे की संख्या ६ तथा दो बरामदे हैं ।

Page No.23

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(५) जी हां, जगह की तंगी है ।

श्री हीराभाई : माननीय मन्त्री ने बताया कि मकान बनाने गये तो क्या वे पक्के मकान बनाये गये हैं या किराये के नाम से सरकार द्वारा बनाये गये मकान माने जायं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या ?

श्री हीराभाई : आपने अभी बताया है कि स्कूल भवन बनाये गये हैं तो क्या वे सरकार द्वारा पक्के भवन बनाये गए हैं वहां या किसी से किराये पर लेकर बनाये हैं ? कसारवाडी में आपने बताया कि स्कूल भवन बनाया गया है तो वहां तो कोई भी भवन नहीं बना है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन से मकान से मतलब है आपका ?

श्री अध्यक्ष : स्कूल भवन ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनकी लिस्ट मैंने पढ़ दी है ।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि आपने बताया कि मकान बनाये हैं, लेकिन वहां कोई स्कूल भवन बना ही नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन से गांव में ?

श्री हीराभाई : आपने कसारवाडी में स्कूल बताया तो उसमें स्कूल भवन कितना बना ?

श्री अध्यक्ष : वह बता दिया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने बता दिया है । सारी लिस्ट पढ़ दी है ।

श्री हीराभाई : आपने बता तो दिया है लेकिन वहां मकान ही नहीं बने हैं । बड़ी सरवा और डूंगरा में कोई नहीं बना है । वहां पर लोग किराये से मकान लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे यह पूछा था कि हाई स्कूल कुशलगढ़ में कमरे की बहुत तंगी है एक कमरे में तीन तीन क्लास के लड़के पढ़ते हैं । क्या सरकार महसूस करती है उसको ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है । सज्जनगढ़, डूंगरा, सुनदनी, लोहारिया वगैरह के अन्दर जहां जहां की जानकारी दी गई है वहां पर मकान बने हैं । शायद दूसरी जानकारी की कमी की वजह से उन्होंने ऐसा कहा है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या कुशलगढ़ हाई स्कूल के अन्दर कमरों की कमी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उत्तर दिया गया है कि ९ कमरे हैं और दो बरामदे हैं । स्थान की कमी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा नहीं हो कि आपके पास में रिपोर्ट आगई हो इस प्रकार की कि कमरे बने हैं और स्कूल भवन बने हैं और वहां पर कुछ भी नहीं हो ।

(हंसी)

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष,

Page No.24

(श्री हीरामाई)

लोहारिया में मकान के बारे में बताया है, लेकिन लोहारिया में कोई स्कूल नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट पढ़ दी है।

प्रश्न संख्या १६४५

श्री केसरीसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुर सिंह।

धौलपुर नरेश में सरकार की बकाया धनराशि

११४६. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या धौलपुर नरेश के ऊपर राजस्थान सरकार की कोई बकाया रकम है?

(२) यदि हां, तो वह कितनी है?

(३) उसकी वसूलयाबी के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं?

(४) सबसे अन्तिम पत्र इस सम्बन्ध में किस तिथि को लिखा गया है, और किसको?

(५) क्या सरकार उक्त रकम को माफ करने का विचार भी रखती है?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां।

(२) करीब १,६५,०००) रुपए हैं।

(३) सम्बन्धित विभाग व भारत सरकार में पत्र व्यवहार चल रहा है।

(४) भारत सरकार को २४-४-५८। चीफ इन्जीनियर को १८-१२-५७ को और आई. जी. पी. को १६-४-५८ को।

(५) जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इसके अलावा ५५ हजार की कोई रकम बाकी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आपने पहले सदन में इस प्रकार का उत्तर दिया है कि "हां"?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे कुछ याद नहीं पड़ता है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आप इसकी जानकारी करेंगे कि आपने इस प्रकार का उत्तर दिया है सदन में?

श्री अध्यक्ष : आप बता दें कि कब उत्तर दिया है?

डॉ० बहादुरसिंह : पिछली विधान सभा में दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर से बतादें कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया था।

डॉ० बहादुरसिंह : मुझे तहकीक मालूम नहीं है लेकिन यह कह सकता हूं कि इस प्रकार का उत्तर दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हो सकता है कि कोई जवाब दिया है । क्योंकि उस समय तक कोई फैसला नहीं हुआ हो । उसके बाद में मामले का निर्णय करके अन्तिम रूप से यह स्थिति है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ऐसा नहीं हो कि उसके बाद भी रकम इतनी चकाया थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उत्तर आज दे रहा हूं, तो आज की स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा । उस वक्त की स्थिति के बारे में नहीं कह सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

विकास खंड शेरगढ़ (फलौदी)

१६४७. **श्रीसूरजमल** (फलौदी) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील शेरगढ़ व फलौदी में आज तक अनुसूचित जातियों व पिछड़ी हुई जातियों को विकास खंडों द्वारा तकावी सेनेटरी कुओं, संस्कार केन्द्रों और रात्रि शालाओं के लिए दी गई है ? यदि हां, तो कहां कहां पर तथा नहीं, तो क्यों नहीं ?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : तहसील शेरगढ़ व फलौदी में अभी तक कोई विकास खंड नहीं खोला गया है, अतएव वहां विकास खंडों द्वारा तकावी देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १६४८

श्री अध्यक्ष : श्री मोती बाबा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६४९

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

मोटर गैरेज के ड्राइवरों को गरम वर्दी न दिया जाना

१६५०. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Transport Minister be pleased to state:-

Is it correct that the Winter uniforms which were due to be given to the Government Motor Garage drivers in the year 1955, have not been given to them as yet ?

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : यह सही नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि सन् ५५ में युनिफार्म के लिए कपड़ा खरीदा गया था वह गरेज में पड़ा रहा और युनिफार्म नहीं दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

श्री बी. एन. जोशी ।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

सिंचाई योग्य बांध, तहसील बैराठ

१६१९. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या बैराठ तहसील में सिंचाई के काम वाले बांध हैं ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से और उनसे कितनी २ सिंचाई होती है और वे कब२ बनाये गये हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि बैराठ तहसील में छीतोली बांध बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो जायगा ?

(घ) क्या यह सही है कि लाखाला ग्राम के काश्तकारों की ज़मीन उसमें रुक गई है ?

(ङ) यदि हां, तो कितनी चाही और कितनी बारानी और उसके एवज में कितनी और किस किस्म की जमीन उनको दी गई है ?

(च) किस किस व्यक्ति की कितनी कितनी ज़मीन बांध के कारण रुकी है और कितनी कितनी जमीन उनको मिली है ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(छ) क्या सरकार जमीन को उपजाऊ बनाने व जिनके कुओं के नाल आदि रुक गये हैं अपनी ओर से कुछ मदद करेगी ?

(ज) यदि हां, तो किस हिसाब से और कब तक ?

(झ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) उनके नाम, कब बने और उनसे होने वाली सिंचाई का विवरण निम्न है :—

१. बैराठ बन्ध राजस्थान निर्माण के पहले बना ४७४ एकड़ सिंचाई होती है।

२. तालुका बास „ „ „ ५० एकड़ „ „

३. छीतोली बान्ध यह नवीन बना है १९५७ में। इससे करी ४,००० एकड़ भूमि की सिंचाई का अनुमान है।

(ग) छीतोली बान्ध का कार्य अभी हाल ही में समाप्त हुआ है।

(घ) जी हां।

(ङ) लाखाला ग्राम की १९ बीघा चाही व ६५ बीघा ६ बिस्वा बारानी एवम् ४ बीघा १ बिस्वा बंजर भूमि गरकी में आई है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही जारी है और कलेक्टर जयपुर से क्षतिपूर्ति के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

(च) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। क्षतिपूर्ति के लिये कलेक्टर जयपुर के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(छ) ज़मीन और कुओं का मुआवजा इस विभाग द्वारा दिया जावेगा और इसके

(श्री भीखाभाई)

अलावा अन्य मदद के लिये राजस्व विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(ज) इसका संबंध राजस्व विभाग से है।

(झ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामकरण सिंह : आपने फरमाया की क्षतिपूर्ति की कार्यवाही कलेक्टरसाहब के द्वारा की जारही है तो यह कब से उनके विचाराधीन है ?

श्री भीखाभाई : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जयपुर कलेक्टर के विचाराधीन है। इसकी जांच हो रही है उसके बाद कम्पेनसेशन स्टेटमेंट बनाये जाकर निर्णय किया जायगा।

श्री रामकरण सिंह : जैसा आपने कहा कि विचाराधीन है तो कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा और क्या बंटवारा होगा ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जो प्रार्थनापत्र पेश किये जाते हैं वे तहसीलदारों के पास पेश किये जाते हैं।

श्री रामकरणसिंह : जो मुआवज़ा दिया जायगा उसका टाइम लिमिट है क्या कि इतने टाइम में दिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : मुआवज़ा देने के बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है लेकिन जिनकी दर्ख्वास्त जल्दी आती है उनका जल्दी तय हो जाता है, पहले उसकी जांच होती है। लेकिन जहां तक होगा जल्दी ही तय किया जायगा।

श्री रामकरण सिंह : जिस काश्तकार ने चाही ज़मीन मुश्किल से बनाई थी कुए आदि बनाकर उनको मुआवज़ा देने के लिये जल्दी नहीं सोच सकते ?

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द्र पल्लीवाल

(अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह।

(अनुपस्थित)

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कार्यों के लिए प्रदत्त लाइसेन्स

१६३५ **श्री सोहनलाल** (सलुम्बर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

चालू वर्ष में भारत सरकार ने राजस्थान में किन किन उद्योगों के लिये लाइसेन्स दिये हैं तथा उनमें से कौन कौन से उद्योग प्रारम्भ हो गये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): ८ लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा जिन उद्योगों के लिए सन् ५७—५८ में दिये गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है। केवल एक उद्योग प्रारम्भ हो गया है मेसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, गंगानगर।

(कृपिया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

६. १२ म० प०

अधिकतम सीमा निर्धारण समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : अधिकतम सीमा निर्धारण समिति की रिपोर्ट पर अग्रेतर वाद-विवाद ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के बारे में कल फरमाया था कि आज उसका उत्तर मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : कल २६ तारीख को ।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन सबमिट किया है ।

श्री अध्यक्ष : It was submitted late. It is being considerd.

मेजर श्री फतहसिंह : On a point of information, Sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवचरणदास जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने २३ अप्रेल को जो उत्तर दिया था, जिसमें कुछ ऐसी बात कही गई जिससे मेरे चरित्र और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है और मैंने श्रीमान से वक्तव्य देने की अनुमति चाही थी ।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में कल निर्णय दिया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट...

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, कल से सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर हाउस में विचार चल रहा है, मैं भी इस संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ । सबसे पहले रिपोर्ट का जो उद्देश्य है उसके बारे में यह कह दिया है कि यहां राजस्थान में जो खेतीहर बिना जमीन के हैं उनको ज़मीन देने के लिये जिनके पास अधिक जमीन है । उनसे ज़मीन कम करके बैलेन्स करने के लिये, इस कमेटी की रिपोर्ट का उद्देश्य था । मैं नीति के दृष्टिकोण से समाजवादी ढांचे को लाने के लिये इसके पक्ष में हूं । कि किसी एक व्यक्ति का, किसी परिवार का इकोनोमिक स्तर ज्यादा न हो बल्कि सब का एक स्तर बांध दिया जाय, इसके पक्ष में हूं । मेरी समझ में समाज में ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो इसका विरोध करे । लेकिन प्रश्न यह आता है कि सबसे पहले किसकी कीजाय, किस की न की जाय । सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, क्यों लिया है यह मालूम नहीं, कि सबसे पहले ज़मीन से जो उत्पादन करने वाले हैं उनसे शुरुआत की जाय । ज़मीन से उत्पादन करके उसके द्वारा निर्वाह करने वाले कम

Page No.29

(श्री मोतीलाल चौधरी)

से कम ७० प्रतिशत आदमी हैं उन पर सबसे पहले सीलिंग लगाई जाय। उसके बाद में क्या किया जायगा, क्या नहीं किया जायगा ऐसा कोई पॉलिसी निर्णय नहीं हुआ है और न कोई हमें इशारा ही मिला है कि उसके बाद ३० प्रतिशत आदमी जो दूसरे हैं, जो ज़मीन पर आश्रित नहीं हैं उनका क्या होगा। ज़मीन पर निर्वाह करने वाले जो लोग हैं, उनकी इन्कम, यह आय है उसका स्तर एक हद तक मुकर्रर करने के बाद दूसरा कदम किस प्रकार लेंगे यह इशारा इस रिपोर्ट में दिया जाता तो मैं समझता कि इसके साथ ही सोशियल जस्टिस करने की ओर कदम उठाया जा रहा है। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में या सरकार की तरफ से जो घोषणाएं होती हैं उनमें यह घोषित नहीं किया गया है कि ज़मीन के अलावा दूसरे धंधों पर निर्वाह करने वाले जो लोग हैं उनकी इन्कम भी फिक्स की जायगी। लेकिन ऐसी स्पष्ट घोषणा नहीं करने के कारण मेरी समझ में यह आया है कि समाज में दो विभाग किये हैं। एक तो जो लोग खेती का धंधा करने वाले हैं उनकी इन्कम को फिक्स किया है, और दूसरा जो लोग अन्य धंधा करने वाले हैं उनको खुला छोड़ा गया है। यदि यही आशय है तो मैं इसका विरोध करूंगा क्योंकि ७० प्रतिशत आदमियों को आप बोझ से दबाना चाहते हैं। यदि यह उद्देश्य है कि समाज के सभी स्थिति के आदमियों पर सीलिंग किया जायगा तो इसका विरोध करने की भावना किसी में नहीं आयेगी। नीति की दृष्टि से यह जरूर होना चाहिये कि समाज वाद लाने के लिये सभी तत्वों की इन्कम पर निर्भर करना चाहिये। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि एक तत्व पर सीलिंग किया जाता है जो समाज में १ पर्सेन्ट, २ पर्सेन्ट या ३ पर्सेन्ट नहीं है बल्कि ७० पर्सेन्ट आदमी जिस चीज़ पर निर्वाह करते हैं उनकी पूंजी या आय को आप बांधना चाहते हैं और दूसरों को खुला क्यों छोड़ना चाहते हैं हाउस में या बाहर यदि ऐसी बात आती कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की पे पर सीलिंग करना चाहिये और १००० रुपयों से ऊपर किसी की पे नहीं होनी चाहिये, तो उस वक्त सरकार की तरफ से रुकावट आती है कि हमको वांछित आदमी नहीं मिलेंगे, और दूसरी तरफ आंकड़े उपस्थित करके यह कहते हैं कि एक परिवार जिसमें ५ या सात व्यक्ति हों उनकी साल भर की इन्कम २४०० रुपयों से अधिक नहीं हो। यह बात कैसे कही जाती है, यह समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से राजस्व मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि वास्तव में सीलिंग फिक्स करने के बाद दूसरा कदम क्या होगा। सर्विस करने वाले लोगों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के ऊपर भी सीलिंग लगाने की नीति है और कब तक लगाने की नीति है, यह बतावें तो समझ में आ सकता है। यदि इस प्रकार की नीति नहीं है तो समाज में समानता आप किस प्रकार ला सकते हैं जब कि एक डिविज़नल कमिश्नर सरकारी नौकरी करते हैं, ७० पर्सेन्ट काश्तकारों से जो टैक्स या रेवेन्यू वसूल किया जाता है और इस प्रकार जो फंड इकट्ठा होता है उसमें से उन कमिश्नर साहब को जो कि सरकारी अधिकारी हैं २२०० रुपये महिने में तनख्वाह मिलती है। एक कमिश्नर महीने के २२०० रु० तनख्वाह के पाते हैं और दूसरी तरफ एक किसान की इन्कम २४०० रु० साल से ज्यादा नहीं रहने देना चाहते। मेरी समझ में नहीं

(श्री मोतीलाल चौधरी)

आता कि इस डिस्पेरिटी ऑफ इन्कम से समाजवाद का ढांचा कैसे आयगा। तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि सरकार का अगला कदम क्या हो? यदि यह निश्चित कर चुके हैं कि एक स्तर पर सब को लाना है और ५ हज़ार या ७ हज़ार से ऊपर की आय वाला कोई नहीं रहने वाला है तो हमारी समझ में आ सकता है कि हममें मतभेद नहीं किया जा रहा है यदि यह बात नहीं हैं तो मैं आपके द्वारा हाउस से और राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इससे वैधानिक आपत्ति आ सकती है। एक गरीब है इसको और गरीब रखा जाय और दूसरे को और धनवान होने का मौका दिया, तो यह वैधानिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी बेजा रहेगा।

अब मैं रिपोर्ट पर जाना चाहता हूँ। इस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में तीन मुख्य चीज़ें दी हैं। एक तो यह कि एक परिवार जिसमें ५ या ७ आदमी होंगे उसकी इन्कम २४०० रुपये सालाना जितनी ज़मीन से हो उतनी ज़मीन उसके पास रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय इससे ज्यादा जितनी भी आय खेती की ज़मीन से है उतनी ज़मीन उसके हाथ से निकल जायेगी। इस विधान सभा ने प्रोड्यूस रेन्ट रेगूलेशन एक्ट पास किया था। उस समय जो भूसा वगैरा काश्तकारों के पास छोड़ा था उसको भी सीलिंग में शामिल ले लिया। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स छोड़े थे। इसलिए कि पशुओं आदि को सुविधा मिले पशु पालन करनेवालों को सुविधा मिले, सीलिंग फिक्स करते समय उसको भी शामिल ले लिया। काश्तकारों को काश्त से जो इन्कम होती है उसके अलावा दो चार गायें भैंस रखते हैं उनसे जो इन्कम होती है उसको भी साथ में लिया गया है और २४०० रुपयों पर सीलिंग फिक्स किया है। २४०० रुपये किस बेसिस पर फिक्स किये हैं यह समझ में नहीं आता। यह गलत तरीके से किया गया है। काश्तकारों के दृष्टिकोण से यहां की ७० पर्सेन्ट जनता के दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण क्या है इसका ध्यान नहीं रखा गया है। जिनलोगों ने प्रेक्टिकली खेती का काम नहीं किया है वे लोग अर्थशास्त्र के विद्वान हो सकते हैं लेकिन वास्तव में खेती कैसी होती है इस बात को जानते नहीं है वे लोग कुछ आंकड़े इकट्ठे करके कह सकते हैं लेकिन उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, २४०० रुपया साल की इन्कम ५ या ७ आदमियों के परिवार के लिये छोड़ी है यानी २०० रुपये माहवार की इन्कम एक परिवार के लिये छोड़ी है। २०० रुपए एक परिवार की आय होती है, और उस परिवार में पांच आदमी मान लीजिए, तो ४० रुपए एक आदमी पर आते हैं। मैं इतना कह दूँ कि राज्य सरकार की नौकरी में आज ३५ रुपए पाने वाला कोई नौकर नहीं है। यह हो सकता है कि तनख्वाह २५ रुपए मिले, लेकिन डियरनेस अलाउन्स, हाउस अलाउन्स मिला कर ३५ रुपए से ज्यादा ही मिलेंगे। ऐसा एक नहीं मिलेगा जिसे ३५ रुपए मिलते हों। मैं आपको एल. डी. सी. का उदाहरण दूँ, उसको जो तनख्वाह मिलती है, वह कम से कम १५० रुपये मिलते हैं, सारे अलाउन्स को मिला कर। इसके साथ ही यह नहीं है कि वह दूसरी कमाई कर सकता, इसमें रुकावट नहीं है। यदि उसकी स्त्री और बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उसकी स्त्री मास्टरनी बन

Page No.31

(श्री मोतीलाल चौधरी)

सकती है। लेकिन एक किसान के परिवार में पांच व्यक्ति हैं, माननीय मन्त्री महोदय कहेंगे, माननीय सदस्य कहेंगे यह सही है या नहीं, लेकिन किसान के परिवार के व्यक्ति और कहीं कमाई नहीं कर सकते हैं अगर कोई कहे कि कमाई कर सकते हैं तो वे इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं क्योंकि उन्हें प्रेक्टिकल तजुर्बा नहीं है। इसके अलावा किसान का परिवार ८, १० घंटे काम करता है, जब कि राज्य सरकार का नौकर ६ घंटे काम करता है। मैं आपको एक्चुअल फिगर्स नहीं देना चाहता लेकिन एक किसान ११ घंटे काम करने के बाद ही परिवार को, खेती को निभा सकता है। इस तरह ११ घण्टे एक तरफ और दूसरी तरफ परिवार में जो पांच आदमी हैं; उन सब को भी खेती का काम करना पड़ेगा। परिवार का कोई व्यक्ति किसी दूसरी नौकरी में लग नहीं सकता, उन सबको खेत में काम करना पड़ेगा। इसके दूसरी तरफ राज्य सरकार का छोटा कर्मचारी, एल. डी. सी. जिसे १५०) रुपये तनख्वाह मिलती है, और उसके लड़के क्लर्क बन सकते हैं, और काम कर सकते हैं और उसकी स्त्री मास्टरनी बन सकती है। मैं आगे चलूं, इस क्लर्क को ज्यादा से ज्यादा आठ घंटे काम करना पड़ता है और उसके साथ ही एक सप्ताह में उसे डेढ़ दिन की छुट्टी मिलती है। इसके बाद एक साल में तीन महीने की छुट्टी मिलती है। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कोई दूसरा काम करके इन्कम कर सकता है। मैं थोड़ा और आगे चलूं, हम देखते हैं कि राज्य सरकार में एक नौकरी करने वाला बड़ा अधिकारी कितनी तनख्वाह लेता है और दूसरी तरफ एक किसान की, जिसके परिवार में ५ व्यक्ति हैं, आमदनी क्या है? इस बड़े अधिकारी की तनख्वाह एक किसान के परिवार की साल भर की तनख्वाह के बराबर पड़ती है। एक कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में, उसको २२०० रुपए तनख्वाह मिलती है, आप डिअरनेस अलाउन्स और ट्रेवलिंग अलाउन्स छोड़ दीजिये। यह जो अधिकारी है, हम देखते हैं कि इसको २२०० रुपये एक महीने में तनख्वाह मिलती है, दूसरी तरफ २४०० रुपये एक किसान ११ घंटे रोज काम करके कमाता है। इस अधिकारी को सिर्फ आठ घंटे काम करना पड़ता है। इतना फर्क क्यों है? पता नहीं इतना भेद क्यों रखा गया है, किस दृष्टिकोण से किया गया है। मैं और आगे चलता हूं, मुझे पता नहीं किस तरह से यह निर्णय लिया गया है और किस तरह से २४०० रुपये की आमदनी आंकी गई है। मुझे हंसी आती है, और दुःख होता है। दुःख इसलिए होता है कि इस कमेटी में जो सज्जन थे, वे विद्वान थे, वे देश की जानकारी रखते थे। उन्होंने एक सब कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट को ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम एक आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं, कोई मज़ाक नहीं हो रहा है, हम ७० प्रतिशत व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने जा रहे हैं। इसमें यह रखा गया है कि जब जमीन बंट जायगी, उसके बाद निश्चित हो जायगा कि देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, और उसके बाद निश्चित हो जायगा कि ७० प्रतिशत आदमी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका स्टेन्डर्ड क्या होगा। आप इस चीज को डिटरमिन करते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स में नहीं गये। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूं यह गवर्नमेंट

(श्री मोतीलाल चौधरी)

पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, मेरा पब्लिकेशन नहीं है (अवरोध) दूसरा है बेसिक स्टेटिस्टिक्स, राजस्थान और सीलिंग की रिपोर्ट। इन तीनों में फिगर्स देखते हैं, तो तीन तरह के मिलते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये फिगर्स गवर्नमेंट के हैं, फिगर्स ठीक मिल सकते हैं, लेकिन २४०० रुपये की आमदनी कैसे लाये, यह सोचने की चीज़ है। २४०० रुपये के हिसाब में है कि गेहूं की कीमत १२ रुपया प्रतिमन मान लिया जाय और अन्य वस्तुओं के मूल्य उसी समानुपात से निकाले जायं। मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूं कि जब आज से तीन साल पहले गेहूँ की कीमत गिर रहती थी, मैंने राजस्थान सरकार को एप्रोच किया था, कि गेहूं का भाव ८ रुपये मन हो रहा है, आप खरीद लीजिये, मंडियां खोलिये। लेकिन राजस्थान सरकार ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस समय गेहूं की कीमत सात रुपये मन तक पहुँच गई। उस समय केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री श्री सी. डी. देशमुख थे, मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को रुपया दीजिये। मैं आपको बताऊं कि गंगानगर में गेहूँ के भाव बहुत गिर गये और ज्वार का भाव डेढ़ रुपये तक पहुँच गया। यह दो तीन साल पहले की ही बात है, उस समय गेहूं को इतने सस्ते भाव से लेने के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, काश्तकारों को गेहूं सात आठ रुपये मन देना पड़ा और ज्वार डेढ़ रुपये के भाव से बेचनी पड़ी। बहुत से किसानों ने उस ज्वार को काम में नहीं लिया. उसे खेत में डाल दिया। ऐसी स्थिति में हमारी गवर्नमेंट सीलिंग करने आ रही है और गेहूं का भाव १२ रु० मन का अन्दाज से मान लिया है। इस रिपोर्ट के अन्दर ही कमेटी ने १९५१, १९५२, १९५३, १९५४ के फिगर्स भी दिये हैं। उनको देख कर मैं कहता हूं, और स्ट्रोंगली कहता हूं कि मैं १० वर्ष तक १२ रुपये के हिसाब से गेहूं बेचता हूं, कितना चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पिछले सालों में अनाज के भाव किस हद तक गिर चुके हैं। ये जो आंकड़े हैं, वे कैसे बनते हैं, इसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ! ये आंकड़े कुर्सी पर बैठ कर बनते हैं, दिमाग से नहीं बनते हैं। सरकार को जो सम्भाले हुए हैं, वे भी इस बात को जानते हैं कि सही स्थिति क्या है। मैं थोड़ा और आगे चलूं जो २४०० रुपये की आमदनी आंकी है, उसमें १२ रुपये प्रति मन गेहूँ का हिसाब लगा कर मजदूरी की कीमत आंकी है कि इतनी मजदूरी पर मजदूर काम करेगा, यह पेज १८ पर देखें। आज १५, २० साल पहले जो मजदूरी थी, उस पर यह बेस किया गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार सीलिंग फिक्स की गई, तो विधान के खिलाफ पड़ेगी। एक तरफ आप मिनिमम वेजेज़ फिक्स कर रहे हैं, कि सड़क पर काम करने वाले मजदूर की मजदूरी डेढ़ रुपये है। बिहार में कुछ दिनों पहले एक कानून पास हुआ है, वह मजदूरों की उन्नति करने के बारे में है, उसमें इस तरह का ढांचा रखा गया है कि धीरे धीरे मजदूरों को वेतन भी मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनको रहने के लिए मकान भी मिले। तो एक तरफ तो मजदूरों का वेतन, सुख सुविधा बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में जो गरीब खेती करने वाले हैं, उनके लिए मजदूरी

(श्री मोतीलाल चौधरी)

सीलिंग फिक्स करने के तय कर रहे हैं, जो १५, २० साल पहले थी। अध्यक्ष महोदय, १५, २० साल पहले की क्यों ली, १६५६ के अकाल के समय की मजदूरी लेते, उस समय एक मजदूर को ६ पैसे मिलते थे। आपने आज मजदूरी लगा दी है, माननीय अध्यक्ष, १२ आने, एक रुपये में मजदूर मिलते हों, तो मन्त्री महोदय मुझे १०० मजदूर दें, मैं डेढ़ रुपये रोज मजदूरी देकर लेता हूं। आज इतनी मजदूरी पर मजदूर मिल नहीं सकते, डेढ़ रुपये में मजदूर नहीं मिल सकते। इसलिये आप १५-२० साल पहले की रेट्स को लेकर सीलिंग फिक्स करते हैं, तो यह ठीक नहीं है।

इसके बाद मैं और आगे चलता हूं तो एक चीज़ और ध्यान में आती है। वास्तव में राजस्थान में सीलिंग करने की जरूरत है कि नहीं। रिपोर्ट के अन्दर दो आंकड़े दिये हैं दोनों आपस में डिफर करते हैं, एक तो पेज ३ में और एक पेज....पेज

(कुछ क्षण के लिये विराम)

तो माननीय अध्यक्ष, वो इसके बारे में है कि राजस्थान में कितनी भूमि आज मिल सकती है, जो कि भूमिहीन किसानों को देने के लिये उपलब्ध हो। पेज ३ पर १४ सब क्लॉज़ में ध्यान दें कि एग्रीगेट पोपुलेशन इतनी है, इतने एकड़ लैंड काम में आती है और करीब ३१०४१००० एकड़ लैंड अनकल्टिवेटेड पड़ी है, बहुत और पड़ी है पर वह अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है, वह एक करोड़ एकड़ से ऊपर जो है वेस्ट पड़ी हुई है। कुल ज़मीन है ७६६८८८४२ एकड़। यह कमेटी ने डेटा कलेक्ट किया है, न मालूम कहां से कलेक्ट किया है न रेफरेंस दिया है, इसमें से ३५ परसेंट पर खेती कर रहे हैं बाकी ६५ प्रतिशत भूमि बेकार पड़ी है और मजदूर खेती का काम करने वाले आदमी हैं उनके फ़ीगर मिले हैं वह सारे ४,८३,००० दिये हैं इस किताब में, सीलिंग कमेटी ने ३७६००० दिये हैं, दोनों किताबों में फर्क है, अब ये फीगर्स कहां से लिये हैं यह मुझे मालूम नहीं। पर इसमें दिया है कि ३७६००० मजदूर हैं आगे जाकर इस फीगर को दूसरे पेज में बताया है कि हमारे पास ज़मीन १,३७,२७,२७४ एकड़ है इस पेज में बताया है ३ करोड़ १० लाख एकड़ ज़मीन है, आगे जाकर कहते हैं, मिस्टर खैरी ने रिपोर्ट दी है, कमेटी के सामने उन्होंने बताया है कि १ करोड़ ३६ लाख एकड़ ज़मीन पड़ी है। तो इस तरह दो तरह के फिगर्स हैं, इस कमेटी के सदस्यों के अन्दर इस बारे में एकमत नहीं है, मैन एक्च्युअल ज़मीन कितनी पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है यह कमेटी के सदस्यों को पूरी तरह से मालूम नहीं है। यह कमी कहती है ६५ पर्सेंट ज़मीन यों ही पड़ी है, ४ करोड़ के ऊपर ५ करोड़ ज़मीन बिना काश्त के पड़ी है और दूसरी यह कमेटी कहती है कि एक करोड़ एकड़ ज़मीन कुल ही है। हालांकि ५ करोड़ एकड़ ज़मीन बिना काश्त की पड़ी है फिर भी जो छोटा फीगर दिया है एक करोड़ का उसको मान लेते हैं तो ३७६ हज़ार लैंड लैस कृषक मजदूर हैं और इस ज़मीन को इनमें डिवाइड करते हैं तो १८३ एकड़ ज़मीन एक परिवार के लिये अवेलेबल है। जब सीलिंग करने जा रहे हैं ४० एकड़ ५० एकड़, तो भी ज़मीन पड़ी है, १८३ एकड़ लैंड लैस लोगों के एक एक परिवार को मिल सकती है,

(श्री मोतीलाल चौधरी)

आपके फिक्स किये हुए अमाउन्ट से कितना ऊपर तो इससे मालूम होता है कि राजस्थान में सीलिंग की जरूरत है कि नहीं । रिपार्ट है उससे पता चलता है कि हमारे राजस्थान में सीलिंग करने की जरूरत नहीं है। यह बात जरूर है समाजवादी समाज लाने के लिये कि एक लाख की इन्कम का, २५ हज़ार की इन्कम का स्टेन्डर्ड कायम कर दें तो ठीक हो सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं कमा सकता तो वह ठीक है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इस रिपोर्ट में फर्स्ट प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट है उसे देखते हुए, सेकिन्ड प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट है, उसके इकोनोमिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहने जा रहा था, it should not be for one profession, but for all professions होना चाहिये अगर एक के स्तर को कन्ट्रोल करने जायं तो दूसरे के स्तर को कन्ट्रोल करने के लिये हमें घोषणा करनी पड़ेगी।

अभी सीलिंग फिक्स करने की बात मान लेता हूं कि जो नीति है, जो ज़मीन हमारे पास पड़ी है, कुल ज़मीन की ३५ प्रतिशत ज़मीन काश्त के काबिल है, उसमें काश्त की जाती है, मैं कहूँगा कि ३ लाख परिवार हैं जिनको बसाने जायेंगे तो दो काम करने पड़ेंगे। एक काम तो यह करना पड़ेगा कि एक लिमिट फिक्स कर के जिनके पास ज्यादा ज़मीन है उनसे बची हुई यानि उस लिमिट से ज्यादा ज़मीन है उसे लेंगे तो उसके लिये उन लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा और दूसरे परिवारों को जिनके कि पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देंगे तो उनको तकावी के रूप में या किसी और तरीके से सहायता देनी पड़ेगी। रूरल सर्वे ऑफ इन्डिया हुआ है उससे स्पष्ट है कि ३ परसेंट से उस पर रुपया नहीं दिया, कुल रकम काश्तकारों के लिये काम में आती है, उसमें से गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक और दूसरे बैंकों ने कुल मिला कर केवल ३ परसेंट टोटल अमाउन्ट का काश्तकारों को दिया है और ६७ परसेंट रकम जनता के पास से, दूसरे लोगों के पास से ६७ परसेंट रकम ले कर काश्तकार लोग काम चालाते हैं। तो हमारे सामने ऐसा करते समय यह प्रश्न आयेगा कि हमारे पास इतनी रकम है कि नहीं। अगर इतनी रकम है तो ६५ परसेंट जमीन पड़ी हुई है जिस पर काश्त नहीं हो रही है उसको काम में लीजिये।

सीलिंग करना है तो मैं मानता हूं वह नीति है, नीति के रूप में मैं इसे मान लेता हूं। पर जो मेग्जिमम आय एक काश्तकार के परिवार की आप करने जा रहे हैं कि २४०० रुपया एक काश्तकार परिवार को मिलना चाहिये तो उसके लिये मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान के अन्दर एक कानून है उसके खिलाफ आपका यह डिसिजन पड़ता है । एक कानून में आप देते हैं कि एक परिवार इतनी कमाई कर सकता है, इन्कम टैक्स से मेरा मतलब है माननीय अध्यक्ष, इन्कम टैक्स में ५२०० रुपया तक खुला दिया है, ५२०० रुपया तक छूट दी गई है जोइन्ट फेमिली के लिये और इन्डिविज्युअल के लिये ३६०० तक की छूट रखी गई है, ३६०० रुपयों तक कोई

Page No.35

(श्री मोतीलाल चौधरी)

इन्कम टैक्स नहीं लगता । काश्तकार की फेमिली एक जोइन्ट फेमिली होती है, इस आधार को मानते हुए इस नीति को मानते हुए, इस प्रिन्सिपल को मानते हुए इन्कम टैक्स का कानून लागू होता है । इसमें इन्डिविज्युअल के लिये ३६०० तक की इन्कम को छोड़ा है और जोइन्ट फेमिली के वास्ते ५,२०० तक छोड़ा है । तो यहां पर सीलिंग लागू करते समय काश्तकारों के लिये ५,२०० रुपये की आय की सीमा क्यों नहीं रखी गई है ?

हमको कम से कम मैग्ज़िमम लेना होगा और उसका दुगुना और तिगुना आपने उसके लिये माना है । आपने यह माना है कि तिगुना होना चाहिये । इसलिये सीलिंग फिक्स करने के समय हमें ध्यान रखना होगा इतनी सीलिंग मुकर्रर करनी चाहिये कि जिससे एक किसान के परिवार का खर्च चल सके । आपको उसके एग्जिस्टेन्स के लिये जितना रखते हैं उसका तीन गुना आपको रखना होगा । माननीय अध्यक्ष, एक जोइन्ट फेमीली को ५,२००) छोड़ रखते हैं । आज उसको ५,२००) को इकोनोमिक युनिट मानते हैं । उसका तिगुना होना चाहिये और कम से कम उसको मेग्ज़िमम लेकर सीलिंग कायम होनी चाहिये । यदि उसका तीन गुणा लेते हैं तो वह १६००० होता है । मगर यहां पर कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है और कम से कम आप क्या करने जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आगई और वह वास्तविक बात है और स्पष्ट हैं कि सीलिंग कमेटी के सदस्यों के पास जमीन थी, मगर उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, बड़े नेता शोभारामजी और दूसरों के पास जमीन थी । मगर उसकी आमदनी ठीक नहीं होती थी इसलिये उनको वह जमीन छोड़नी पड़ी । दोनों व्यक्ति कमेटी के सदस्य थे और उन दोनों को जमीने छोड़नी पड़ी । यदि कमेटी के माननीय सदस्यों की तनख्वाह कम होती और उसके अनुसार वे उसको फिक्स करते तो हम उनकी राय को मानते । मगर उनको एक हजार और १४००) रुपये मिलते हैं । वे कैसे कह सकते हैं कि दूसरे लोग २००) में अपना गुजारा करें ।

(घंटी)

मैं अभी थोड़े समय में समाप्त कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री मोतीलाल चौधरी : जल्दी ही कर रहा हूं । अहम बातें हैं जो मुझे कहनी हैं । हमारे यहां ८५ प्रतिशत लोग किसान हैं और उनके हित की बात हैं ।

श्री सज्जनसिंह: यह बहुत अहम मसला है इसलिये काश्तकारों के प्रतिनिधियों को पूरा समय देना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह कैसे पता लगेगा कि यह काश्तकारों के प्रतिनिधि हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त जल्दी करें, कृपया ५ मिनिट में समाप्त कर दें ।

श्री मोतीलाल चौधरी (जारी) : इसके अलावा जब हम मेकेनिकल कल्टीवेशन को एग्जेम्शन की बात देखते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इससे भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ेगा, रूकेगा नहीं । माननीय राजस्व मंत्रीजी को विदित है, और यह एक मानी हुई चीज़

(श्री मोतीलाल चौधरी)

है तथा स्पष्ट है की कोई भी पटवारी बिना पैसे लिये गिरदावरी करता नहीं हैं। जब एक व्यक्ति १५ जोड़ियें लगा कर खेती करता है उसको आप फ्री नहीं छोड़ते मगर मेकेनिकल कल्टीवेशन ट्रेक्टर से करता है तो आप उसको फ्री छोड़ देते है। आप यह कहते हैं कि उसका ट्रेक्टर बिक सकता है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि इन्डियन केपिटिलिस्टों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास १५ जोड़ी हैं वह भी उतनी ही जमीन को काश्त करता है उसके लिये भी ऐसा ही होना चाहिये। कोआॅपरेटिव फार्मिंग सरकार पर निर्भर करती हैं। कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा भी आया है और मुझे यह महसूस हुआ कि काश्तकारों के पास १०० बीघा जमीन होती है और उस जमीन को वे लोग पूरी तरह से काश्त नहीं कर सकते हैं। वह जमीन पड़ी रहती है। मगर मैं यह कहूंगा कि यह भावना गलत है। किसी के पास पैसा है वह मशीन से काश्त करता है उसको यह एडवान्टेज मिलता हैं तो उसको भी वही मिलना चाहिये। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इर्रिगेशन और नोन इर्रिगेशन में जो असूल लागू किये हैं वह १:३ का रेशियो लिया है। इसमें आपने कूंओं को भी उसी में लिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आया कि दोनों की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर कैसे हो सकती हैं। नहरी जमीन वाले को कुछ भी इनवेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। लेकिन कूंए बनाने के लिये कम से कम ५ हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ इन्कम होती है। आप देखेंगे कि नहरी जमीन और कूंओं की जमीन में कितना फर्क है। उसको दोनों को बराबर मान लिया जाना उचित नहीं है। चाही हो या नहरी हो यह कहना कि ये दोनों बराबर होगी, ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो आंकड़े लिये गये हैं जिस बेसिस से लिये गये हैं उससे यह स्पष्ट है कि वह बेसिस ही बिल्कुल कमजोर है।

(घंटी)

मैं एक मिनिट में समाप्त करने जा रहा हूं।

इसके अलावा दूसरे यह भी आंकड़े नहीं हैं कि सीलिंग के बाद कितनी जमीन हमें मिलेगी और किस तरह हम उनको देंगे और देने के बाद क्या स्थिति होगी। यह मान लिया जाए कि हमको सीलिंग करना है, कीजिये। यह एक दूसरी बात है लेकिन मैं यह चाहूंगा कि सरकार यह नीति घोषित करे कि हम इस संबन्ध में क्या करना चाहते हैं।

इसलिये मेरा तो इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हर रिपोर्ट को दुबारा कन्सीडर किया जावे क्योंकि इसमें बहुत खामियें रह गई हैं, जिसका असर आगे जाकर पड़ने वाला है। इसलिये इसको दुबारा कन्सीडर करना बहुत जरूरी हैं। इसको दुबारा कन्सीडर करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम यह कहें कि लैन्डलैस व्यक्ति कहां जावेंगे तो मैं यह कहूंगा कि हमारे पास ४ करोड़ एकड़ जमीन पड़ी है। वह उनको दे दी जावे। बड़े बड़े लैन्ड लॉर्डस हैं। उनके पास कितनी जमीन है उसके फिगर्स तो सेंटलमेंट रेकर्ड में मालूम हो जावेंगे और देख लिये जा सकते हैं। इसके अलावा जिनको इन्कम टैक्स व एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देने पड़ते हैं उन पर सीलिंग कायम की जा सकती है। उन पर अगर आप चाहें तो आज ही सीलिंग कायम

Page No.37

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कर दीजिये। मगर दूसरों के लिये आपको सोचना होगा। क्योंकि आपके पास ४ करोड़ एकड़ जमीन है। ऐसी हालत में आपको इस सम्बन्ध में जल्दी क्या है। आपको जल्दी नहीं करनी चाहिये।

(घंटी)

श्री रघुवीरसिंह (जावली राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। राजस्थान के १८ महारथियों ने पांच बरस तक इसका मन्थन किया और उसके बाद यह सिलिंग कमेटी की रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट जो हमारे सामने है उसको देखने से मुझे यह लगता है अध्यक्ष महोदय, कि जो टर्म्स आफ रेफरेन्स इस कमेटी को दिये गये थे। उनकी तरफ इस कमेटीने ध्यान ही नहीं दिया। जो कुछ भी प्रीकन्सीड मिशन था या जो तस्वीर पहले बना रखी थी, उस सारी की सारी तस्वीर को इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर फिटइन कर लिया उस तस्वीर को पूरी तरह से वहां रख दिया। वास्तविकता को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। पहला जो टर्म ऑफ रेफरेन्स था वह था अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में जो कानून बने हैं, इन्क्वायरियां हुई या कमीशन्स बैठे उन्होंने जो कुछ काम किया उन सब मेटर पर विचार करके सब कानून कायदों को देखकर कमेटी यहां प्रोपोज करती, कमेटी यहां सुझाव देती कि राजस्थान के अन्दर सिलिंग किस प्रकार से आवे या सिलिंग की आवश्यकता है या नहीं।

मैं देखता हूँ कमेटी ने केवल हैदराबाद के विषय में कुछ उद्धरण दिये हैं इसके सिवाय अन्य राज्यों के किसी कानून को देखा तक नहीं उन कानूनों के सम्बन्ध में और दूसरे प्रान्तों के सम्बन्ध में कमेटी के क्या विचार हैं इस सम्बन्ध में एक अक्षर भी रिपोर्ट में नहीं कहा गया। इससे यह प्रतीत होता है कि जो कमेटी को कन्वीनियेन्ट लगा, जो विचार धारा उनको अनुकूल प्रतीत हुई उस लिटरेचर को उस कानून कायदे को पढ़कर कमेटी ने हमारे सामने सुझाव रख दिया।

प्रथम प्रश्न हमारे सामने है वह यह है कि आया राजस्थान में सिलिंग की आवश्यकता है या नहीं। कमेटी ने केवल एक ही दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में अपने सामने रखा। वास्तविकता को देखा जाय तो जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया था, कि राजस्थान में चार करोड़ एकड़ भूमि ऐसी पड़ी हुई है जिस पर कोई काश्त नहीं हो रही है। खैरी साहब ने भी जो रिपोर्ट दी है, उससे भी यह प्रतीत होता है कि करीब १ करोड़ ४७ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो सरकार के डायरेक्ट पजेशन में है यह इतनी भूमि है कि इसमें सिलिंग लागू करने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरी तरफ चार लाख केवल मजदूर हैं जो कृषक हैं उन्हीं में भूमि वितरण करना है, इस प्रकार से सीलिंग की जरूरत नहीं है। गवर्नमेन्ट के लिये यह आवश्यक था कि भूमि जो उनके पास है उस भूमि को इन चार लाख लोगों में बांट देते हैं तो फिर कोई भूमिहीन किसान रहता ही नहीं। इस आधार को ध्यान में रखकर विचार किया जाता कि हमें सिलिंग यहां लाना है या नहीं या अगर लाना ही है तो वह किस रूप में लाना है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमें

(श्री रघुवीरसिंह)

यह भी देखना है कि इस सीलिंग का प्रभाव किस समाज पर पड़ने वाला है उस समाज के भूत, भविष्यत और वर्तमान परिस्थितियों पर भी विचार करना पड़ेगा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के कृषक की इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया। वे दिन दूर नहीं गये, जब कि राजस्थान के कृषक की दयनीय दशा थी। आज से दस पन्द्रह साल पहले यहां के किसान की यह हालत थी कि उसे अपना लगान चुकाने के लिये ऋण लेना पड़ता था, जमीन बेचनी पड़ती थी, रहन रखनी पड़ती थी। कुछ कृषक तो ऐसे भी देखे गये जो मेरी जानकारी में है अपने बाल बच्चों की शादियां तक रोक करके लगान चुकाया यानि बाल बच्चों को बेचकर के लगान चुकाया और अपनी ज़मीन अपने पास रखी। वह समय बहुत पुराना नहीं, पन्द्रह बीस साल के भीतर का समय है। पन्द्रह बीस साल के भीतर राजस्थान के कृषिक की जो आर्थिक दशा थी उसको देखते हुए आज हम यह कहें, उनकी दशा सुधर गई है, उनके पास फालतू ज़मीन पड़ी हुई है इसलिये उनके पास से ज़मीन छीन ली जाय और उस ज़मीन को दूसरे आदमियों को दे दी जाय, इससे आर्थिक स्थिति में अन्तर नहीं आवेगा मैं समझता हूं यह उनके साथ बड़ा अन्याय और अत्याचार है। आज उस किसान के साथ जो आप और हमको रोटी खाने को देता है अन्न उपजाता है ? जो राष्ट्रका सब से बड़ा कार्यकर्ता है आज उसके साथ हम घोर अन्याय कर रहे हैं। आज हम उसको मीनीमम वेजेज़ भी उसको देने के लिये तैयार नहीं है। आज भी राजस्थान के कृषक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है केवल इतना समझ लीजिये। वह आज इस स्थिति में जरूर आ गया है कि वह अपना लगान बिना किसी खास दिक्कत के दे देता है। इतना अन्तर जरूर आया है। उसके जीवन स्तर में कोई अन्तर नहीं आया। वही साल की दो धोती वही दो कुर्ते न उसके बच्चे के लिये शिक्षा का प्रबन्ध और न दवा दारू का। राजस्थान का कृषक अगर बीमार हो जाता है तो बिना दवा दारू के ही वह मौत के घाट उतर जाता है। इसलिये यह कहना कि राजस्थान के कृषक का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है, धोखे की बात होगी।

एक अकाल का वर्ष आ जाने पर भी राजस्थान के कृषक की जो हालत हो जाती है वह किसी से छिपी नहीं है। परसों की ही बात है, बांसवाड़ा में अकाल के सम्बन्ध में वक्तव्य सरकार द्वारा दिया गया, उसमें कहा गया है कि वहां के लोग अकाल के कारण भूखों मर रहे हैं। अगर सकार द्वारा सहायता नहीं मिलती तो कदाचित लोग भूखों मर कर मौत के घाट उतर जाते। यहां केवल एक वर्ष अकाल पड़ जाने पर भी कृषक की ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि वह अपनी हालत को संभाल नहीं सकता। वैसी हालत में यह कहना कि राजस्थान के किसान का जीवन स्तर उठ गया है। मैं समझता हूं यह बहुत ही गलत धारणा होगी।

इस रिपोर्ट के अन्दर कमिटी ने जो ऊपज आदि का खर्चा लिखा है वह भी इमेजीनरी है केवल खयाल ही है। वास्तविक तौर पर कुछ भी विचार नहीं किया गया केवल यह कह कर कि खेत में बीज डालने से उसके इनकम बन जाती है, मैं समझता हूं उनका यह ख्याल एक बहुत बड़ा धोखा है। क्या खेत में बीज डालते ही अपने आप

(श्री रघुवीरसिंह)

खेत में पैदा हो जाता है, कृषक को और कोई खर्च नहीं करना पड़ता क्या उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तरफ उसको लगान चुकाना पड़ता है दूसरी तरफ आप कहते हैं कि खेत में बीज डाल दीजिये घर में आकर नाज पड़ जाता है। ऐसे ही विचार इस कमेटी के मालूम पड़ते हैं। मुझे प्रेक्टिकल फार्म का अनुभव है। एक साथ सिलिंग करने के बाद हमारा आदर्श फार्म होगा मेरे ख्याल के मुताबिक सात एकड़ चाही और तीस एकड़ बारानी होगी। एक फार्म में इस तरह से ७ एकड़ चाही और बीस एकड़ बारानी का जो बजट होगा और हो सकता है। आय–व्यय का जो लेखा हो सकता है वह इस प्रकार है।

सात एकड़ चाही भूमि में ६० मन गेहूं पैदा करते हैं तो उसकी कीमत ११०० रुपये होती है। उसी तरह से ६० मन भूसी पैदा होगी जिसकी कीमत २००) रुपये।

इसी प्रकार १० एकड़ में बाजरा, जवार हुआ तो उसका ६००) रुपया हुआ। इसमें से ४००) रुपये का नाज और २००) रुपये का चारा।

१० एकड़ में चना यदि बोते हैं तो चने की पैदावार जो होगी वह करीब ७० मन के करीब होगी उसकी कीमत आप ७०० रुपये मान लीजिये। इस तरह से सारे फार्म की आमदनी को भी हम मिलाते हैं तो वह सारी आमदनी मिलाकर भी २६०० रुपये से ज्यादा नहीं बैठती। अब उस आमदनी के खिलाफ यह कुल आदमनी है। यह नहीं है कि उसमें घास, चारा और कोई चीज निकाल ली हो। यह सारे फार्म की आमदनी है। वह २६००) रु० के आसापास होगी। उसके मुकाबले में लागत होगी जिसमें ७० चाही का और ६० बारानी जमीन का पर बीज की कीमत १३० रुपया खाद अलग कुल ७ एकड़ भूमि जो है वह चाही करेगा उसमें १००) रु० का होगा। इस प्रकार से उसको दो जोड़ी बैल रखने पड़ेंगे १० बीघा चाही सींचने के लिए और उन दो जोड़ी बैलों की लाग कम से कम ८ आना प्रति बैल के हिसाब से करेगा तो उसका ६०) रुपया महीना होगा या ७२०) रु० होता है। इन दो जोड़ी बैलों से कुंआ आदि चलाने के लिए चार आदमियों की जरूरत होती है। इन चार आदमियों का साल भर का खर्चा अगर हम १ रु० फी आदमी भी उनकी मजदूरी लगायें तो १४४०) रु० की लागत आती है तो फिर उसके घर में क्या रहता है। यह कहा जाय कि ४ आदमी घर के काम करते हैं तो यह १४४०) रु० उसका प्राफिट समझ लें, उसकी आमदनी समझ लें, उसकी कमाई समझ लें। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो आदमी, जो काश्तकार, जो राजस्थान का काश्तकार चोटी-से एड़ी तक का पसीना साल भर तक बहाता है तब उसकी ३०) रु० महीने की तनख्वाह दिखती है। तो मैं कहता हूं कि हम कैसे जस्टीफाई करें कि २००) रु० माहवार लें। हम कैसे जस्टीफाई करें कि ऊँची-ऊँची कुर्सियों पर बैठकर १ हजार रुपये की तनख्वाह लेते हैं। यहां कई बार कहा जाता है कि फोर्थ क्लास सर्वेन्टस की तनख्वाह बहुत कम है। फोर्थ क्लास सर्वेन्टस की तनख्वाह इनसे कम नहीं दी जाती है। जो ५०) रु० दिये जाते हैं वह बहुत कम है। काश्तकार सुबह से शाम तक १२ घन्टे लगा रहता है उसके बाद में उसको तनख्वाह मिलती है ३०) रु० महीना। यह हैं आपके फिगर्स इसी ४० एकड़ के।

(श्री रघुवीरसिंह)

इसके अलवा राजस्थान के पूर्वी जिलों के लिए, अलवर-भरतपुर के लिए सीलिंग की दरमुकर्रर करते हैं । तो मैं निवेदन करता हूं कि सीलिंग में ५२) रु० फी एकड़ के हिसाब से २४००) रु० मिल जायेगें । मैं निवेदन करता हूं और सजेस्ट करता हूं कि यह जो फीगर्स दिये हैं । इनके लिए कोई एग्रीकलचरिस्ट यह कह दे कि ठीक नहीं है, यह हो सकता है कि १०० इधर या १०० उधर हो सकते हैं, लेकिन हजार दो हजार का घोटाला हो ऐसी बात नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि अगर इन फिगर्स के हिसाब से देखा जाय सीलिंग से जो फार्म की अवधि नियत की गई है, जो रेट मुकर्र की गई है उस फार्म के ऊपर १००) रु० की मजदूरी के रूप में मिलते हैं । काश्तकार को एक रुपये प्रति दिन की मजदूरी के अलावा और कोई अधिक नहीं बचता है । उनको मैं एक रुपया पाने वाला मजदूर कहूंगा । यदि कोई कुंआ टूट गया तो मरम्मत किस से करेंगे । कहां से कर्जा चुकायेंगे । अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करेंगे कहां से ? बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं तो कहां से इलाज का प्रबन्ध करेंगे ? यह पूरा सोचने का विषये है ।

इसके अलावा मेरे ख्याल से आज जितनी उपज मनुष्यों की हो रही है, उस रेट से कोई भी उपज नहीं हो रही है तो संभव है कि दो साल बाद जिस फेमिली में पांच आदमी कूतते हैं वहां ७ सात आदमी हो जाते हैं या ६ आदमी हो जाते हैं । अगर वे ७ या ६ आदमी हो जायेंगे तो उनको रोजीदार करने के लिए कहां से जमीन दी जायगी । उनका भरण पोषण किस से होगा ? यह बहुत ही विचारणीय विषय है ।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो आंकड़े दिये गये हैं यह बिल्कुल भ्रमात्मक है । असलियत से बहुत दूर हैं । इसलिए असलियत से दूर आंकड़ों के ऊपर राजस्थान के कृषकों के भविष्य का निर्माण कराया जा रहा है । तो मैं समझता हूं कि बड़ा धोखा होगा और वह दिन दूर नहीं कि यहां कोई एग्रेरियन एजीटेशन शुरू करें, जिससे हमारी पीस और टेंक्विलिटी को बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा । इसलिए मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इस गम्भीर विषय में बहुत गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए । इस गम्भीर विषय पर सोचना चाहिए । केवल नारों के आधार पर यह कह दें कि यह सामाजिक न्याय है, यह सोशल इकानामी है कि हमको सीलिंग लाना चाहिए, ठीक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह कौन सी सोशल इकॉनामी है । वह आपकी सोशल इकोनोमी जहां आप अरबन पापुलेशन को डील करते हैं तब कहां चली जाती है ? आपके शहरों में एक एक व्यक्ति अगर ५०,५० मकान रख सकता है, एक एक व्यक्ति २५, २५ दूकानें रख सकता है उस वक्त सोशल इकोनोमी आपकी कहां चली जाती है । घरों को दूर जाने दें, मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी एक एक हज़ार शेयर फेक्ट्री के खरीद सकता है, उस पर आप नियन्त्रण नहीं लगा सकते हैं । तो एक एग्रीकल्चरिस्ट जो सबेरे से शाम तक दुःख पाता है उसकी आमदनी के साधन को किसी हद तक सीमित करे, यह कितना अन्याय होगा न कि कोई समाजिक न्याय होगा । मैं कहना चाहता हूं कि कम्प्लीटली कन्ट्रोल्ड चीज़ हो । आज सरकार के हाथ में पूरी सत्ता है । यही नहीं दूसरी तरफ देखिये कि बसेज़ और ट्रक्स के एक, एक आदमी के

Page No.41

(श्री रघुवीरसिंह)

पास ५,५ ६,६ परमिट्स ७,७ और १०,१० परमिट्स होते हैं। एक एक व्यक्ति उन पर १०,५ या २० हज़ार और ५,० हज़ार रुपये तक कमा रहा है। वे परमिट्स आपके यहां से इश्यू होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मन चाहा वह आदमी इसको कर सकता है। वहां सोशल जस्टिस के आधार पर कुछ और होता है। वहां आपका सोशल जस्टिस चेक और नोटों के बोझ में दब जाता है, सोशल जस्टिस एक मज़दूर पर होता है, जिन गरीब किसानों के पास कुछ नहीं है वह कृषक आपके सोशल जस्टिस का टारगेट बना हुआ है।

अब मैं निवेदन करूंगा कि मैंने देखे हैं, फिगर्स जो कि कलेक्ट किये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं समझ सका हूं कि कैसे कलेक्ट किये गये, हैं। अलवर ज़िले में जहां से मैं खास तौर से अच्छी तरह से परिचित हूं, वहां पर ३,२५,८४० व्यक्ति तो ऐसे ऐसे हैं जो कि अपनी ज़मीन पर आप काश्त करते हैं। ३, ७८,६७३ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दूसरों की ज़मीन पर काश्त करते हैं। अब स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि यह फिगर्स गलत मालूम पड़ते हैं। अगर सही माने जाते हैं तो इसमें दोष गवर्नमेंट का है कि वह दूसरे की ज़मीन कहलाती है। वास्तविकता ऐसी है कि दूसरों की ज़मीन इसलिए है कि दूसरे लोगों की ज़मीनें मेवों के चले जाने से खाली हुई हैं। उसमें शरणार्थी, पुरुषार्थी लोग पंजाब से आकर बसे हैं। वहां सरकार ने भूमि पर अधिकार नहीं दिये हैं तो यह संभव होगा कि वे अपनी ज़मीन पर काश्त नहीं करते हैं और दूसरों की ज़मीन पर काश्त करते हैं। यह मेरी समझ के बाहर है। जहां प्रीजेन्ट प्रायरिटी सिस्टम ऐसा लगाया कि आधे से ज्यादा आदमी दूसरों की ज़मीन पर काश्त करते हैं यह कुछ समझ में बैठने वाली बात नहीं है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह जो आंकड़े दिये गये हैं वे भ्रमात्मक हैं। इनके आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचे तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत गलत कदम उठाये जायेंगे और उस गलत कदम का नतीजा भावी जनरेशन को भुगतना पड़ेगा।

अब मैं इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कमेटी के सुपुर्द हुआ था उसके बारे में कमेटी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है।

१०म०पू०

(डॉ० चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

यह विषय सभानेत्री महोदया, सबसे जटिल है। सीलिंग लगा दी लेकिन सीलिंग लगाने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि बिना सलिंग किये ही भूमि वितरण की क्या योजना है? सरकार ने भूमि वितरण किस प्रकार से किया है। मुझे प्रेक्टिकल अनुभव है कि जो मेवों की छोड़ी हुई ज़मीन है मत्स्य में और जो शरणार्थियों को दी गई है। आज सरकार को उन्हें बसाये हुए १० वर्ष हो गये हैं, लेकिन १० वर्ष के अन्दर कोई स्थिर नीति कायम नहीं हुई है। आज एक व्यक्ति को एक गांव में इस साल एलॉट हो जाती है तो उसी आदमी को दूसरे साल दूसरे गांव में एलॉट होती है और वहां से रिजेक्ट हो जाती है।

(श्री रघुवीरसिंह)

मैं समझता हूं १० साल से जो लोग वहां पर आबाद हैं उन शरणार्थियों को आज भी शरणार्थी बना रखा है। न उनको ज़मीन पर हक दिया है और न ही पर्मानेन्ट अलाटमेंट हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि राजस्थान सरकार केपेबल है, किस प्रकार वह ज़मीन का वितरण करेंगे और किस प्रकार ज़मीन के कारण जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकेगी। वहां पर एक पट्टा कमेटी बनी हुई है ज़मीन का वितरण करने के लिये उसमें जो भ्रष्टाचार जारी है उसको उससे सम्बन्धित लोग भली प्रकार से जानते हैं, उसमें पब्लिक के लोग भी मेम्बर्स हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज से १० वर्ष पहले रोटी खाने का और कपड़े पहनने की गुंजायश नहीं थी, आज उनके बड़े बड़े महल और मकान बन रहे हैं। ये सब कहां से बनते हैं ? पट्टा कमेटी का भला हो जिससे उनका गुजर चलता है। जहां यह हाल है वहां हम यह सोचते हैं कि तीन चार करोड़ एकड़ भूमि का वितरण सहज ही में कर पायेंगे यह कैसे होगा। मैं निवेदन करूंगा कि सीलिंग की लेवल निश्चित करने से पहले कार्यवाही यह करनी चाहिये थी कि जो ज़मीन आज मौजूद है उसको किस प्रकार से वितरण करने की कोशिश करते, उस ज़मीन को किस प्रकार बांटेंगे जिसको लोग लेते नहीं हैं। मुझे दुःख इस बात का है कि सीलिंग कमेटी ने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला। इसलिये नहीं डाला कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अपने ही हाथ में बनी रहे और सरकार जैसा चाहे वैसे कानून बनाले वरना कोई वजह नहीं थी ५ साल के बाद भी यह कहने का मौका मिलता कि हम विचार नहीं कर सकते। पांच वर्ष में भी जब आप विचार नहीं सकते तो एक वर्ष में कैसे सीलिंग लागू कर लेंगे और कार्यवाही कर लेंगे, यह समझ के बाहर की बात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह सारी रिपोर्ट दूसरी कमेटी के सुपुर्द की जाय जो पुनर्मुसिकोभव: की कहावत के अनुसार फिर से विचार किया जाय तब तो सारे राजस्थान का भला होगा वरना इस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट की ओर कदम बढ़ाया और इसके अनुसार कार्यवाही की तो हम, ऐसे अन्धेरे में फंस जायेंगे जिसमें से निकलना मुश्किल होगा और हो सकता है कि यहां रिवोल्युशन हो, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको रद्दी की टोकरी में डालना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : माननीय सदस्य श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : माननीय सभानेत्रीजी, कल से इस सदन के अंदर सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर वाद विवाद हो रहा है। सन् ५३ के नवम्बर मास में राजस्थान सरकार ने एक सीलिंग कमेटी का निर्माण किया और उसको आदेश दिया कि भारत के अन्य राज्यों में सीलिंग के सिलसिले में जो कानून बने हैं या इस बारे में जो प्रयास हो रहा है उस पर सोच विचार करके सरकार को सिफारिश करे कि आया राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार का या इससे भिन्न एग्रेरियन रिफोर्म्स या सीलिंग कानून बनाने की आवश्यकता है या नहीं। इस कमेटी ने फरवरी सन् १९५८ में अपनी रिपोर्ट सरकार

(श्री सज्जनसिंह)

के समक्ष पेश की। जैसा कि मैंने निवेदन किया कल से कमेटी की रिपोर्ट पर वाद विवाद हो रहा है। मैं भी अपने विचार इस सिलसिले में प्रगट करने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

सभानेत्रीजी, हमको यह देखना है कि इस कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं वे राजस्थान के कृषि व्यवसाय और कृषक समाज के वास्ते, उनका हित साधन के अंदर कहां तक सार्थक होती हैं और जिन लक्ष्यों को लेकर हम सोशियल समाज का निर्माण करना चाहते हैं उसके अंदर इन सिफारिशों का कहां तक औचित्य है और हमारा किस प्रकार सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिये इसमें क्या दृष्टिकोण रखा है तथा जिस उच्च स्तर की कल्पना करके हम चल रहे हैं तथा देश में कृषि व्यवसाय को वैज्ञानिक तरीके से उन्नत करके और देश को समृद्धिशाली और न केवल आत्म निर्भर बनाने के लिये बल्कि विदेशी विनिमय को उपार्जित करने के लिये हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें कहां तक सार्थक होते हैं। इन दृष्टिकोणों से हमको इस पर विचार करना है।

सभानेत्रीजी, हमें साथ साथ यह भी देखना है कि इन सिफारिशों के द्वारा किसी वर्ग विशेष के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव तो नहीं हो रहा है। कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त के अनुसार जैसी समान व्यवस्था समाज मात्र के लिये करना चाहते हैं उसके अंदर यह कहां तक हमको मदद देती है। साथ ही साथ समाज कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना करके चलते हैं, आज के युग में जो बहुत बड़ी विषमता है उसको मिटाकर कम से कम विषमता के स्तर तक पहुंचना चाहते हैं उसके अंदर ये सिफारिशें कहां तक सार्थक होंगी।

इस विषय पर कल से माननीय सदस्य कई पहलुओं पर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उन्हीं पर मैं दुबारा विचार प्रकट करके सदन का समय नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करूंगा। मैं केवल अपने विचार इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर दो तीन बातें आपके द्वारा सदन के सामने रखने का प्रयत्न करूंगा।

सर्व प्रथम सभानेत्रीजी, मैं इस पॉइन्ट को देखना चाहता हूं कि आया राजस्थान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीलिंग किया जाना आवश्यक है या नहीं, यह है प्रथम पॉइन्ट। दूसरा पॉइन्ट यह होगा कि आया जो उच्चतर स्तर इस कमेटी ने कृषक वर्ग या काश्तकारों के लिये तज़वीज किया है वह कहां तक उचित है। इन दोनों चीज़ों पर अपने विचार प्रकट करने के बाद अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इन तथ्यों के ऊपर किस प्रकार समाज के साथ इन सिफारिशों के द्वारा कल्याणकारी राज्य के आधारभूत सिद्धान्त हैं उनके अनुसार कहां तक न्याय होगा।

मैं सबसे पहले इस प्रश्न को लेता हूं कि आया राजस्थान में सीलिंग की आवश्यकता है या नहीं। मेरे से दो तीन पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर प्रकाश डाला है, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा. केवल दो तीन बातें समझ में आई हैं उन पर विचार प्रकट करूंगा।

(श्री सज्जनसिंह)

सभानेत्री महोदया, जैसा मेरे से पूर्व कई माननीय वक्ताओं ने सदन के सामने निवेदन किया कि राजस्थान के अन्दर काश्त के काबिल ज़मीन है, वह इतनी बाहुल्य में है, इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कि उसको देखते हुए, उस पर विचार करते हुए, राजस्थान के अन्दर सीलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने निवेदन करूंगा। सभानेत्रीजी, आइ एम सोरी, सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर माननीय राजस्व मंत्रीजी ने १ करोड़ ३० लाख एकड़ ज़मीन काबिले काश्त बताई है, यह बिल्कुल गलत है, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह पता नहीं कि यह किस आधार पर दिया गया है। मैं जो आंकड़े निवेदन कर रहा हूं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वाटरली डाइजेस्ट ऑफ इकॉनोमिक्स एन्ड स्टेटिसटिक्स और डाइरेक्टोरेट ऑफ इकॉनोमिक्स एन्ड स्टेटिसटिक्स, राजस्थान में जो प्रकाशित किये गये हैं, उनके आधार पर राजस्थान में जो लैंड रेवेन्यू एवं लैंड रेकॉर्ड है, उसमें से से निवेदन करना है। मैं जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, वह सही होने चाहिए। सभानेत्री जी, जैसा मैंने निवेदन किया राजस्थान के अन्दर इस वक्त कृषि योग्य भूमि, जो उपलब्ध है, वह १ करोड़ ७६ लाख ३० हज़ार एकड़ है। इसके अलावा राजस्व मंत्री महोदय ने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि १ करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है, इसके अन्दर से ७८ लाख एकड़ भूमि ऐसी है, जो रेतीली है, जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर इन ज़िलों के अन्तर्गत आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रेतीले क्षेत्र में से ६० लाख एकड़ भूमि राजस्थान केनाल और भाखरा केनाल के आ जाने से अब सिंचित होने वाली हैं। इसलिए उनके कहने के माफिक यह मान भी लिया कि राजस्थान में ७८ लाख एकड़ भूमि रेगिस्तानी है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इन प्राजेक्ट्स के सम्पूर्ण होने के बाद उसमें से ६० लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्दर आ जायगी और वह भी दो फसली हो सभानेत्रीजी, सीलिंग कमेटी ने जो १:३ का रेशियो स्वीकार किया है, इर्रिगेटेड और बारानी का, उसी के आधार पर इस ६० लाख एकड़ ज़मीन सिंचित ज़मीन को मैं अगर बारानी में कन्वर्ट करूंगा तो १ करोड़ ८० लाख ज़मीन और मिलती है। इसको और कल्चरेबल भूमि को जोड़ कर हम चलते हैं तो हमारे पास ३ करोड़ ६६ लाख ३८ एकड़ भूमि हो जाती है, मैं समझता हूं यह पर्याप्त है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय....सभानेत्री महोदया।

(हंसी)

मैंने उस ज़मीन को शामिल कर लिया है, जो पांच एकड़ के नीचे की संख्या में काश्तकारों के पास है, उनके कब्जे में है, वह होगी २८ लाख १३ हज़ार २०६ एकड़ भूमि। अगर इस ज़मीन को और ३ करोड़ ६६ लाख ३८ एकड़ भूमि को मिलाते हैं तो हमारे पास कुल ज़मीन ४ करोड़ ७ लाख ५१ हज़ार एकड़ ज़मीन होती है। सभानेत्री महोदया, पांच एकड़ के नीचे होल्डिंग वाले जो काश्तकार हैं, जिसकी गणना इस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में दी है, उस सबको मैंने जोड़ कर हिसाब लगाया है कि ऐसे परिवार १३ लाख २ हज़ार ३३० होते हैं। इन १३ लाख २ हज़ार ३३० परिवारों के अन्दर जब

(श्री सज्जनसिंह)

हम ४ करोड़ ७ लाख ५१ हज़ार एकड़ ज़मीन को बांटते हैं तो हमारे पास ३३ एकड़ ३।४ ज़मीन प्रति परिवार को बांटने को मिलती है। मैं इन आंकड़ों के आधार पर, आपके द्वारा, सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की इस विशेष परिस्थिति के अन्तर्गत सीलिंग करने की कहां तक आवश्यकता है, यह मैं स्वयं राजस्व मंत्री और सरकार के विचार के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन अगर ३३ एकड़ ज़मीन प्रति परिवार के लिए हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण ऐसा नहीं समझ पाता कि हम फिलहाल इस सीलिंग के प्रश्न को मुलत्वी न कर दें। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस ज़मीन को काश्त करने के लिए हम आदमी कहां से लायेंगे? मेरा निवेदन यह है कि इस ज़मीन को आबाद करने के लिए हमको राजस्थान से ही काश्तकार प्राप्त करने हैं। कारण यह है कि जिन योजनाओं को राजस्थान सरकार को कार्यान्वित करना है, उनसे राजस्थानियों का पहले हित होना चाहिए और जैसा यहां बतलाया जा रहा है कि यह भूमिहीन काश्तकारों की अनइकॉनोमिक होल्डर्स की बड़ी जटिल और एक्यूट समस्या है, मैं नहीं समझता कि इतनी भूमि उपलब्ध है, उन सबको सरकार द्वारा इन अनइकॉनोमिक होल्डर्स में, भूमिहीन काश्तकारों में बांटने के अन्दर क्या आपत्ति हो सकती है? अब दलील यह दी जाती है कि लोग अपने ज़िलों को, अपने घरों को, अपने देश को छोड़ कर जाना पसन्द नहीं करेंगे। सभानेत्री महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतवर्ष के काश्तकार उगाण्डा, केनिया, और मोरीसस के अन्दर काश्त करने के लिए गये हैं। इसके अलावा हमारे पास ही उदाहरण मौजूद है कि राजस्थान के अन्दर एक्स ज़ागीरदार, जिनके पास काश्त के काबिल ज़मीन नहीं थी, उन लोगों को उस एरिया में ज़मीन दी गई है, और वे वहां आबाद हुए हैं। मैं नहीं समझ सकता कि राजस्थान के काश्तकारों के सामने क्या कारण है, जिसकी वजह से वे कृषि योग्य भूमि, जो राजस्थान के किसी कोने में है और जो बहुत जल्दी ही हरीभरी और दो फसली होने वाली है, वहां जाकर आबाद होने में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति होगी। मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकार को यदि सरकार की तरफ से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करवाई जाय और वहां पर होने वाला वैभव और प्रोसपेरिटी होने वाली है, उसका थोड़ा ज्ञान उनको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा करवायें तो मैं समझता हूँ उन्हें वहां बसने में आपत्ति न होगी। इसके अलावा मेरी मान्यता है और सुझाव है कि सरकार ऐसे ज़िलों के अन्दर से, जहां अनइकॉनोमिक होल्डिंग है और भूमिहीन किसान हैं, वहां के आदमियों को ले जाकर हमारे गंगानगर के एरिया को उनको दिखायें, तो मैं समझता हूँ कि उनके ध्यान में यह चीज़ आ सकती है कि पानी आने के बाद वह ज़मीन किस तरह सोना उगलने लगेगी और किस तरह आर्थिक स्थिति ठीक होगी और किस तरह जीवन सुखमय हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि राजस्थान के भूमिहीनों की समस्या और अनइकॉनोमिक होल्डिंग की समस्या सोल्व करने के लिए मेरा यह सुझाव है और मेरी मान्यता है कि जो मैंने १३ लाख २ हज़ार ३३० परिवार अनइकॉनोमिक होल्डिंग के आपके सामने प्रस्तुत किये हैं और जिनका मैंने हिसाब लगा कर निवेदन किया है कि ३३ एकड़ भूमि प्रति परिवार को

(श्री सज्जनसिंह)

मिल सकती है, यदि उनको आबाद किया जाय, तो मेरी निश्चित मान्यता है कि यह समस्या आसानी से हल हो सकती है। इसका दूसरा पहलू है, सभानेत्रीजी, कि सरकार सीलिंग के द्वारा जिन लैंड होल्डर्स से ज़मीन प्राप्त करने जा रही है, आखिर उनको मुआवज़ा देना पड़ेगा, मुआवज़ा देने के बाद ही ज़मीन ली जा सकती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार भूमिहीनों को, अनइकॉनोमिक होल्डर्स को बसाने के लिए, सरकार जो रुपया मुआवज़ा देने में खर्च करेगी, उनको रिहेबलिटेट करने के लिए खर्च करें, तो एक प्रयास के अन्दर दोनों समस्याएं सुलझ सकती हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे पास राजस्थान के अन्दर ज़मीन का इतना बाहुल्य है कि हमको इस समय सीलिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है ?

एक पोइन्ट इस विषय में..आपको जल्दी है शायद, लेकिन मैं काश्तकारों के बारे में अपने विचार प्रगट कर रहा हूँ। जब आप लोग बोल रहे थे तो हमने बोलने दिया है। मेरा विश्वास है कि आप मुझे बोलने का समय देंगे..। सभानेत्रीजी एक पॉइन्ट, जिसको मैंने टच नहीं किया है वह है भूमिहीन काश्तकार, एग्रीकल्चरल लेबर्स के बारे में। राजस्थान में साढ़े तीन लाख के करीब भूमिहीन एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। सभानेत्रीजी, राजस्थान में कृषकों की जन-संख्या के अनुपात के अनुसार भूमिहीनों की, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की पर्सेन्टेज़ ४.३८ आ जाती है। जब कि मैं निवेदन करूंगा कि इन एग्रीकल्चरल लेबरर्स का पर्सेन्टेज़ मद्रास में ५.३ पर्सेन्ट, मैसूर में ४२ पर्सेन्ट, केरल में ३६.५ पर्सेन्ट, मध्य प्रदेश में ३१ पर्सेन्ट, हैदराबाद में ४२.१ पर्सेन्ट, बिहार में ३६.६ पर्सेन्ट है। सभानेत्री जी, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर्सेन्टेज़ को देखते हुए राजस्थान का यह ४.३८ का पर्सेन्ट, मैं समझता हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसके लिए राजस्थान के अन्दर हम लोग इतने चिन्तित हों कि भूमिहीन काश्तकारों की समस्या हमारे सामने जटिल है। मेरी मान्यता है, सभानेत्रीजी, अगर कृषि के अन्दर ४, ५ पर्सेन्ट का अनुपात एग्रीकल्चरल लेबरर्स का होना बहुत आवश्यक है। फिर अब इस दृष्टिकोण से भी देखिये कि हमारे यहां इन लेबरर्स की आर्थिक अवस्था दूसरे प्रान्त के लेबरर्स के मुकाबले कैसी है ?

सभानेत्रीजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां राजस्थान के कृषक श्रमिक की एग्रीकल्चरल लेबरर की ५०८ रुपया सालाना आमदनी है, यू. पी. के कृषक श्रमिक की सालाना आमदनी भी ५०८ रुपया है, पंजाब के कृषक श्रमिक की सालाना आय ३६६ रुपया है, और २५२ रुपया सालाना आय बिहार और अन्य प्रदेशों के कृषक श्रमिक की है, तो इन आंकड़ों के आधार पर भी आप देखेंगी कि राजस्थान का कृषक श्रमिक दूसरे प्रान्तों के कृषक श्रमिक से ज्यादा कमाता है और दूसरे प्रान्तों के कृषक श्रमिकों से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि इस लैंड लैस एग्रीकल्चरिस्ट्स की समस्या का हल करने के लिये भूमि की समस्या, भूमि का वितरण पर्याप्त, उपयुक्त और पर्मानेंट हल नहीं हो सकता।

मैं आपके सामने उस एक वैदेशिक विद्वान् का जिन्होंने बैंकिंग एन्क्वायरी कमेटी

(श्री सज्जनसिंह)

के सामने अपना मत दिया है, इस समस्या के समाधान के लिये उनके विचार प्रकट कर के अर्ज करूंगा कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे प्रान्त की है उसके लिये प्लान इन्ड-स्ट्रियलाइजेशन से ही समाधान हो सकता है, ज़मीन के बंटवारे से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मान भी लिया जाय कि एक थोड़े से समय के लिये उनकी समस्या का हल कर देंगे पर जिस अनुपात से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उससे १० साल बाद हमारे सामने यह समस्या और भी भीषण रूप में आने वाली है। जब आइन्दा १० वर्ष के बाद इस कटुता के साथ यह समस्या आपके सामने आयेगी तो फिर आपके पास और ज़मीन कहां से आयेगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन बढ़ते हुए लैंड लैस कृषक श्रमिकों के लिये इनकी समस्या का प्लान इन्डस्ट्रियलाइजेशन ही हल कर सकता हैं, तो क्यों नहीं हम अभी से ही इस समस्या के समाधान के लिये प्लान इन्डस्ट्रियलइज़ेशन के साधन अपनायें।

(कुछ क्षण विराम के अनन्तर अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सज्जनसिंह : I am still speaking.

श्री रामचन्द्र : माननीय सभानेत्री महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : आप धैर्य रखिये, अभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मैं इसीलिए खड़ा हो गया था कि शायद आपके ध्यान में आ जावे।

श्री सज्जनसिंह : सर मेक डुगाल ने नोट पेश किया था, उसका उद्धरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ: The problem is to change the lop-sided occupational distribution with its excessive concentration on agriculture to a more balanced distribution which would increase the number of employees in industries-large and small, services and professions. In Europe, the growth of population between 1879 and 1930 was 64 percent as compared to 31 percent in India, but those countries devised methods to avoid mal-adjustment in the national economy." इस आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक्स्पर्ट लोगों की राय है तो भूमिहीन कृषक श्रमिकों की समस्या का लैंड से ही हल करना उचित नहीं। जैसा कि कल मेरे मित्र ने कहा था कि जो ज़मीन मौजूद है उसके सीमित होते हुए, बढ़ती हुई जन संख्या के कारण इसे कैसे हल कर सकेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सज्जनसिंह : Is my time up?

श्रीमती सभानेत्री : दो मिनिट में पूरा कर दीजिये।

श्री सज्जनसिंह : सभानेत्री जी मेरे लिये ५ मिनिट नाकाफी हैं, मैंने अभी तो एक पोइन्ट लिया है कि सीलिंग करना आवश्यक है कि नहीं अभी मुझे इस

(श्री सज्जनसिंह)

अहम मसले पर काफी बोलना है, जो २४०० रुपयों की आय की उच्चतर सीमा निर्धारित की है उस पर मुझे बोलना है । यदि आप समय देना पसंद करें तो मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा वरना मैं बैठ जाऊंगा ।

(मांग स्वीकृति के पश्चात)

सभानेत्रीजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी यह दलील कि हमारी बढ़ती हुई भूमिहीन किसानों की समस्या का समाधान भूमि द्वारा ही होना चाहिये, यह हमारी बढ़ती हुई जन संख्या को ध्यान में रखते हुए एक ठीक सोल्यूशन नहीं है । बल्कि वास्तविक सोल्यूशन जैसा कि मैंने अभी एक विद्वानका मत ज़ाहिर किया बेलेन्स्ड इन्डस्ट्रियेलाइज़शन से ही हल होगा ।

जिस चीज को ले कर कहा जाता है कि राजस्थान में भूमिहीन कृषक श्रमिकों की समस्या बड़ी विकट है, मैं समझता हूँ इन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने के बाद इस दलील में तथ्य नहीं रहता । मैं तो यही कहूंगा कि यह केवल पोलिटिकल स्लोगन मात्र है और कोई तथ्य इसमें नहीं है ।

राजस्थान में इन परिस्थितियों के होते हुए अभी सीलिंग किये जाने की आवश्यकता नहीं है । यदि आगे चल कर ऐसी आवश्यकता हो तो किया जा सकता है, वैसे हम सीलिंग सब स्वीकार कर चुके हैं, करते हैं और मानते हैं फिर भी राजस्थान की विशेष परिस्थितियों के आधार पर मैंने निवेदन किया है अभी राजस्थान में सीलिंग की आवश्यकता नहीं है । सभानेत्री महोदया, मैं राजस्थान के कृषि समाज के लिये, उनकी भावी बहबूदी के लिए और उनका उच्च स्टेन्डर्ड कायम करने के लिये कमेटी ने जो २४०० का स्टेन्डर्ड मुकर्र्र किया है इसके बारे में अपने विचार आपके द्वारा उस सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा ।

जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं इस कमेटी के द्वारा २४०० रुपयों की आय राजस्थान के किसानों के लिये मुकर्रर की है, कृषकों को जो ज़मीन के अलावा, दूसरे साधनों से जो आमदनी होने वाली है जैसे पानी, पाला, लूंग, पापड़ी, रख्त वगैरह भी शामिल किये हैं, गाय भैंस के ज़रिये से जो आमदनी पैदा होने वाली है, उसको भी इस २४०० रुपयों में शामिल किया है ।

दूसरे मैं निवेदन करूं कि जिस समय यह २४०० की आमदनी निर्धारित की गई, हमारी इस विद्वान् सीलिंग कमेटी ने यह स्वीकार करते हुए कि राजस्थान में फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमीन बहुत अधिक है, उनके उद्धरणों को पढ कर बताना चाहता हूँ कि इसकी गुरुता को कहां तक उन्होंने स्वीकार किया है ।

(कुछ क्षणों के विराम के अनन्तर)

खैर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ी है और वे मानते हैं कि कमेटी ने मत दिया है कि राजस्थान में फ्रिक्वेन्सी ऑफ फेमिन है । साथ ही साथ एवरेज स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग अपने आंकड़ों से प्राप्त किया है, उसके आधार पर यह २४०० रुपयों का उच्चतर सीलिंग किया है

(श्री सज्जनसिंह)

वह उन आंकड़ों पर आधारित नहीं है, आधारित है तो जैसलमेर के ८०० रुपया के स्टेन्डर्ड आफ लिविंग के आधार पर मुकर्रर किया है। सदन के प्रत्येक सदस्य को अनुभव होगा कि जैसलमेर में रहने वाले किसान का स्टेन्डर्ड क्या हो सकता है, वहां कितने साधन उपलब्ध हैं और दूसरी जगह कितने साधन उपलब्ध हैं। जयपुर में १३०० रुपया सालाना का है। सवाई माधोपुर और नागोर का भी १३०० का है। पाली जालौर का १५०० का माना है, तो मैं नहीं समझ सकता कि इस एवरेज स्टेन्डर्ड के होते हुए ८०० का स्टेन्डर्ड राजस्थान के कृषक की पैदावार का किस तरह केल्कुलेट करके रखा है।

सभानेत्रीजी, मैं आपके द्वारा सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग कमेटी ने इस स्तर को कायम किया है वह कौन से स्टेन्डर्ड को लेकर कायम किया है। अगर हम आगे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें पति व्यक्ति की पर केपीटा इनकम १००) मानी गई है। इस प्रकार उन्होंने सात आदमियों का एक परिवार माना है तो उसके अनुसार २१००) ऑरडीनरी होल्डिंग की इनकम होनी चाहिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर सीलिंग कमेटी इतना उदार दृष्टिकोण रख कर चलती। और ऊंचे स्तर और ऊंची भावनाओं को लेकर चलती। प्लानिंग कमीशन ने जैसा कहा है, कोनोमिक होल्डिंग थ्री टाइम्स होनी चाहिये। अगर वे ऐसा करते हैं तो ६३००) की सीलिंग कायम करते तब वह प्लानिंग कमीशन के कथन के अनुसार होती। मगर उन्होंने ८००) की सीलिंग मानी है। उन्होंने ८००) को इकोनोमिक होल्डिंग माना है। जब कि हमारे पड़ोस में पंजाब में चार हजार और आंध्र देश में ५४००) रुपये मुकर्रर किये हैं। मैं नहीं समझता कि जिस स्थान पर ज्यादा पोपुलेशन है, इर्रिगेशन ज्यादा है, जहां पर सिचाई के साधन ज्यादा हैं वहां के स्टेन्डर्ड को अपने साथ न रख कर व जमीन की फर्टीलिटी को ध्यान में न रख कर एक फिगर २४००) किस तरह से देने का अनुमान हुआ। सीलिंग कमेटी ने यह कैसे अनुमान किया कि एक काश्तकार की यह आमदनी होगी और अगर नहीं होगी तो क्या इस प्रकार की कोई कमेटी मुकर्रर की है कि जिसके फन्ड से उसको पूरा किया जावेगा? सभानेत्री जी, मैं आपकी जानकारी के लिए इन्डियन आर्मी के सिपाही के रेशनिंग और कपड़े का स्टेन्डर्ड है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। और आशा करता हूं कि हमारी सीलिंग कमेटी और राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में उसको देख कर उचिततम सीलिंग कायम करेगी तो इन्डियन आर्मी के एक सिपाही के माफिक जीवन स्तर के मुताबिक आमदनी देना पसन्द क्या नहीं करेगी? मैं समझता हूँ कि इसको कोई समाजवादी सरकार नहीं ठुकरा सकेगी! मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि Scale of food given to a Jawan of the Inian Army is as follows:- प्रति व्यक्ति उनको निम्न राशन मिलता है:३० सेर आटा,२ छटांक घी पर डे, दाल एक छटांक पर डे, दूध पाव भर रोजाना व चार छटांक सब्जी, लक्ड़ी-बलीता वगैरह अलग मिलते हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि ७ आदमी

(श्री सज्जनसिंह)

के एक परिवार को लेकर उस स्टेन्डर्ड के माफिक चलें तो देखेंगे कि ६३।८ तो अनाज के, ६५ रुपए घी १० रुपए दाल वगैरा के ३०) दूध और ३०) रुपए साग सब्जी व १५) माहवार लकड़ी, ५ रुपए मसाले और १३) की शक्कर होती है। इस प्रकार ३२३-१४ हो जाते हैं एक परिवार के लिए। सभानेत्रीजी इसमें इन्डियन आर्मी के ज़वान के फल फूल मांस और चाय आदि शामिल नहीं हैं। उनको सप्ताह में दो दफे मीट मिलता है और दिन में दो दफे चाय मिलती है व ड्राइ फ्रूट्स भी मिलते हैं। इसमें उसका खर्चा शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा उनको ७ रुपए माहवार क्लोदिंग के अलग मिलते हैं। आपको यह भ्रम हो कि उसमें ठंडी वर्दी और गरम वर्दी भी शामिल होगी लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि वह शामिल नहीं हैं। उसको ७) माहवार क्लोदिंग के ही दिये जाते हैं। इसके अलावा प्रति परिवार के लिए रोशनी आदि के लिये १५) माहवार के हिसाब से १८०) देने चाहिये ताकि हर बरसात के पहले वे लोग अपने घरों को ठीक करने में खर्च कर सकें। इसके अलावा सोशियल एक्टीविटीज़ और बच्चे बच्चियों की शादी के लिये भी उनको चाहिये, उनको अपने यहां भात भरनी होती है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए ५०) महावार की आवश्यकता होती है और वह देना चाहिये। इसके अलावा शिक्षा के लिये भी पैसे की आवश्यकता रहती है। मैं कहूंगा कि इसके लिये कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं करेगा। उनको अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी खर्च करना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि अगर किसी के यहां ५ बच्चे हों तो उसमें भी काफी पैसे की आवश्यकता रहती है।

मैं अपना भाषण जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बातें मुझे कहनी हैं उसकी १।४ ही आपके सामने पूरी तरह से नहीं रख सकूंगा। मैं यह कहूंगा कि जो जो स्टेटमेंट सीलिंग कमेटी ने दिये हैं, वे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखे गये हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह कर कुछ आंकड़े रख कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप सूक्ष्म से सूक्ष्म में इसको कहने की कोशिश करें तो अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य : कुछ समय दिया जाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : सिफारिश करने वाले माननीय सदस्य यह चाहें कि उनका समय भी उनको दे दिया जाये।

श्री सज्जनसिंह : एक फेमिली में ७ आदमी मानते हैं, पांच बच्चे। पांच बच्चों को शिक्षा देने के लिये, यदि एक बच्चे को २० रु० माना जाये तो ५ बच्चों के लिये १००) रु० की आवश्यकता होगी और साल में १२००) की आवश्यकता होगी। मैं निवेदन करूंगा कि यह तो हायर स्टैंडीज़ की बात है। अगर टेक्निकल एज्युकेशन देना चाहे तो उसके लिये यहां पर इसमें प्रोविजन नहीं है। क्योंकि एक लड़के को टेक्निकल एज्युकेशन के लिये १७५) माहवार का खर्चा होता है। वह खर्चा मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ

(श्री सज्जनसिंह)

अगर शामिल करता तो वह २१००) सालाना खर्चा होता है और अगर किसी व्यक्ति के दो बच्चे होनहार हुये और टेकिनकल ट्रेनिंग में जाने वाले हुये तो उसके लिये ४२००) रुपये की आवश्यकता होगी । मैं समझता हूँ कि मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे रूड़की से मंगाये हैं कि कोई अपने बच्चों को भर्ती कराना चाहे तो उसको १७५) माहवार देना होगा । इसके अन्दर उनके ओल्ड एज के पेन्शन का कोई प्रोविज़न नहीं है । बीमारी आदि के लिये भी कोई प्रोविज़न नहीं है । इसलिये इन सब चीज़ों को देखते हुये एक भारतीय सैनिक की इनकम ४४७) माहवार आती है । एक भारतीय सिपाही के स्टेन्डर्ड के आधार पर मैंने जो आंकड़े रखे हैं वे लोएस्ट हैं जो ४४७) रुपए होते हैं और उनको राउन्ड फिगर्स में लिया जावे तो ४५०)मान लें, वह ४५०) से कम नहीं होगी । जब कि एक सिपाही के लिये ४५० रुपये उसके जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक है तो मैं इस बात के लिये परेशान हूं और हैरान हूं कि सिलिंग कमेटी ने यह किस आधार पर तय किया कि राजस्थान में आय की उच्चतर सीमा २४०० रुपये ही हो ।

सभानेत्री जी, सिलिंग कमेटी ने जो २४०० रुपये के आमदनी के आंकड़े माने हैं वे बड़े ही भ्रमपूर्ण हैं । सिलिंग कमेटी ने प्रति एकड़ जो आमदनी बतायी है उसके लिये मैं उदाहरण की तौर पर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा । सवाई माधोपुर में प्रति एकड़ नेट आमदनी ३७ रूपया मानी है । हमारी सिलिंग कमेटी ने यह स्टेंडर्ड माना है तो एक काश्तकार के लिये यह आमदनी के फिगर्स मुकर्रर करते वक्त किस आधार को अपनाया है समझ में नहीं आता । ६५ रुपये एकड़ की जगह साठ रुपया एकड़ कर दिया, क्या आपने काश्तकार के साथ रियायत कर दी । ६५ एकड़ है तो उसकी जगह मार्जिन देकर के ७० एकड़ करना चाहिये । लेकिन यह न करके ६५ से घटाकर ६० एकड़ कर दिया है । जहां कि ३७ रुपया एकड़ आमदनी बारानी इलाके की बतायी है । इस सम्बन्ध में भी आंकड़े प्रस्तुत करूंगा । एक एकड़ बारानी भूमि में जिसमें ज्वार, तिल ग्वार मूंग और बाजरा जो खरीफ की फसल है उस एक एकड़ में २१७ रुपये की आमदनी होती है । चूंकि पांच जिन्स हैं, इसका एवरेज़ निकालें तो ४३ रूपये ७ आना एवरेज़ निकलता है । इसके साथ साथ जो रबी की फसल की आमदनी होगी वह भी निवेदन कर देना चाहता हूं । रबी की फसल से जो आमदनी होने वाली है वह ११२॥ रुपये प्रति एकड़ होगी जिसमें गेहूं जौ चना आदि शामिल हैं । ये प्रति एकड़ के हिसाब से लगाया जाय ३७॥ रुपया प्रति एकड़ का एवरेज़ निकलता है । इसके अन्दर से खर्चा निकाल दें ५३ रुपया ४ आना प्रति एकड़ बीज काटना, मेहनत मजदूरी में लग जाता है...

श्री गिरधारीलाल : माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उनके लिये टाइम लिमिट नहीं है क्या ?

श्री सज्जनसिंह : यह बड़ा अहम मसला है, इसलिये बार बार समय के बारे में न कहा जाय ।

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) :

(डॉ० चन्द्रकला)

माननीय सदस्य हाउस की परम्परा को समझते हैं, बार बार टाइम के बारे में कहने के लिये खड़े न हों।

श्री सज्जनसिंह (जारी) : मैं निवेदन कर रहा था ४० और ७।। जो आमदनी होती है उसमें से २६ रुपया खर्चा निकालने के बाद प्रति एकड़ आमदनी काश्तकार के पास क्या बचती है। सभानेत्री जी, मैं समझता हूं चालीस रुपया प्रति एकड़ से जो आमदनी कूती गई उसमें उन्होंने ग्रोस इन्कम को लेकर आमदनी बता दी है। सैटलमेंट ऑफिसर ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इसमें से काश्तकार को कितना खर्च करना पड़ता है उसको भी एडजस्ट करना चाहिये था।

सभानेत्री जी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के सिद्धान्त के अनुसार सैटलमेंट के सिद्धान्त के अनुसार काश्तकार की आमदनी को पचास पर्सेन्ट खर्चे के लिये बाद देते हैं उसके बाद में बाकी का हिस्सा मुनाफे का मानते हैं। इसी सिद्धान्त के आधार पर मैंने निवेदन किया कि काश्तकार का खर्चा निकालने के बाद केवल १३ रुपये की आमदनी बचती है। मैं नहीं समझता सीलिंग कमेटी ने इस चीज को नज़रअन्दाज़ करके २४०० रुपये के आंकड़े को साबित करने के लिये जो स्टेटमेंट के आंकड़े तैयार किये हैं। क्या उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन की आमदनी आंकी है? तो मैं यह गलत मानता हूं। आमदनी आंकते वक्त केवल गेहूँ को ही सामने रखा है बारह रुपया मन गेहूँ का हिसाब मानकर आमदनी को मल्टीप्लाई कर लिया है। राजस्थान के प्रत्येक भाग में क्या सिवाय गेहूँ के दूसरे जिन्स पैदा नहीं होते। आप यदि रीजन्स के अनुसार बांटकर देखें तो आपको पता चलेगा जयपुर और अलवर का क्षेत्र ऐसा है जहां चना और जौ ज्यादा पैदा होते है। इन स्थितियों को देखते हुए जो सीलिंग कमेटी ने जो आधार लिये हैं वे साइन्टिफिक नहीं हैं, वैधानिक नहीं हैं रीजनेबल नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूँ २४०० रुपये की जो सीलिंग निर्धारित की है वह साइन्टिफिक नहीं, वैधानिक नहीं, रीज़नेबल नहीं। ऐसी स्थिति के अन्दर....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट में समाप्त करता हूं।

आखिर जो हम कल्पना करते हैं कि हमारी द्वितीय पंच वर्षीय-योजना के बाद में भारतवर्ष का काश्तकार ऐसा होगा जिसके रहने के लिये अच्छा मकान होगा, उसके मकान में बिजली होगी, खेतों के अन्दर वह पम्प लगायेगा वैज्ञानिक खाद से खेती को तरक्की करेगा, ये जो आशायें लगा बैठे हैं क्या ये सत्य सिद्ध होंगी, ऐसा मैं नहीं समझता। २४०० रुपये की जो आमदनी निर्धारित की है उसके बाद में काश्तकार के पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके अन्दर वह ऐसी तरक्की कर पायेगा। समय भी कम है और कुछ माननीय सदस्य बड़े आतुर हो रहे है इसलिये मैं ज्यादा न कहकर थोड़े में ही खत्म कर दूंगा।

सभानेत्री जी, इसका नतीजा यह होगा कि देहातों के अन्दर जो इन्टेलीजेन्स या और फाइनेन्स हैं, दोनों शहरों के अन्दर आजायेंगे

(श्री राजवसिंह)

वहां का काश्तकार दरिद्र और गवार ही रहेगा। हमारी कल्पना, हमारा काश्तकार वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन बढ़ायेगा इसमें इस प्रकार से सीलिंग मुकर्रर करने से कहां तक सफलता प्राप्त हो सकेगी यह मैं सरकार के विचार के लिये छोड़ता हूं।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि सिलिंग का नतीजा यह होगा कि काश्तकार अपने बच्चों को हायर टेकनिकल एज्युकेशन नहीं दिला सकेगा। उसका नतीजा यह होगा कि टेक्निकल एज्युकेशन के अभाव में कोई काश्तकार सर्विसेज को ग्राण्ट नहीं किया जा सकेगा उसका रिजल्ट यह होगा कि दस बीस वर्ष बाद हम यह देखेंगे कि गांव का कोई भी रहने वाला सर्विसेज़ में नज़र ही नहीं आयेगा। इसके अलावा राजनैतिक क्षेत्र में भी २४०० रुपये में वह इतना नहीं बचा सकेगा कि पांच छः हजार रुपया खर्च करके चुनाव लड़े और राजस्थान विधान सभा में आ सके। आपने उसके पास बचाने के लिये किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं रखी, वैसी ही हालत में उसका राजनैतिक जीवन भी एक प्रकार से समाप्त हुआ मान लीजिये। मैं माननीय सदस्यों से इस सिलिंग कमेटी की सिफारिशों को स्वीकृत करने से पहले यह निवेदन करना चाहूँगा कि इसका नतीजा क्या होगा? हमने जो कृषकों के लिये भावी कल्पना कर रखी है क्या वे केवल निरी कल्पना ही रहेगी, क्या देहाती समाज को हम उसी प्रकार से गरीब और दरिद्र ही देखना चाहते हैं, इस पर विचार करें। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ जैसा कि आन्ध्र और पंजाब में सिलिंग की जो उच्चतर सीमा निर्धारित करते हुए जिन जिन बातों का ध्यान रखा है काश्तकारों के दैनिक खर्चे के उपरान्त थोड़ा सा मार्जिन इतना जरूर छोड़ना चाहिये, जिससे फेमीन वगैरह का वह मुकाबला करके, ऐसे समय में उसे कर्ज़ा न लेना पड़े। समय थोड़ा है इसलिये मैं एकोनोमिक एग्रेरियन रिफोर्म्स के बारे में कांग्रेस के जो सुझाव हैं एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट है उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा।

(पुनः समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री सोहनलाल भटनागर : सभानेत्री जी, बोलने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि वे दूसरों का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को जल्दी जल्दी कहेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : सभानेत्री जी, समय निर्धारित कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर सकती हूं कि वे उनके पीछे बोलने वाले सदस्यों का ध्यान रखें और अपनी बातों को सीमित समय में ही कहने का प्रयत्न करें।'

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): सभानेत्री जी, हमारी जो सीलिंग कमेटी की

Page No.54

(श्री मुरलीधर व्यास)

रिपोर्ट है उस पर आज दूसरा दिन वाद-विवाद का हो रहा है और जो भी सदस्य अभी तक बोले उन लोगों ने जो बातें रखीं उनसे कुछ ऐसा अनुमान लगता है कि अधिकांश सदस्य इस पक्ष में हैं कि सीलिंग निर्धारित की जा रही है वह नहीं हो । हो सकता है कि आगे बोलने वाले बहुत से सदस्य इस पक्ष के भी हों, परन्तु फिर भी अभी तक जितने भी सदस्य बोले हैं उनमें से अधिकांश सदस्यों ने इस बात की सिफारिश की है कि सीलिंग अभी नहीं लागू किया जाय। पहले नीति के रूप में उन्होंने माना परन्तु अन्त में नहीं लगाने की बात कही। मैं पहले ऐसा सोच रहा था कि वाकई में सीलिंग के सम्बन्ध में अधिकांश लोग इसी के पक्ष में होंगे पर मुझे दुःख इस बात का हुआ कि जब मैंने यह देखा कि सरकारी पक्ष के लोग भी, प्रगतिशील जमात के लोग भी, जो अपने आपको प्रगतिशील होने का दावा करते हैं वे लोग भी जब इसके खिलाफ बोले और उन्होंने यह कहा कि सीलिंग की राजस्थान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, सीलिंग लगाना यह ठीक नहीं है, तो मुझे इस बात का पहले भय था, मैं सोच रहा था कि वाकई या रिपोर्ट जो सीलिंग कमेटी की है वह ५ साल बाद क्यों आई ? इसका क्या कारण है ? परन्तु जब मैंने यह देखा, इस प्रकार के विचार सुने तो मेरा यह अनुमान पक्का होगया कि वाकई यही एक बड़ा भारी कारण था कि सत्ताधारीपक्ष के अन्दर बैठने वाले, समाजवादी समाज की स्थापना की घोषणा करने वाले लोगों में ऐसे अधिकांश लोग नहीं हैं। जो इस बात को माना करते हैं कि आज एक प्रगतिशील कदम जो कि सारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए, आवश्यक है, उठाया जाय, लागू किया जाय, मान्य किया जाय । यह काफी बुनियादी बात थी, जिसका वे लोग अन्दर ही अन्दर विरोध करते रहे और जैसा कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि इस पक्ष में ऐसे प्रतिक्रियावादी सम्मिलित हो चुके हैं जो इस प्रकार की भावनाओं से पूरे तरीके से....

श्री श्रीभानसिंह : I certainly object to this. We do not have that regimentation of thought which the Hon'ble Member wishes to advocate.

श्री मुरलीधर व्यास (जारी) : मैं कहना चाहता हूं। मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरा दिमाग ऐसा बना, मैं इस बात को मानने लगा कि जब मैंने उनके विचारों को सुना कि ऐसे लोग आज इस बात के अन्दर हैं कि इस प्रकार से सीलिंग का जो प्रगतिवादी कदम है जिसको सारी दुनिया के प्रगतिवादी लोगों ने मान्य किया है उनके द्वारा उसकी खिलाफत की जाती है। मैं पूर्ण प्रभाव से कहूंगा कि ऐसा सोचने वाले लोग प्रतिक्रिया-वादी हो सकते हैं, प्रगतिवादी नहीं हो सकते हैं। (करतलध्वनि) मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद देश के अन्दर एक सामाजिक निर्माण की कल्पना की गई और उस कल्पना के अन्दर सबसे पहली चीज थी आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति। जमीन के बंटवारे का सवाल सारे मुल्क के सामने था । यह बुनियादी सवाल था, और उसी बुनियादी

(श्री मुरलीधर व्यास)

सवाल को लेकर हिन्दुस्तान के लोगों ने स्टेट प्लानिंग कमीशन ने व स्टेट के दूसरे लोगों ने सोचा कि जब तक भूमि का बंटवारा ठीक ढंग से नहीं किया जायगा तब तक किसी भी आधार पर, किसी भी हालत में इस मुल्क में समाजवादी व्यवस्था या सामान्य न्याय की व्यवस्था नहीं हो सकती है, और सुख शान्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसी आधार पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र, अपने प्लानिंग में और अपनी सारी बातों में हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए इस बात को मान्य किया। मैं तो इस बात का भय भी करता हूँ कि अगर यह रिपोर्ट जो इतनी देर से आई है, और इस रिपोर्ट पर जो लोग बोल रहे हैं, वे लोग ऐसा हो सकता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है, मिनिस्टीरियल स्टाफ (मिनिस्ट्रीज़) के लोग हैं उन पर दबाव डालकर यह कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से यह चीज न लागू हो। यह हो सकता है कि कहीं ऐसा मौका भी आ सकता है कि कुछ लोग दबाकर ऐसी....

श्री श्रीभानसिंह : I would like to say that repetition of a lie will not make it true or a fact.

श्री मुरलीधर व्यास : उन मंत्रियों से कहेंगे कि या तो तुम्हें कुर्सी इस बात के लिए छोड़नी पड़ेगी या कम से कम इस बात को मान्य नहीं करना पड़ेगा। तो यह बात ऐसी हो सकती है। मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ बनी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मौका आयेगा कि जो मंत्री इस ओर होंगे तो ये लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग इस पद पर न रहें। यह मेरा ख्याल है जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस बात को रखा उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस कमेटी के अन्दर बैठने वाले लोग ऐसे हैं जो वकील हैं और किसानों की परिस्थितियों को समझते नहीं हैं। क्या राजस्थान के किसान की हालत कुम्भाराम आर्य नहीं जानते हैं ? क्या वे किसान नहीं हैं ? क्या उन्होंने किसान के घर जन्म नहीं लिया ? आज जो राजस्थान कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हैं जो कि इस कमेटी के मेम्बर हैं क्या वे किसान नहीं हैं ? इसके सदस्य किसानों की स्थिति को समझते नहीं हैं, क्या जिन्होंने इस रिपोर्ट को माना है ? ऐसे लोग एग्रीकलचरिस्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूं कि वाकई में वे सही मायने में नहीं सोचते हैं। उनके सोचने का दृष्टिकोण और हो सकता है। मैंने इस बात की दलील इसलिए दी कि कुछ लोगों ने ऐसी बात कही थी कि कमेटी में सोचने वाले लोग किसान नहीं हैं।

खास तौर से यह मैंने भूमिका के रूप में कहा है, इसका कहना मैं आवश्यक समझता था। परन्तु इसके साथ साथ दूसरी बात जरूर है कि भूमि के बंटवारे की समस्या क्यों उत्पन्न हुई है ? इसको गहराई के साथ में सोचना चाहिए। हिन्दुस्तान में कितनी जमीन है, कितने किसान हैं और कितने किसानों के पास में कितनी जमीन है ? आपको याद होना चाहिए कि हिन्दुस्तान में ६० प्रतिशत किसान इस प्रकार से...

श्री दयाकृष्ण विजय : हिन्दुस्तान के बजाय राजस्थान की बात करें।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे हिन्दुस्तान के लिए प्रावधान है उसी बारे में। ..

श्रीमती सभानेत्री : No interruptions please.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जमीन के उसूल की बुनियादी बात कह देना चाहता हूँ। कुछ लोग राजस्थान की बात कहना चाहते हैं, परन्तु जमीन के उसूल का जहां तक सवाल है....

श्री श्रीभानसिंह : आप पी. एस. पी. की बात कहें तो ठीक हो।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य कृपया बाधा न डालें।

श्री मुरलीधर व्यास : इस कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है कि सारे हिन्दुस्तान में सीलिंग क्यों लागू किया जाय ? हिन्दुस्तान से ही सारा विषय जुड़ा हुआ है इसलिए राजस्थान अलग नहीं हो सकता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सीलिंग रिपोर्ट क्यों लागू हो पहले आप उसको जान लें। किसानों का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह एक एकड़ से लेकर ५ एकड़ तक की ज़मीन वालों का है। उस ६० पर्सेन्ट में से ऐसे आदमी ज्यादा हैं जिनके पास एक से लेकर ५ एकड़ तक की ज़मीन है। ६० पर्सेन्ट खेती की ज़मीन है वह हिन्दुस्तान की कुल ज़मीन है उसका ६० पर्सेन्ट है। उस ६० पर्सेन्ट में से १५ पर्सेन्ट देश की ज़मीन है वह उनके पास में है। आज मुल्क ने माना है कि ज़मीन जोतने वाले के पास में होनी चाहिए। इस बुनियादी सिद्धान्त को माना है। हल चलाने वाला ज़मीन का मालिक है, इसको मानते हैं, तो आपको यह चीज़ मान्य करनी पड़ेगी। मुल्क के अन्दर ६० प्रतिशत लोगों के पास मुल्क की ज़मीन का १५ प्रतिशत हिस्सा है। ऐसी हालत में अगर हम कहें कि भूमि का बंटवारा नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि ज़मीन जोतने वाला ही ज़मीन का मालिक है। इस बुनियादी बात को सीलिंग के साथ जोड़ा जाता है। यह सबसे बड़ी बात है श्रम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। श्रम द्वारा ही उत्पादन हो सकता है। जिस दिन श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी उसी समय देश का उत्पादन बढ़ेगा। इस बुनियादी सिद्धांत को मान्य करना चाहिये। इसी बुनियादी आधार पर कहना चाहता हूं कि आज मुल्क के अन्दर यह स्थिति है। इस आधार पर ज़मीन का बंटवारा होना चाहिए। ज़मीन का बंटवारा हो कर उन लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उन लोगों को ज़मीनें मिलें तभी जाकर हमारी विषमता का अन्तर दूर होगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या गांव की है, जो सबसे बड़ा लड़ाई का कारण है वह कारण यह है कि एक किसान के पास २०० बीघा ज़मीन है और एक किसान के पास एक हज़ार बीघा ज़मीन और दूसरी तरफ एक किसान के पास में एक एकड़ ज़मीन नहीं है। और समाज के अन्दर, गांव के अन्दर उस किसान की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होती, तो यदि किसान की गांव के रहने वालों के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ानी है, उसके साथ साथ श्रम के महत्व को बढ़ाना है और साथ में समाजवादी समाज के लिए विषमता दूर करनी है तो बुनियादी तौर से मान्य करना

(श्री मुरलीधर व्यास)

होगा कि देश में जब तक भूमि का बंटवारा नहीं होगा तब तक समाजवादी व्यवस्था हो नहीं सकती (करतल-ध्वनि) ।

दूसरी बात जो है उसका राजस्थानी स्वरूप बतलाना चाहता हूं, राजस्थान की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं । राजस्थान के आंकड़े दिये है....

११.१२. म० प०

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सदस्य....

श्रीमती सभानेत्री : आप शान्ति से सुनिये बीच में बाधा नहीं डालें ।

श्री मुरलीधर व्यास : (जारी) राजस्थान के अन्दर भूमि का वितरण किस प्रकार है इस ओर यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां पर ५०० व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कुल मिलाकर १० लाख एकड़ भूमि है और दूसरी ओर १ एकड़ या उससे कम ज़मीन वालों की संख्या साढ़े चार लाख है । साढ़े चार लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक एकड़ से कम ज़मीन है । इन लोगों के पास ज़मीन कितनी है और उन कुछ थोड़े से लोगों के पास ज़मीन कितनी है, यह भी आप देखेंगे । एक ओर तो ऊंचा कैलाश और दूसरी ओर कितना नीचा पाताल । इनके अंतर पर गौर करना पड़ेगा । दूसरी ओर राजस्थान में सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है, कई लोगों ने कहा कि इतनी ज़मीन है, इतने आदमी हैं इसलिये इस ज़मीन को बांटा जा सकता है । जब साढ़े चार लाख आदमी भूमिहीन किसान हैं और १ करोड़ ३७ लाख एकड़ ज़मीन है उसको क्यों नहीं बांटा जाय, क्या जरूरत है सीलिंग लगाने की, यह बात कही गई । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सिद्धान्त के आधार पर जो बात है मान्य करने की, उसको तो मान्य करना चाहिये । दूसरी बात यह कहते हैं कि इतनी ज़मीन है । मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर में १ करोड़ एकड़ ज़मीन है और ज़मीन जोतने वाले ५० हज़ार आदमी हैं । ५० हज़ार आदमियों को १ करोड़ ज़मीन बांटें तो वे इतनी ज़मीन को जोत नहीं पायेंगे । इस प्रकार की ज़मीन के बंटवारे का सवाल है, वितरण का सवाल है या सीलिंग लगाने को सवाल है उसमें झगड़ा नहीं आता है । लेकिन जिसके पास अच्छी ज़मीन है उस पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है ऐसी ज़मीन के बंटवारे का प्रश्न आता है । हमारे पास ऐसी ज़मीन की कमी है जो अच्छा उत्पादन करने वाली है । आप बीकानेर और जैसलमेर के इलाके के बारे में यह कह सकते हैं कि जितनी चाहो ज़मीन बांट दो वहां बहुत पड़ी है । इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उस ज़मीन का उपयोग वहां के रहने वाले भी नहीं करते हैं, तो दूसरे तो कहां से करेंगे । सवाल उस ज़मीन का है जो उपजाऊ है, जिस पर अच्छा उत्पादन होता है, नहरी ज़मीन है, उस ज़मीन को आसपास के लोगों को दी जायगी तब जाकर लोगों को लाभ होगा । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी हालत में हम जो साधारण लोगों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं एक प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे ।

मैं कहता हूं कि भूदान में बीकानेर हिज़ हाइनेस ने २ लाख एकड़ ज़मीन दी है । लेकिन

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसको कोई लेने वाला नहीं है, इसका कारण यह है कि वह ज़मीन उपजाऊ नहीं है। यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमको ज़मीन मिले और दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है, वे चाहें तो ज़मीन दे सकते हैं। यह जो राजस्थान की विशेष स्थिति है उसमें लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मुख्य तथ्य को अलग रखने की बात करनी होगी। सही बात को छिपाना ठीक नहीं है। बुनियादी बात यह है कि अच्छी ज़मीनको पहले रखना चाहिये आज जो लोग अच्छी से अच्छी ज़मीन ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहते। को हैं वहठीक नहीं। इसीलिये तो ज़मीन का सीलिंग निश्चित किया जाता है इससे ज्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। आखिर आपको यह बात माननी होगी। राजस्थान में सीलिंग में झगड़े का सवाल आयेगा वह आयेगा उस ज़मीन के लिये जो अच्छी नहरी और सिंचाई योग्य है और उस पर अच्छा उत्पादन होता है और यदि अच्छी ज़मीन है और ज्यादा है तो जिसके पास ज्यादा ज़मीन है उससे ले कर या उसके पास कम रखकर दूसरों को दी जाती है तो वाकई इससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा और विषमता का अन्तर दूर होगा और उसके साथ साथ आज देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ से भी कम ज़मीन है या जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है फिर भी वे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा ज़मीन हैं उनके यहां हल वे जोतते हैं, निदान वे करते हैं, बीज़ वे बोते हैं और दूसरा सारा काम वे करते हैं। लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिलता है, और लाभउठता है दूसरा व्यक्ति जो खुद ज़मीन नहीं जोतता और काम नहीं करता। लेकिन वह ज़मीन का मालिक है इसलिये वह लाभ उठता है। लेकिन श्रम करने वालों को मजदूरी का भी पूरा पैसा नहीं मिलता इसलिये इतनी विषमता है।

दूसरी बात यह है कि ज़मीन जोतने वाला ही ज़मीन का मालिक है, यह बुनियादी चीज़ है उसको मानना पड़ेगा। आप सीलिंग फिक्स करेंगे तभी ज़मीन जोतने वाला ज़मीन का मालिक बन सकेगा। इसलिये यह एक प्रगतिशील कदम है। इसको यदि रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो सोचने का तरीका है और जिसको हम लाभ पहुँचाना चाहते हैं वह हो नहीं सकेगा।

और भी कई बातें कही गई हैं और यह कहा गया कि किसानों के लिये २४००) रु० की इन्कम बहुत कम होगी, बहुत कम होंगे। सीलिंग की बात है, कहा जाता है यह बहुत कम निश्चित की गई है। इसके लिये दलीलें कितनी ही दी जाती हैं, यहां इतना है वहां इतना है। ट्रावनकोर कोचीन में कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट है। वहां भी इतना रखा है इसलिये यहां भी इतना होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर भी ऐसे लोग उनके साथ में बैठने वाले थे। जिन्होंने कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव डाला और कहा कि ऐसा करोगे तो गड़बड़ करेंगे, तो आपके लिये बुरा होगा। अपनी कुर्सियों को रखने के लिये कम्युनिस्ट सरकार ने भी ज्यादा रख दिया। कम्युनिस्ट सरकार ने ज्यादा सीलिंग मुकर्रर कर दिया, तो यह उचित नहीं माना जा सकता। उसका उदाहरण यहां दिया जाय और यह कहा जाय कि वह प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है उन्होंने वहां पर ऐसा किया है इसलिए यहां भी वैसा ही किया

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाय तो मैं कहता हूं उन्होंने कोई प्रगतिशील कदम नहीं उठाया है । किसानों की दृष्टि से प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता । उनके पास बैठने वाले अधिकांश ऐसे लोग थे जिनके पास अधिक ज़मीन थी उनके दबाव के कारण उनको ऐसा करना पड़ा । इसलिए वहां की दलील यहां दी जाय तो ठीक नहीं है । हमें न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए । जितनी ज़मीन एक आदमी के पास होनी चाहिये उतनी ही उसके पास रहनी चाहिये । एक परिवार का निर्वाह जितनी ज़मीन से हो सकता है उतनी ही उसके पास रहनी चाहिये । ऐसे भी कितने ही लोग हैं जिनके पास निर्वाह का साधन नहीं है । उनकी क्या इज़्ज़त है, उनकी परिवार में और समाज में क्या इज़्ज़त है इस मुख्य बात को हम भूल जाते हैं । हम अपनी बात कहने के साथ साथ कुछ लोगों के पास ज्यादा ज़मीन की बात करते हैं वे बहुत थोड़े हैं । लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है । ६० पर्सेंट के करीब ऐसे लोग हैं । उनकी मेजोरिटी है । उनको ठीक करके ही हम सही माने में किसानों की हालत ठीक कर सकेंगे । कई जगह ज़मीन पर काम करने वाले श्रमिकों को तनख्वाह नहीं दी जाती है । केवल बाजरा और कुछ मोटा कपड़ा दिया जाता है। सिर्फ उनको अनाज दिया जाता है । ज़मीन उनके पास नहीं है । उनको यह कहा जाता है कि इतना अनाज देंगे तुमको काम करना पड़ेगा । गांव में बैठे हैं, बच्चों का पेट पालने के लिये उनको काम करना पड़ता है । ज़मीन उनकी है नहीं । मुट्ठी भर दानों पर जीवन बिताने वाले लाखों लोग बैठे हैं, इस बुनियादी चीज़ को हम भूल जाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सीलिंग का सवाल है तो बार बार सोचना चाहिए कि जो २४०० रुपये रखे गये हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान की बुनियादी बात को, जो वस्तु स्थिति है, उसको देखते हुए हम कुछ पीछे नहीं गये हैं, इससे अधिक करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है जमीन के बंटवारे का, भूमि के वितरण का, उसके साथ ही साथ समानता लाने का, न्याय देने का, वह नहीं कर सकेंगे । मैं कहता हूँ कि इसको बढ़ायेंगे तो सामाजिक न्याय नहीं दे सकेंगे, हम सब लोगों की आर्थिक व्यवस्था को उठा नहीं सकेंगे । एक किसान को २४०० रुपये की आमदनी होने वाली है, इसके अतिरिक्त, जैसा शहर के बारे में कहा गया, कि राज्य सरकार में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वे आठ घंटे काम करने के बाद आमदनी कर सकते हैं, उसी प्रकार एक किसान भी ६ घंटे, ८ घंटे जो भी काम करता है, उसके बाद अतिरिक्त समय में अतिरिक्त आमदनी कर सकता है, उसको भी अलग से आय हो सकती है और उसकी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय में काम करने के लिए सरकार को साधन देने चाहिए, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए ।

अब दूसरा सवाल आता है, मेकेनाइज्ड फार्म के सम्बन्ध में । इसके सम्बन्ध में कोई नीति स्पष्ट नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मेकेनाइज्ड फार्म कोई भी व्यक्ति रखता है, तो वह व्यक्तिगत फार्म है । मैं इस मेकेनाइज्ड फार्म को समाजवादी व्यवस्था का रूप नहीं समझता । देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए मेकेनाइज्ड फ़ार्म सहकारिता के आधार पर हों, कोऑपरेटिव बेसिस के

(श्री मुरलीधर व्यास)

आधार पर हो, व्यक्तिगत आधार पर न हो। इसके साथ ही जो किसान फ़ार्म में काम करते हैं, उन काम करने वालों का भी फ़ार्म में हिस्सा हो। जो किसान उस फ़ार्म में काम करने वाले हों, उससे उत्पादन बढ़े, उसमें उनका हिस्सा हो। इससे देश का उत्पादन बढ़ेगा और समाज की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर इन्हें इस तरीके से छोड़ दिया गया, तो मैं उसका विरोध करता हूं। आप इस व्यवस्था को, मेकेनाइज्ड फार्म को खुला नहीं रखें। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे खुला न रखें और मेकेनाइज्ड फ़ार्म को सहकारिता के आधार पर चला कर उसके अन्दर जो काम करने वाले किसान हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। यह एक बुनियादी चीज़ है। इसके अतिरिक्त इस विषय पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया और कहा कि आप लोग इस मामले के अन्दर क्यों कार्यवाही करते जाते हो, गवर्नमेंट करती जाती है, और जो लोग हैं, इसके अतिरिक्ति जो लोग हैं, जो मुनाफ़ा कमाते हैं, उन पर आप प्रतिबन्ध नहीं करते। मैं मानता हूं कि इस दलील के आधार पर यह बात जरूर है कि हम एक बड़े भारी बुनियादी सिद्धान्त को कमजोर करते हैं, सिद्धान्त पर प्रहार करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके साथ ही साथ इसमें एक बात का जो निर्देश था, इस रिपोर्ट में जिन छ: बातों का निर्देश था, कि इन पर रिपोर्ट आ सकती है, इसमें लिखा हुआ है:

"कृषि भू क्षेत्रों की अधिकतम सीमा निश्चित करने के प्रश्न से सम्बन्धित समस्त मामलों की जांच करना और रिपोर्ट करना।"

कृषि से सम्बन्धित समस्त मामलों में कौन कौनसी चीज आती हैं, इसको मद्दे नज़र रखते हुए यह बात कहते और इस बात को कहते कि हम जिस विषमता को दूर करने के लिए सीमा निर्धारित कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ इन कामों पर भी हमें प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, उनकी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह सरकार की नीति है, इसलिए हम यहां भी सीमा निर्धारित करना चाहते हैं कि एक आदमी की आमदनी में और बड़े आदमी की तनख्वाह में कम से कम कितना अन्तर हो, और कम से कम और अधिक से अधिक आय कितनी हो। एक आदमी व्यवसाय करता है, कोई धन्धा करता है, वह अपने पास कम से कम कितना मारजिन रख सकता है, यह भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब आज सरकार ने खुले रूप से समाजवाद को मंजूर कर लिया है तो जरूर इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए और बड़ी हिम्मत के साथ कहना चाहिए कि समाजवाद के लिए एक दूसरा कदम यह आवश्यक समझते हैं कि सब लोगों को उठायें। मैंने स्वीडन में जाकर देखा है कि वहां पर सरकार ने विषमता के अन्तर को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की है। उन्होंने यह निश्चय किया है कि हमारे देश के अन्दर कोई आदमी १२ क्राउन से अधिक नहीं लेगा और अधिक से अधिक २० क्राउन तनख्वाह लेगा। यह १२ क्राउन और २० क्राउन का अन्तर रखा है। वहां एक भंगन को १२ क्राउन प्रतिदिन मिलते हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर को २० क्राउन से अधिक नहीं मिलते हैं। वहां पर विषमता को दूर करने के लिए एक बुनियादी बात रखी है। वहां पर जो व्यवसाय करते हैं, उनके मुनाफे की सीमा निर्धारित करने के लिए उन्होंने वही खाते

(श्री मुरलीधर व्यास)

रखे हैं, साधारण तरह के बही खाते न रख कर सरकार ने अपने बही खाते रखे हैं, जिनकी देख रेख होती है, हिसाब देखा जाता है, और यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि एक आदमी को चाहे जितनी आमदनी हो लेकिन २० क्राउन से अधिक वह व्यक्तिगत काम में नहीं लगा सकता, बाकी की जो आमदनी है वह राष्ट्र के काम में आयेगी। ऐसा कदम कोई कठोर कदम नहीं है और इस कदम को बहुत जल्दी उठाया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा सवाल आता है कि जो बड़े कल कारखाने वाले हैं, मालिक हैं, उनको सरकार ने स्पष्ट कहा है, कि ऐसे मामलों में हम निश्चित कर देना चाहते हैं कि किसी भी व्यवसाय में ५ लाख से अधिक की लागत का बिजनेस अपने पर्सनल एन्टरप्राइज पर नहीं कर सकता। वह सारा धन्धा सहकारिता के आधार पर होगा, एक राष्ट्रीयकरण के आधार पर होगा, एक समाजीकरण के आधार पर होगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इन कदमों को जल्दी नहीं उठाया जा सकता। इसके साथ ही साथ इस प्रकार के कदम को छोड़ देने के लिए एक और दलील हो सकती है और वह इस प्रकार की है कि कृषि पर आधारित रहने वाले लोग ७० प्रतिशत हैं और दूसरे धन्धों में लगे हुए ३० प्रतिशत हैं। यह सवाल नहीं है। मैं कहता हूं कि भले ही दो परसेंट लोग हैं, वे सारा काम दूसरे तरीके से कर सकते हैं और दूसरी तरफ नौकरी करने वाले लोग हैं, लेकिन उन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जो सीलिंग निर्धारित करने के लिए सवाल उठा है, मेरा पूरा विश्वास है, अगर आपने देश में सीलिंग लागू कर दी, तो समाजवादी व्यवस्था होगी, और उसके साथ ही साथ हमारे देश में जो मन-मुटाव है, वह दूर होगा और आपस में सद्भावना पैदा होगी और उसके अन्दर धीरे धीरे ८० प्रतिशत लोग आ जायेंगे। समाज में जो इस ढांचे के अन्दर दूसरे पांच पर्सेन्ट, मुट्ठी भर लोग आज पूंजीवादी का पल्ला पकड़े बैठे हैं, जो दूसरे किसान ८० प्रतिशत हैं, वे इस बात को जान जायेंगे कि ये पाच पर्सेन्ट लोग हमारे ऊपर, हमारी छाती के ऊपर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वे यह कर सकते हैं कि किसी हालत में पांच पर्सेन्ट को अपने ऊपर नहीं बैठने देंगे, इनको भी समाजवादी व्यवस्था में लायेंगे। यह बहुत बड़ा भारी कदम है, इस तरीके के कदम को छोटा नहीं समझना चाहिए, और इस तरीके के कदम को हमें बहुत अच्छा समझना चाहिए, अगर यह कदम सारे मुल्क में एक साथ उठता है तो विषमता दूर होती है, और किसी भी हालत में कहीं भी विषमता रहे, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आपको कदम उठाना पड़ेगा और कदम उठाने के बाद जो आज सारा मुल्क आर्थिक ढांचे पर अवलम्बित है, अर्थ की व्यवस्था पर अवलम्बित है, उस व्यवस्था में संतुलन लाने के लिए जो सीलिंग निर्धारित करने का प्रश्न है, वह बहुत बुनियादी है। अगर इसको टाल देंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस समाजवाद को लाने की बात करते हैं, जिस समाजवाद के नाम की बात कहते हैं, वह समाजवाद किसी हालत में स्थापित नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए इस सीलिंग को रखना पड़ेगा, अगर सीलिंग निर्धारित हो जायगी, तो हम समाजवाद की ओर बराबर

(श्री मुरलीधर व्यास)

बढ़ सकेंगे। इस लब्ज़ों के साथ में कहना चाहता हूं कि मैं बहुत लोगों ने नाना प्रकार की दलील दी हैं, उन दलीलों की गहराई में नहीं जाना चाहता। कइयों ने कह दिया है कि इसको मान्य कर लेंगे, तो कांग्रेस नहीं रह सकेगी, किसी ने कह दिया है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार दिया तो घोटाला हो जायगा, किसी ने कुछ कह दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसी चीज़ नहीं है। और हमेशा से ऐसे ऐसे जो परिवर्तन हुए हैं, इस प्रकार की क्रान्ति के कदम उठाने के अन्दर कुछ न कुछ दिक्कत आई है, और दिक्कत किसी प्रकार की अब भी हो तो हमारा जो लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति का है, उसकी प्राप्ति के लिए उन दिक्कतों का भी मुकाबला हमें करना चाहिए। इस समाजवाद के अन्दर सबसे बड़ी चीज़ जो सीलिंग है, उसको सबने माना है, जब सबने माना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कानून भी बनना चाहिए, बिल लाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी यह काम हो सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के समक्ष बहुत अच्छा मौका आया है (घंटी) राजस्थान के हर आदमी का इससे हित होगा, किसान खुशहाल होंगे। इन लब्ज़ों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिशचन्द्रजी।

श्री हरिशचन्द्र (दाग) : सभानेत्रीजी, आज एक बड़े अहम और गम्भीर विषय पर....

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभानेत्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या टाइम और बढ़ाया जायगा, जिससे सब सदस्य बोल सकें और टाइम नहीं बढ़ाया जाय और बोलने नहीं दिया जाय, तो ऐसा कहा जाय कि टाइम नहीं बढ़ाया जायगा। अगर टाइम बढ़ाया जाय तो ठीक है, नहीं तो दूसरा काम करें।

श्रीमती सभानेत्री : कल पहले राजस्थान वेअर हाउसेज़ बिल पर बहस चलेगी और उसके बाद जो समय बचेगा, उस समय में इस विषय पर चर्चा होगी।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अगर समय नहीं बचे तो ?

श्रीमती सभानेत्री : फिर जो समय मिल गया है, वही रहेगा।

श्री तनसिंह : यह क्या हुआ कि वेअर हाउसेज़ को पास करें तो बहस हो, नहीं करें तो नहीं हो। हम इसके लिये तैयार नहीं हैं। पहले बिल पास करें, उसके बाद समय बचे तो चर्चा हो।

श्रीमती सभानेत्री : बिल्कुल यही चीज़ है, अगर समय बचेगा तो बहस होगी, अगर समय नहीं बचेगा तो नहीं होगी।

श्री तनसिंह : हम विरोध करते हैं, माननीय सभानेत्री, यह नहीं हो सकता कि किसी बिल के लिए कहा जाय कि इसे पास करें, अगर नहीं करेंगे तो समय नहीं देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : आप विरोध करें, आप तरीके से करें। माननीय स्पीकर और बिजनेस एडवाइज़री कमेटी को आप एप्रोच

(श्रीमती सभानेत्री)

कर सकते हैं। हाउस में सीधे विरोध करने का कोई तरीका नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैं भी यह कहूंगा कि बिजनेस एड्वाइज़री कमेटी हाउस से बड़ी सुप्रीम बोडी नहीं है। बिजनेस एड्वाइज़री कमेटी हाउस पर थोप नहीं सकती कि लाजिमी तौर से बिल को पास करना पड़ेगा। तो इस निर्णय के खिलाफ मैं अपना रिज़ेन्टमेंट शो करता हूं जो बिसनेस एडवाइजरी कमेटी ने......

श्रीमती सभानेत्री: बिज़नेस एड्वाइजरी कमेटी को हाउस ने अपने सारे अधिकार दे दिये हैं। वह हाउस पर रूल नहीं करती, उसे हाउस ने अधिकृत कर रखा है। अच्छा है कि आप स्पीकर साहब से एप्रोच करके निर्णय कर लें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभानेत्री महोदया,....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अब सदन की कार्यवाही में विक्षेप न करें स्पीकर साहब से और सदन के नेता से मिल कर फैसला कर सकते हैं, हाउस की कार्यवाही में विक्षेप न करें।

श्री पी. के. चौधरी : आप डिसिजन दे सकती हैं, स्पीकर के पूरे के पूरे अधिकार इस समय आपको हैं....

श्रीमती सभानेत्री : मैं अपने कर्त्तव्य को भली भांति जानती हूं और इसीलिये कहती हूं कि आप माननीय अध्यक्ष से बात कर लें। मैं इसलिये नहीं कह रही हूं कि मैं अपने कर्त्तव्य से अनभिज्ञ हूं। आप चुपचाप शान्ति के साथ बैठ जाइये और सदन की कार्यवाही में विक्षेप न करिये। माननीय अध्यक्ष से मिल कर इस बारे में निर्णय कर लें।

श्री हरिश्चन्द्र (दाग) : सभानेत्री जी हम आज एक गम्भीर विषय पर विचार कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान की एग्रेरियन पॉलिसी को हम तब्दील करने जा रहे हैं, ऐसे मामले में कम से कम हमको इस सदन को इतना टाइम मिल जाता कि हर एक माननीय सदस्य अपने अपने खयालात हैं वे इस सदन के सामने पेश करते। मुझे इस बात का दुख है कि जब एक ऐसा अहम मामला हमारे सामने है तो हमको टाइम लिमिट किया जाता है और जो सदस्य इससे एफेक्टेड हैं, या राजस्थान एफेक्टेड है, उसकी वोइस हम यहां सदन के सामने पेश नहीं कर सकते।

सीलिंग का जहां तक सवाल है, यह मान कर हम चल सकते हैं कि हिन्दुस्तान में जो एक ऐसा बड़ा देश है वहां पर जैसे साउथ इन्डिया में जहां पर पोपुलेशन ज्यादा है, वहां पर सीलिंग लग सकता है, पर राजस्थान में चूंके दूसरे हिस्सों में सीलिंग लग रहा है इसलिये राजस्थान में भी सीलिंग लगाया जाय, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता हूं।

इसके लिये मैं कुछ आपसे निवेदन करूं, ५३ में सीलिंग कमेटी नियुक्त हुई और उसके सामने यह रखा गया कि यह जो देखें कि राजस्थान में सीलिंग लगाना चाहिये कि नहीं, इस बात को वो तय करें मगर रिपोर्ट पढने से मुझे यह महसूस हुआ है कि उनके दिमाग में यह प्रिसपोजिशन था कि

Page No.64

(श्री हरिशचन्द्र)

सीलिंग लगाना चाहिये। उन्होंने यह नहीं देखा कि सीलिंग लगाना चाहिये कि नहीं। हाउ-एवर उनके दिमाग में यह बात थी कि सीलिंग लगाना चाहिये और इस वास्ते विथड्यू रेस्पेक्ट्स मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने सीलिंग के लिये कहा कि राजस्थान में सीलिंग लागू होना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभानेत्री जी कल तीन-तीन, पांच-पांच मिनिट का टाइम फिक्स करेंगे....

श्रीमती सभानेत्री : आप बीच में बाधा न डालें, बैठ जाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी: वाह साहब, टाइम तो फिक्स कर दें....

श्री हरिशचन्द्र : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप थोड़ा सा शिष्टाचार का पालन करें तो अच्छा रहेगा। जब तक, कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, खत्म नहीं कर देते तब तक धैर्य रखिये।

श्री हरिशचन्द्र : सभानेत्री जी सीलिंग लगाने के लिये २ बातें रखी है, एक तो यह कि सीलिंग लगाने से अनएम्प्लोयमेंट कम होगा और दूसरी बात यह रखी है कि सोशियल जस्टिस है इस लिये राजस्थान में सीलिंग लागू होना चाहिये।

जहां तक अनएम्प्लोयमेंट का सवाल है, इसके विषय में मैं कहूं कि सीलिंग के द्वारा अनएम्प्लोयमेंट को कैसे खत्म करेंगे, यह समझ में नहीं आता। पोपुलेशन राजस्थान की और हिन्दुस्तान की बढ़ती जा रही है। सीलिंग आज लगा दें तो पांच, दस साल बाद वह कहां रहेगा? इसका मतलब यह हुआ कि १० साल बाद फिर रिड्यूस करेंगे, और २० साल बाद और रिड्यूस करेंगे, तो आखिर कहां तक रिड्यूस करेंगे। इसका और सोल्यूशन होना चाहिये और वह सोल्यूशन और कोई नहीं, हिन्दुस्तान में राजस्थान में रैपिडली इन्डस्ट्रियेलाइजेशन होना चाहिये और जो आपका सरप्लस अनएम्प्लोयमेंट है उनको इन्डस्ट्रीज में एम्प्लोय करें, एन्गेज करें, तो आपकी इकोनोमी इस तरह बेस्ड होनी चाहिये कि सरप्लस एग्रेरियन निकलते जायं वह दूसरी इकोनोमी में एम्प्लोय होते जायं, इससे एग्रेरियन पॉलिसी ठीक चल सकती है और इन्डस्ट्रियल पॉलिसी भी ठीक चल सकती है। पर सिर्फ यही सोच लें कि अनएम्प्लोयमेंट को इससे, ज़मीन के बंटवारे से ही हल कर लें तो यह ठीक नहीं है। हमारे पास ज़मीन लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अमेरिकन एक्सपर्ट हैं मिस्टर Wolf. I. Ladejinsky. उन्होंने लिखा है : "Measures have to be taken to adjust the disparity between the urban and the rural niving staldards through price subsidies, regulation of ways and improving the labour conditions. Only by industrialisation and the consequent 'siphoning off' of some agricultural labour, coupled with sharp rise in agricultural productivity, can a real dent be made in the vicious circle...

विसस सर्किल किया है :

"poor people, less land and growing

(श्री हरिशचन्द्र)

poverty," तो हम जो हैं। वो इस विसस सर्किल में जाने की कोशिश में हैं कि पूअर पीपल, लैस लैंड, ग्रोइन्ग पावर्टी, ग्रोइंग पोपुलेशन। तो मैं यह निवेदन करूं कि हमको बचना चाहिये कि ऐसे विसस सर्किल में न घुसें।

अब दूसरा पॉइन्ट है वह है सोसियल जस्टिस का। अभी एक महोदय ने अपने भाषण में कहा और बहुत गरम होकर कहा कि हम को डेस्पेरेट इन्कम को कम करना चाहिये, मैं मानता हूं कि डेस्पेरेट रिड्यूस होनी चाहिये, पर वह एक सेक्शन में ही कैसे रिड्यूस हो सकती है, यह समझ में नहीं आया। अगर आप यह कह कर चलें कि हिन्दुस्तान में सब इन्कम पर सीलिंग लगेगा तो मानने को तैयार हैं। पर आप कहें कि एक प्रोफेशन में, कल्टिवेटिंग क्लास एग्रेरियन क्लास है। उसके लिये लिमिट बांध दें कि इस सीमा से बाहर न जायं बाकी दूसरे जा सकते हैं, तो यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि लिमिट लगायें तो सब पर लगायें। और नहीं लगा तो एक सीलिंग से डील न करें। मुमकिन है जिन्होंने आपको कहा है कि यह लगनी चाहिये मुमकिन है उनका उसके पीछे कुछ मोटिव हो। मैं जहां तक उनके मोटिव को समझ पाया हूँ और समझ सका हूँ, अगर सीलिंग लगता है तो कन्ट्री में डिससेटिसफे-क्शन फैलेगा और लोगों से हम जाकर कहेंगे कि यह तुम्हारे साथ गद्दारी हुई है। यदि हम होते तो यह नहीं करते।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बात जो सदन में कही जा रही है उसके लिए मैं ऑब्जेक्शन करता हूं।

श्री हरिशचन्द्र : आप बैठ जाइये। आप बोल चुके हैं। मुमकिन है कि कोई इस तरह का वातावरण क्रीएट करना चाहें तो कर सकते हैं, और राजस्थान में कांग्रेस है। वह वीक होने लग जावेगी और हम उसका पोलिटिक्स गेन करते। इसलिए जो सोशियल जस्टिस का नारा है वह ठीक नहीं होगा। हम एक सेक्शन ऑफ पीपल पर लगावें और दूसरे लोग सीलिंग से महरूम रह जावें। इसके साथ ही साथ हमने जनतन्त्र का ढांचा देखा है। मैं महसूस करता हूं कि इसमें मनी है वह इसमें अपना पार्ट प्ले करता है। अनफोर-चुनेटली मनी इस पोलीटिक्स में अहम पार्ट प्ले करता है। जो परिस्थिति हिन्दुस्तान में है जिसके पास पैसा है वह रूल करता है हालांकि हमने सोशियल पेटर्न ऑफ सोसा-इटी को एडोप्ट किया है लेकिन जो परिस्थिति वाकई में हिन्दुस्तान में है वह यही है कि चन्द आदमी जिसके पास पैसा है, वे पोलिटिकल पॉवर एक्वायर करते हैं। तो काश्तकारों पर सीलिंग लगता है। यदि आप सीलिंग लगाऐंगे तो जो यहां पर ५ प्रतिशत काश्तकारों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी उनको पोलिटिकल पॉवर में महरूम रख देंगे। इस वक्त काश्तकारों में पोलिटिकल पॉवर नहीं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ५ पर्सेन्ट जो रिप्रेजेन्टेटिव यहां पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं सीलिंग लगा देंगे तो ५ प्रतिशत रिप्रेजेन्टेटिव भी जो यहां बैठे हैं नहीं बैठ सकेंगे। मैं यह कहूंगा कि उनके साथ पोलिटिकल इनजस्टिस भी होगी। मैं थोड़े से इसके साथ सीलिंग रिपोर्ट के फिगर्स हैं दे कर ५ मिनिट में अपना भाषण

(श्री हरिशचन्द्र)

समाप्त कर दूँगा।

११.३७ म०पू०

(श्री सज्जनसिंह सभापति पदासीन)

जितना उनके फिगर्स पर महत्व देना चाहिये था, सीलिंग कमेटी को वह नहीं दिया गया और इस बात को देख कर मुझे दुःख होता है कि रिवोल्युशनरी चेन्ज लाना चाहते हैं और इसके बेसिस पर लाना चाहते हैं तो उनके फिगर्स की तरफ ध्यान देना होगा। मैं आपको बताऊँ पेज ३५ में है : कॉलम २३ में अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोटा की जो प्रोड्यूस है ५३:५४ में वीट की वह ४.३३।। है और नेक्स्ट कॉलम २४ पर बूंदी में उसकी पैदावार है वह १०.२६ थी। इससे आपको महसूस होगा कि कोटा की प्रोड्यूस कम है और बूंदी की ज्यादा है। मगर आप देखेंगे की सीलिंग कोटा में लगा है ५० एकड़ और बूंदी में ६० एकड़। जहां पैदावार कम है वहां पर सीलिंग कम रखा है और जहां पैदावार ज्यादा है वहां पर सीलिंग ज्यादा। इसी तरह से नागोर में १६५३:५४ में वीट का प्रोडक्शन १३.७. और नागौर में १२५ एकड़ है। अब यह किस तरह से होगा। जहां पर प्रोड्यूस कम है वहां पर सीलिंग होना चाहिये मगर ऐसा नहीं किया गया। इसलिये मैं जहां तक समझ पाया हूं कि जितना ध्यान इस पर देना चाहिये था नहीं दिया गया। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा। जैसे आप नागोर ज़िला ले लें। उसमें उन्होंने माना है कि एवरेज नेट इन्कम एकड़ २० पर एकड़ रुपये। वहां पर प्रोड्यूस ज्यादा है, हां पर२०)एवरेज नेट इन्कम पर एकड़ माना है और वहां पर सीलिंग १२५ एकड़ का है। इसके कम्पेरिज़न में कोटा आ जावे। प्रोड्यूस है कम पर एवरेज है ४०। वहां पर सीलिंग लगा है ५० यह समझ में नहीं आता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब प्रोड्यूस ज्यादा है तो नेट इन्कम एवरेज कम कैसे है। मेरा इस मामले में सिर्फ यही अर्ज़ करना है कि इन अकड़ों से कुछ मालूम नहीं होता कि क्या बात है? कैसे यह किया गया है? आप देखें तो आपको मालूम होगा कि कोटा में ४० लगाया गया है और दूसरी जगह ६० जहां पर फिगर ४० है, उस पर उन्होंने ६० लगाये हैं। They are more interested to round the figures than giving consideration to the facts. जैसे ६० होने चाहिये वहां ५० कर दिये हैं और जहां ४८ थे वहां पर राउन्ड फिगर करके ५० कर दिये। उदयपुर में ५५ के ६० हो गये और कोटा में ७७ के बजाय ७५ हो गये। इसलिए यह साफ साफ़ मालूम नहीं होता कि करेक्ट फिगर्स क्या हैं। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि दुबारा जांच पूरी तरह होनी चाहिये और फेक्ट और फिगर्स पर होनी चाहिये और फिर यह रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सिलिंग कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए मैं इस सिद्धान्त को स्वीकार करता हूँ कि इस प्रदेश में भी सिलिंग लागू होना चाहिये। इसके कारण भी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। सिलिंग हम क्यों लागू करने जा रहे हैं। इसके लिये कारण यह है कि सीलिंग देश की बेकारी को दूर करने के लिये, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको दूर करने के लिये, और आने

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

वाली सन्तानों को एक ऐसी विचारधारा पर अग्रसर होने के लिये, हमारे लिए यह जरूरी है कि सिलिंग कायम करें। बेकारी की जो समस्या है उसमें दो प्रकार के बेकार हैं, एक बेकार तो वे हैं जिनके पास खाने को नहीं। न उनके पास जमीन है और न उनके पास ऐसा कोई ज़रिया है कि जिससे वे मज़दूरी करके भी अपना पेट पालन कर सकते हों।

दूसरे बेकार वे हैं जिनके पास खाने को काफ़ी है जमीन उनके पास खूब है उसकी आमदनी पर एशो आराम करते हैं बैठे बैठे अपनी हकूमत चलाते हैं वे इस तरह से बेकार हैं। इस प्रकार की बेकारी को भी तो हमें दूर करना ही है। ऐसे बेकार जिनके पास खाने पीने को खूब है जो बैठे बैठे एशो आराम करते हैं, जिनकी बेकार पड़े रहने की इस प्रकार की आदत पड़ गई है उस बेकारी की समस्या को भी अवश्य हल करना है। ऐसे बेकार लोग निकम्मे बैठे रहकर कुराफातें पैदा करते हैं देश की उन्नतिशील गतिविधियों में बाधायें उपस्थित करते हैं इस प्रकार से कुराफात करने वाले बेकारों की समस्या को भी हल करना है। इस तरह से हमारे सामने दो तरह के बेकारों की समस्या है। एक बेकार तो वे है जिनके पास रोटी खाने को नहीं और काम नहीं है, एक बेकार वे हैं जिनके पास खाने को खूब है, एशो-आराम करते हैं और देश में कुराफाते पैदा करते हैं। इस तरह से इन दो प्रकार के बेकारों की समस्या को हल करने के लिये सीलिंग लगाना बहुत आवश्यक है।

जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज हैं और जब हम देश में इकोनोमिक प्लानिंग करने जा रहे हैं तो उस सिद्धान्त के अनुसार भी हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम यहां सिलिंग कायम करें। यह बताया जाता है कि सिलिंग कायम कर देंगे तो गांवों में रहने वाले ७० प्रतिशत लोगों पर इसका बुरा असर होगा उन पर आघात होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ७० प्रतिशत लोगों को इससे किस प्रकार से कष्ट पैदा हो जायगा। आज हम देखते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर हमारे सामने हजार एकड़ से जिनके पास अधिक जमीन है उनकी संख्या ५६० के करीब बैठती है और जिनके पास पांच सौ बीघा से लेकर हजार बीघा तक जमीन है उनकी संख्या १०१८ है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास अधिक भू-क्षेत्र है उनकी संख्या केवल १५०० के करीब है। इसके खिलाफ़ हम देखते हैं तो हमें इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि एक एकड़ से कम भू-क्षेत्र जिन लोगों के पास है उनकी संख्या ४ लाख ३६ हजार के करीब है। यदि हम इस समस्या को इस रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं तो केवल १५०० आदमियों के पास बहुत बड़े बड़े भूभाग हैं उधर दूसरी तरफ लाखों आदमी ऐसे हैं जिनके पास कुल मिलाकर २ लाख ६१ हज़ार एकड़ के करीब भू-क्षेत्र है। इन सब आधारों को सामने रखते हुए हमें सोचना है सीलिंग का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इसका प्रभाव १५०० आदमियों पर पड़ेगा जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्ज़ हैं। इस पर भी यह कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसके विपरीत यह काम हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया आखिर इकोनोमिक प्लानिंग क्या है वह तो यही है कि देश के हर स्तर व हर तबके को ऊंचा

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

उठाया जाया यही इकोनोमिक प्लानिंग है । वहां यह तो माना नहीं है कि कुछ तो ज्यादा से ज्यादा जमीनें रख कर ही मालदार बने रहें और दूसरे गरीब भूमि हीन ही बने रहें यह प्रश्न इकोनामिक प्लानिंग में नहीं है ।

देश के धन का बंटवारा नहीं किया जाता जमीन का बंटवारा क्यों किया जाता है । इस प्रकार की बातें भी सदन में कही गईं । लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि धन के बंटवारे से देश की समस्या हल होने वाली नहीं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया था अगर देश का कुल धन एकत्रित करके सब में बांटा जाय तो ३०० रूपये से अधिक प्रति व्यक्ति नहीं आता । जमीन बंटवारा देश का बुनियादी सिद्धान्त है । इससे जमीन की उत्पादन शक्ति बढ़ने से रास्ता साफ़ होता है और इस सिद्धान्त को लेकर देश समाजवाद की ओर बढ़ सकता है । जब कि हम देश को समाजवाद की ओर लेजाना चाहते हैं । तो इस तरह की कई हमारे सामने समस्यायें हैं जिन्हें हल करना है । जो लोग यह कहते हैं कि ७५ प्रतिशत लोगों को इस सीलिंग से कष्ट होगा उनको नुकसान पहुँचेगा मैं तो स्पष्टतया यह मानता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है यह कदापि नहीं हो सकता कि इससे ७०-७५ प्रतिशत लोगों को नुकसान या कष्ट होगा । आज जो ७५ प्रतिशत लोगों की वकालात कर रहे हैं । वे उन लोगों की आड़ लेकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आज जो मालदार लोग हैं । वे ही तो यहां सदस्य बैठे हुए है आज एक भी उन भूमि हीन गरीबों का प्रतिनिधि यहां विधान सभा में मौजूद नहीं है, अगर वे यहां आकर कहते कि हमारे पर कुठाराघात हो रहा है तो किसी भी तरह यह माना भी जा सकता था । आज उनकी जो वकालत कर रहे हैं उनके खुद के पास भी बड़ी बड़ी होल्डींग्ज मौजूद हैं वे चाहते हैं कि यदि इस प्रकार से सिलिंग कायम हो जाता है । तो उनके पास जो बड़ी बड़ी होल्डींग्ज हैं वह सब छिन जायगी, उनकी कुर्सियां चली जायगी इसलिए इस चीज़ को वे टलाना चाहते हैं । मैं समझता हूं आज जो उन गरीबों के नाम पर वकालत कर रहे हैं वे उनकी नहीं अपनी खुद की वकालत कर रहे हैं और यह चाहते हैं कि सीलिंग कायम न हो । हमारे सामने उन सात लाख आदमियों की समस्या है जो कृषि के काम में मज़दूरी करते हैं । दूसरे सात लाख आदमी वे हैं ! जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है, इसके अलावा भी लाखों आदमी ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से पांच एकड़ के बीच में जमीन है । जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनके अलावा जितने भी आदमी पढ़े लिखे बेकार हैं । शिक्षा में जो कृषि का काम सीख गये हैं या सीखना चाहते हैं उन सब समस्याओं को सामने रख कर सीलिंग पर विचार करना है । नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी । आज हम सीलिंग कायम करके प्रदेश के ७० प्रतिशत लोगों का जीवन सुखी बनाने जा रहे हैं । आज यह भी कहा जाता है इन्डस्ट्रीज आदि पर सीलिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं जमीन पर ही क्यों लगा रहे हैं । मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूँ ७० प्रतिशत लोगों की जीवन रक्षा के लिये हम सीलिंग लगाने जा रहे हैं । इसके अलावा ३० प्रतिशत लोग रह जायेंगे, उनके बारे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं ।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

आपको मालूम होना चाहिये कि राजस्थान में जितनी भूमि थी वह जागीरदारी हलकों में सब से ज्यादा बंटी हुई थी। खालसा में कम थी और ५६-६० प्रतिशत जमीन जागीरदारी इलाकों में बंटी हुई थी। जागीरदार लोग अपनी जागीर भूमि पर अपना क्लेम रखकर अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। इससे वह बड़े बड़े मुबारक ७० प्रतिशत लोगों पर आपत्ति आजायगी यह बहाना ले रहे हैं इसलिये यह बहाना बिल्कुल गलत है। आज हमको इस समस्या को देश की भलाई किस प्रकार हो इस तरह से देखना है कि सदन में चाहे इस पार्टी में चाहे विरोधी पक्ष में बैठे उनको यह सोचना चाहिये, कि जिस समाजवादी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें जनता के सामने जवाब देना होगा हमने जो उनसे वादे किये हैं कि हम देश में समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करेंगे, तो हमें उसके अनुसार ही यहां कार्य करना होगा इसके अलावा जो जो लोग कांग्रेस पार्टी में है उनको सोच लेना चाहिये कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी समाज की रचना करने का है ऐसी अवस्था में वे लोग यह न सोचें कि हम कांग्रेस के अन्दर घुसकर समाजवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहेंगे तो खत्म कर देंगे उनको मैं यह कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सच्चे लोग ऐसी बात सहन कदापि नहीं कर सकते....

एक माननीय सदस्य : कौन घुस आये हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (जारी) : मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें सोचना उपयुक्त नहीं है। आज हमारी सरकार के पास जमीन है १ करोड़ २७ लाख एकड़ जमीन सरकार के पास खेती के लायक है हम उस जमीन को बांट दें तो भी इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमारे सामने समस्या है वह यह कि हम देश को किस रास्ते पर लेजाना चाहते हैं। आज एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि देश पूंजीवादी की ओर बढ़ रहा है, दूसरी ओर वे ही काश्तकारों के नाम पर पूंजीवादी बन करके भूमि हीनों पर हकूमत करना चाहते हैं। ५ प्रतिशत लोग चाहते हैं कि ७० प्रतिशत लोग उनके यहां नौकर रहकर गुलामी का जीवन व्यतीत करें। आज की स्थिति में यह कदापि सहन नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सीलिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह बहुत अनुभवी व्यक्तियों द्वारा बहुत सोच समझ कर दी हुई है। उस कमेटी ने राजस्थान का चारों तरफ दौरा करके और सब तरह की छान बीन करके यह रिपोर्ट दी है।

इसमें इस प्रकार की जरा सी योग इत्यादि में गलती हो सकती है कि कहीं ५० की जगह ६० और ६० की जगह ६२ अगर होगया हैं तो आप बता सकते हैं उसे दुरूस्त करा सकते है। लेकिन सीलिंग के सिद्धान्त को तो अवश्य ही मानना होगा। कहीं ६० से ५५ होगया तो उसे दुरुस्त करा सकते हैं। लेकिन आप यह कहें कि सीलिंग ही लागू नहीं हो तो यह उपयुक्त नहीं। आज हम राजस्थान की परिस्थितियों को सामने रखकर ही नहीं बल्कि देश की परिस्थितियों को सामने रखकर चलते हैं। देश में अन्न की समस्या जबरदस्त है। मैं यह भी कहता हूं कि यन्त्रों से जो फार्म चलते हैं उनके लिए सीलिंग लागू नहीं हो ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। मैं कहना चाहता

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हूं ऐसा क्यों होता है। जो मालदार हैं उनके पास ही यन्त्र हैं। जिनके पास पैसा है उन पूंजीपतियों पर हम सीलिंग लागू नहीं करना चाहते हैं पूंजीपति तो वैसे का वैसा रहा। यह जो बात रिपोर्ट में है उससे मैं सहमत नहीं हूं। हम जो आज समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ सोशल जस्टिस भी चाहते हैं। उससे इसका विरोधाभास प्रकट होता है। इस समाजवादी रचना के साथ जो सहकारिता का सिस्टम है उसमें यह वाजिब बात है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके लिए सीलिंग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर भी अंकुश लगा रखना चाहिए। सरकार ऐसे उसको, सहकारी संस्थाओं को सीलिंग मुस्तसना कर सकती है। उसका अंकुश रखने का कारण मैं बताता हूं कि सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर आजकल हम देखते हैं कि किस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती है। कुछ थोड़े से आदमी अपने ही घर घर के मेम्बर बन गए और वह कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगई। हम कितना भी करें सहकारिता के आधार पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कायम करें यह अच्छा है। लेकिन वही की वही सारी बातें जो आज हमारे देश में खराबी की चलती हैं वो की वो आगे होने वाली हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का उन संस्थाओं पर अंकुश रहना चाहिए, क्योंकि वह रहने पर यह मालूम हो सकता है कि कौन सी सहकारी समिति घर के आदमियों से मिलकर बनी हैं और कौन सी गांव के आदमियों से बनी है। जो गांव के आदमियों से मिलकर बनी है उसको सरकार को सीलिंग से मुस्तसना कर देना चाहिए। यदि यह सहकारिता का आधार रखते हैं, और यह सरकारी अंकुश भी रखते हैं तो वह ठीक होगा।

अब यह भी कहा कि भाव गिर जायेंगे। आज का जो भाव है वह १२ सेर का भाव लिया गया...

श्री सभापति : १२ सेर का भाव नहीं लिया गया है। १२) रु० मन का लिया गया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : भाव का जो यह बताया गया हैं कि भाव ऊंचे और नीचे होते रहते हैं। आज देश के सामने और देश की सरकार के सामने यह समस्या हैं तो देश की सरकार भावों पर नियन्त्रण रख सकती है। यह नीति सरकार को अपनानी होगी, और अपनाई जानी चाहिए और अपना भी रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि ज्यों ही भाव मंहगे होते है विदेशों से नाज मंगाकर यहां पर देश में सस्ता नाज बेचा जाता है। राजस्थान में देखा कि ज्यों ही नाज के भाव ऊंचे चढ़ने लगे तो दूसरे प्रदेशों से माल मंगाना पड़ा और भावों को स्थिर रखना पड़ा। इसी प्रकार से राज्य शासन अपने काश्तकारों की तरक्की के लिए दूसरे देशों में, अमेरिका और रूस इत्यादि देशों में, अपने यहां के भावों पर नियन्त्रण रखती है। उसी प्रकार से हमारे देश की पालिसी भी है और यह पॉलिसी शीघ्रातिशीघ्र लागू की जायगी। अध्यक्ष महोदय, यह डर नहीं होना चाहिए कि आज जो भाव हैं वे कल गिर जायेंगे। काश्तकारों की व देश की आर्थिक समस्याओं को सामने रखते हुए भावों पर नियन्त्रण रखा जायगा।

Page No.71

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हम देखते हैं कि आज वही देश आगे बढ़ रहा है जो कि खेती के मामले में आत्म-निर्भर है। आज हम देखते है कि इंगलैण्ड तीसरी श्रेणी का देश हो चुका है। क्यों हो गया ? रूस और अमेरिका प्रथम श्रेणी के देश है। क्यों हैं ? क्योंकि उनके पास ज़मीन है, उनके पास अन्न हैं जो वे दूसरे देशों को भी मुहैइया कर सकेते हैं। हमारे सामने अन्न की समस्या है। हमारे पास ज़मीन है, पर कैसी ? आज राजस्थान में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है। आज भारत सरकार अगर यह कह दें कि हमारे पास ज़मीन काफी है तो मैं समझ लूंगा कि वाकई ज़मीन काफी है। बड़े बड़े फार्म वाले अगर यह कहें कि ज़मीन की समस्या कुछ नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत है। आज हरिजन लोग ज़मीन के लिए मुहताज हो रहे हैं, उन्हें ज़मीन नहीं मिल रही हैं, आज भारत के आदि वासी लोग कहते हैं कि उन्हें खेती के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, तो इसका क्या कारण है ? आप कहते हैं कि ज़मीन बहुत है उनको वहीं भेज दें। भेजे कहां ? ज़मीन हो तो भेज दें। ज़मीन आप ऐसी बताना चाहते हैं जहां पर न तो बीज ही पक सकता है और न चारा ही हो सकता है। ऐसी हालत में मैं बताना चाहता हूं कि जो 'सीलिंग कायम करो' का प्रोग्राम है उसको लागू करना चाहिए और सरकार को इसमें ऐसे विरोध से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कांग्रेस सरकार को यदि कुर्सियां भी छोड़नी पड़ें तो छोड़ दें, लेकिन समाजवादी सिद्धान्त को कायम रखकर सीलिंग ज़रूर लागू करना चाहिए।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, सीलिंग कमेटी के प्रतिवेदन पर बहस का आज दूसरा दिन है। बहुत से साथियों ने अपने विचार इस मसले पर व्यक्त किये हैं। सभापति महोदय, वास्तव में सीलिंग का जो सवाल है। वह एक बहुत विचारणीय सवाल है और खास करके राजस्थान के लिए जहां को परिस्थितियों हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से कुछ भिन्न हैं। समाजवादी ढांचे से आगे बढ़ने के लिए या समाजवादी ढांचे से हिन्दुस्तान की उन्नति करने के लिये हमने एक सिद्धान्त को माना है और वह सिद्धान्त है कि जो आमदनी के श्रोत हैं, आमदनी के जो जरिये हैं, उनके ऊपर समाज का अधिकार है, यानि वह किसी एक आदमी के हाथ में नहीं हो जिससे कि शोषण नहीं हो सके। यह एक मूल चीज़ हम मानकर आगे बढ़ रहे हैं समाजवादी ढांचे के अन्दर हिन्दुस्तान को परिणित करने के लिए, जहां तक यह सवाल है हिन्दुस्तान के अन्दर ज़मीन, मिलें, कारखाने, खानें, किसी भी प्रकार के जो साधन हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो साधन हैं या उत्पादन के जो साधन हैं, उनके ऊपर एक किसी आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिये। यह एक चीज़ समाजवादी ढांचे के अन्दर मानकर हम लोग चल रहे हैं। इधर सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को हम देखते हैं। तो जो रिपोर्ट है उसके अन्दर ज़मीन की सीलिंग के सवाल को रखा है। जहां तक समाजवादी न्याय का दृष्टिकोण है, उसके ऊपर हम विचारते हैं तो यह चीज़ कुछ पूरी नहीं उतरती है। जहां ज़मीन के ऊपर सीलिंग का सवाल है वहां साथ ही साथ समाजवादी ढांचे के अन्दर हिन्दुस्तान को ढालने के लिए यह चीज़ हो जाती है कि पूंजी जैसी चीजें, कारखाने

(श्री मोहरसिंह)

जैसी चीजें, खानें जैसी चीजें के ऊपर भी सीलिंग लागू किया जाय। यह एक समाजिक न्याय का दृष्टिकोण है, वह इस बात की मांग करता है। लेकिन हम आधी चीज़ पर हम चलें और ज़मीन के ऊपर सीलिंग लगे, उस सीलिंग के अन्दर कहां, कुछ, क्या कमी है इस बात पर बाद में आऊंगा, लेकिन यह बात बतलाये बिना भी नहीं रहना चाहता हूं कि वहां आधी चीज़ पर गवर्नमेंट सोचती है और ज़मीन पर सीलिंग मुकर्रर करते हैं और पूंजी और कारखानों पर मुकर्रर नहीं करते हैं। इस बात की एक वज़ह है और वह वज़ह यह है कि वास्तव में जो हमारा सिस्टम चलरहा है वह पूंजी के और से चल रहा है। वे जानते है कि पूंजीवाद लोगों के ऊपर जो मिले, कारखाने और खाने हैं अगर उनके ऊपर सीलिंग किया जायगा तो जो बड़े बड़े अरबपति और खरूपति है वे नाराज होगें और नाराज होने से उन्हें इस बात का खतरा है कि हमारा ढांचा कहीं बिगड़ न जाय। इसलिए वह इधर चले और चले ज़मीन की सीलिंग पर। सैद्धान्तिक तौर पर मैं इस चीज़ को मानता हूं कि सीलिंग बुरी नहीं है, सीलिंग देश के लिए बुरी नहीं है। हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पूंजी के ऊपर, मकानों के ऊपर, नौकरियों के ऊपर खानों के ऊपर और कारखानों के ऊपर सीलिंग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए ज़मीन पर सीलिंग नहीं हो। यह वास्तव में बात उचित नहीं है।

१२ मध्यान्ह

इस सिद्धान्त पर हम यह नहीं कह सकते लेकिन हमें इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि जिस तरह देश ने आजादी लाने के लिए आन्दोलन किया उसी तरह सारी चीजों को लागू करने के लिये, समाजवादी ढांचे को लागू करने के लिये संघर्ष कायम रखना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह जरूर कहूँगा कि जहां इस चीज़ को लागू करने का सुझाव दिया है उसके साथ साथ पूर्ण बुद्धिमानी ढंग से किसानों के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाने और समाजवादी ढंग पर आगे लेजाने के लिये सारी चीजों पर गौर करके इस प्रतिवेदन में सुझाव नहीं दिया है। इस चीज़ के प्रतिकूल कहना चाहूंगा।

एक चीज़ रखी है २४०० रु० की आमदनी। आमदनी की तरफ व्यवहारिक दृष्टि से नहीं देखा गया है। २४०० रु० में सात आदमियों का परिवार इस जमाने में कैसे निर्वाह कर सकता है। इतनी आमदनी वाली ज़मीन पर सीलिंग मुकर्रर करके यह कहेंगे कि इससे ज्यादा तुम्हारी आमदनी नहीं होगी, यह न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, व्यवहारिक नहीं हो सकता। आंध्र की भी मिसाल हमारे सामने आई, पंजाब की मिसाल भी हमारे सामने आई। उन सारी चीजों को देखते हुए अच्छी तरह से विचार करके कहना पड़ता है और नतीजे पर आना पड़ता है कि यह जो हद रखी है यह सही नहीं है। २४०० रु० सालाना कोई ज्यादा नहीं है। २०० माहवार की आमदनी उस पर कितना उसका खर्चा है, इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। कपड़ों और खाने के साथ साथ उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी सवाल आता है, उनके दवा दारू का भी सवाल आता है। यहां

(श्री मोहरसिंह)

पर यह दलील दी जाती है कि सरकार ने अपने बजट में बड़ी से बड़ी गुंजायश रखदी है दवाइयों और औषधियों के लिये । बजट तो बनता है । लेकिन उसका सही माने में उपयोग कितना होता है यह देखने की बात है । पहले तो उन लोगों का अस्पताल में जाना ही मुश्किल है, अगर वहां चले भी जाते है तो दवाई का इन्तज़ाम मुश्किल हो जाता हैं । वहां जाते ही पर्ची दे दी जाती है कि बाजार से दवाई ले आवें । तो ज्यादा नहीं तो साल भर में ५०, ६० या ७० रुपये की दवाई का खर्चा तो मानकर चलना पड़ेगा । दवाई के बाद में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा आयगा। या यह कह दें कि किसानों के लड़कों को चौथी पांचवी कक्षा से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है । इसलिए उनको पढ़ाई पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है । लेकिन समाजवादी समाज में सब को पढ़ने लिखने के एक से हक हांसिल हैं तो स्टेन्डर्ड आगे बढ़ाना पड़ेगा और बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा। इससे किसान को कुछ खर्चा करना पड़ेगा । इससे अलावा सामाजिक कुरीतियां, शादी गमी आदि पर खर्चा करना पड़ता है । इसके अलावा दान, चंदा आदि भी देना पड़ता है इसके साथ साथ जो टैक्स सरकार लगाती है उससे भी किसान को जकड़ा रहना पड़ता है । किसान झोंपड़े में रहता है और दूसरी तरफ कई लोग दस दस मंजिल के आलीशान भवनों में मजे से रहते हैं। किसान भी सोचता है कि आज के आज़ादी के जमाने में मुझे भी आराम से रहने का हक है, बड़े बड़े मकान बनाने का हक है । वह जो कच्चा पक्का मकान बनाता है वह ४०, ५० वर्ष चलेगा तो साल भर में २५०, ३०० रुपये मरम्मत के लिये भी आवश्यक हैं। इतना उसे मरम्मत का भी मार्जिन रखना पड़ेगा । कुल मिलाकर कहना पड़ेगा कि ७ आदमियों के परिवार के लिये सब चीज़ों और सामान का हिसाब से ६ हज़ार रुपयों की उसको आवश्यकता पड़ेगी । यदि वह ठीक ढंग से रहना चाहते है, उस स्तर पर नहीं जो अमीरों का है, जिनके पास चढ़ने के लिये मोटर है उसको अलग रखिये, सुख सुविधा के सामान को जाने दीजिये । लेकिन साधारण स्तर पर ७ आदमियों के परिवार के लिये ६००० रु० की सालाना आमदनी जरूरी है । उसके पास में ज़मीन के सिवाय आमदनी का साधन क्या है ? मिनिस्टर महोदय कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा जाने दीजिये । लेकिन आगे जाकर वह नौकरी भी तो करेगा । लेकिन उसको दूसरा खर्चा भी तो अधिक करना पड़ेगा । कुल मिलाकर इस नतीजे कर पहुँचेंगे कि साढ़े पांच हज़ार ६ हज़ार रुपये ७ आदमियों के परिवार के लिये जरूरी हो जाते हैं। यहां जो २४०० रुपये निर्धारित किए हैं वे उचित नहीं है । दूसरे इलाकों को देखकर, आज के जमाने को देखकर और ज़मीन पर निर्भर करने वाला किसान के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाना चाहते है या पीछे लेजाना चाहते हैं । यदि उनको पीछे नहीं लेजाना चाहते हैं तो यह सब देखकर सीमा निर्धारित करदें । इसके साथ साथ उसको ५ या १० वर्ष आगे का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आज उसके परिवार में ७ आदमी हैं, तो ५ वर्ष बाद ६ आदमी हो सकते हैं । और मैं मानता हूं कि सीलिंग करते समय उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा । इसके साथ साथ जमानों का भी ख्याल रखना पड़ेगा १०० साल में ३३ अच्छे ज़माने आते हैं ।

(श्री मोहरसिंह)

और बाकी बचे हुए ६७ में से कुछ आधे ठीक कुछ बुरे ज़माने आते हैं और ३ तो भयकर अकाल आते हैं। जब उस किसान के पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं होगी तो वह बुरे वर्ष में कैसे अपना गुजर करेगा कहां खर्चा चलायेगा ? तब उसको कर्ज़ा लाना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हिन्दुस्तान के किसान और राजस्थान के किसान पर इतना कर्ज़ा क्यों है ? इसलिये है कि वह डेफिसिट या घाटे में चल रहा है। इसलिये आज के समाजवादी ढंग में किसानों को कर्ज़ से मुक्त करके आगे बढ़ाना है और किसानों के लड़कों बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाना है तो हमें मानना पड़ेगा, सहृदयता से मानना पड़ेगा, विशाल हृदयता से मानना पड़ेगा कि उनको आगे बढ़ाने के लिये आमदनी का ज़रिया हो उस पर सीलिंग ज्यादा और ऊंचा मुकर्रर करें। यदि आप इसको ठीक नहीं मानते हैं तो मुनासिब बात नहीं करते हैं।

साथ ही साथ मैं यह कहूँगा कि राजस्थान के किसानों की समस्या सारे हिन्दुस्तान के किसानों की समस्या से अधिक कठिन है। यहां पर भूमि हीन किसानों की समस्या है। यहां पर कई आदमियों के पास ज़मीन नहीं है पेट पालने का साधन नहीं है। उसके लिये न तो कोई इन्डस्ट्री का इन्तज़ाम है और न दूसरी तरह से पेट पालने का साधन है। वह श्रमिक किसान ज़मीन पर खेती करने जाता है, निदान करता है, खेत बोता है, अनाज भी उगाता है। लेकिन वह सब उसका नहीं है क्योंकि ज़मीन उसकी नहीं है। इसलिये उसको ज़मीन मिलनी चाहिये। अब सवाल यह आयगा कि उनके लिये ज़मीन कहां से आयगी ! ज़मीन कोई नई तो बन नहीं सकती। लेकिन इस प्रतिवेदन में बताया है कि ३ करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है जो काबिल काश्त बनाई जा सकती है। इसमें एक चीज़ ऐसी है जो पूर्णरूप से समझ में नहीं आता कि सही आंकडे कौनसे हैं। इतनी बात जरूर समझता हूं कि डेढ़ दो करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है, जो जोतने काबिल है। इस प्रतिवेदन में दो तरह के आंकड़े दिये गये हैं। एक तरफ तो बताया गया है कि २॥ करोड़ एकड़ ज़मीन है और दूसरी तरफ १ करोड़ एकड़ ज़मीन है। लेकिन डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि करीब है जिसमें रेगिस्तान का जैसलमेर का हिस्सा, जोधपुर का हिस्सा, और बाड़मेर का भी उल्लेख किया गया है, उसमें से कुछ ज़मीन निकाल कर १ करोड़ एकड़ के करीब भूमि जोती जाती है। और उधर बताया जाता है कि ढाई लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। इस हिसाब से कम से कम २० एकड़ ज़मीन हरएक के हिस्से में आ सकती है। इन सारी चीज़ों पर विचार करके सैद्धान्तिक रूप से मैं सीलिंग का समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें जो तरीका अपनाया गया है वह डिफेक्टिव है। ठीक ढंग से उसको रखना चाहिये। किसानों की आमदनी की सीमा ६ हज़ार नहीं पहुँच सकती, तो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के लिये जो निर्धारित की गई है ४ हज़ार की उससे कम तो गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिये। इतना ऊंचा सीलिंग निर्धारित करना चाहिये, जितनी सीमा टैक्स के लिये रखी है उतनी इसके लिये भी रखनी चाहिये। २४०० रुपयों पर ही सीलिंग लगाना उचित नहीं है। अब दुनियां आगे बढ़ रही है, किसान के हृदय में भी यह विचार पैदा होता है कि वह

(श्री मोहरसिंह)

आराम से रहे। जिनके पास भूमि नहीं है, जो लैंड लैस है, उनको जो लैंड पड़ी है, जो ज़मीन पड़ी है, वह दें। अगर वह कम रहे तो दूसरा इलाज निकल सकता है। मैं सैद्धान्तिक तौर से इसका समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि इसमें जो तरीका अपनाया गया है, जो चीज रखी है, इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, सीलिंग कमेटी का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है, हमारे राजस्थान में भूमि सुधार सम्बन्ध में, सीलिंग की एक लड़ी रह गई है, वह इसके कानून के रूप में आने के बाद लड़ी पूर्ण हो जाती है। सभापति महोदय, मैंने एक दो भाषण सुने और उन भाषणों को सुन कर ताज्जुब हुआ कि कई माननीय सदस्यों की राय थी कि सीलिंग नहीं होनी चाहिये, कई माननीय सदस्यों की राय है कि जो सीलिंग के सम्बन्ध में आमदनी का सिद्धान्त रखा है, वह कुछ ऊंचा होना चाहिये। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सीलिंग होने की क्यों आवश्यकता है। सभापति महोदय, यह निश्चित है कि हमारे देश के अन्दर सब काम एक प्लान के अन्दर चल रहे हैं, सारे काम देश की पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत चल रहे हैं, और कोई ऐसा विषय नहीं है जो प्लानिंग के अन्तर्गत न गया हो। तो दूसरे क्षेत्र में जब सब काम प्लानिंग के अन्तर्गत चल रहे हैं सम्भव हो सकता है कि सीलिंग के बारे में जो सिद्धान्त प्लानिंग कमीशन ने माना है, उसे न अपनायें। इन्होंने खुद ने कहा है, प्लानिंग कमीशन ने कहा है :

"It appears to us that in relation to land (as also in other sectors of the economy) individual property in excess of any form that may be proposed has to be justified in terms of public interset, and not merely on grounds of individual rights or claims. We are, therefore, in favour of the principle...that ... there should be an upper limit to the amount of land that an individual may hold." तो जब प्लानिंग कमीशन ने मान लिया है, तो हमें इससे दूर नहीं होना चाहिये। अब सीलिंग में भूमि कितनी हो, इसमें विवाद है और इस सम्बन्ध में अपन जैसा निर्णय कर लें, वैसा हो सकता है।

दूसरी बात, माननीय सभापति, यह है कि हमारे सामने यह प्रतिवेदन पांच वर्ष में आया है। राजस्थान के रहने वाले लोग आशा लगाये हुए थे कि कब रिपोर्ट आये, कब कानून का रूप ले और जो भूमि हीन सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं वे आशा लगाये हुए थे कि कब उन्हें सहूलियत मिले। मुझे दुःख है कि इस कमेटी ने, जिसके चेयरमैन हमारे मुख्य मंत्री थे, यह रिपोर्ट पांच वर्ष में पेश की और पांच वर्ष के बाद भी डिस्कशन हो रहा है और अभी यह जो अधिवेशन है, वह समाप्त होने जा रहा है, इस अधिवेशन के समाप्त होने के बाद यह कब बिल के रूप में आयेगा और न मालूम कब पेश होगा और कब राज्यपाल अथवा प्रेसीडेन्ट की असेन्ट होगी और कब कानून के रूप में उसे लाया जाता है, यह मालूम नहीं है। इसके बारे में प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि मुमकिन है कि कानून देरी से आये, इसलिये जरूरी है कि दरम्यान के लिए कुछ रास्ता

Page No.76

(श्री सोहनलाल भटनागर)

निकाला जाय ताकि जिस जमीन को रहन रख। जा रहा है अथवा बेचा जा रहा है, इस कमेटी की रिपोर्ट के कारण जो कार्यवाही हो रही है, उसमें रुकावट की जाय। इसके बारे में कहा है कि क्योंकि वैधानिक कठिनाई है इसलिए नहीं रोका जा सकता है। इसके बारे में प्लानिंग कमीशन से भी राय ली गई। उन्होंने यह कहा है कि ऐसी बात नहीं है, अगर सीलिंग लाया जा रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए कानून बनाना चाहिये। मुझे खुशी है कि सरकार ने इसको रोकने के लिए एक बिल बनाया है। हमें आशा थी कि वह इस अधिवेशन में पास किया जाता और कानून के रूप में अमल में लाया जाता, ताकि सीलिंग का कानून लाने में देर होती तो भी सीलिंग का जो मुख्य उद्देश्य था, पर्पज़ था, वह deflect न होता। मुझे दुःख है कि वह बिल हमारे सामने नहीं आ रहा है।

तीसरी बात, माननीय सभापतिजी, यह है कि एक बात कही जा रही है कि सीलिंग के लिए जो २४०० रुपये की सीमा रखी है और उसके अनुसार भूमि की सीमा निर्धारित की गई है, जो तरीका अपनाया गया है, वह गलत है। और इसके लिए माननीय सदस्यों की राय है कि यह ४८०० रुपये की सीमा होनी चाहिए, किसी की राय है कि पांच हज़ार की सीमा होनी चाहिए क्योंकि कृषक खेती करके भी आज आधा भूखा और नंगा रह रहा है। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूंगा कि २४०० के सिद्धान्त को लेकर जो सीमा निर्धारित की गई है, और जिस प्रकार उसको वर्क आउट किया है, वह बहुत मुश्किल चीज़ थी। लेकिन कमेटी ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि २४०० रुपये की सीमा रखी जाय। इसमें वह नहीं गिना जायगा जो किसान और उसकी फैमिली श्रम करती है। सब जानते हैं कि खेती करने के लिए सबसे बड़ा काम, जो ज्यादा कीमती है, वह किसान का परिश्रम है। उस परिश्रम को रुपयों में नहीं गिना जाता है, तो किसान को लाभ होता है। इसे दूसरे रूप में देखें तो वह देखना होगा कि जो सीमा निर्धारित की गई है। वह एक ज़िले में ४० एकड़ रखी गई है और दूसरे में हम देखते हैं कि २५० एकड़ रखी गई है। अगर हम २४०० रुपये सीमा मानते हैं तो ४० एकड़ से २५० एकड़ तक की ज़मीन की सीमा हम देखते हैं। जैसी कि कई माननीय सदस्यों की राय है कि २४०० की जगह हम ५ हज़ार मान लें तो इसका परिणाम क्या होगा? इससे भूमि की सीमा बढ़ जायगी, जहां ४० एकड़ माना है, वहां ८० एकड़ हो जायगी, और जहां २५० एकड़ माना है, वह ५०० एकड़ हो जायगी। क्या सीलिंग ८० एकड़ से लेकर ५०० एकड़ तक हो। माननीय सभापति, मेरे ख्याल से इस सिद्धान्त को मान लेते हैं, और सीलिंग की सीमा निर्धारित करेंगे। तो फिर ऐसे कानून को पास करने की क्या आवश्यकता है?

(श्री सोहनलाल भटनागर और श्रीमती सुमित्रा के परस्पर वार्तालाप पर)

श्री सभापति : No cross talking please.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापतिजी, अगर हम इस सिद्धान्त को मान लेते हैं तो जो एवरेज़ हमने निर्धा-

(श्री सोहनलाल भटनागर)

रित किया है वह डबल हो जायगा, वह काफी अधिक हो जायगा ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने एपेन्डिक्स एम में दिया है, उससे साफ़ है कि २६, ०६५ आदमी ऐसे हैं जिनके पास ५५,८०,६२८ एकड़ भूमि है और १७,८४,८५५ आदमी ऐसे हैं जिनके पास ६३, ५१, ४८१ एकड़ भूमि है । इस तरह से हम देखते हैं कि १० एकड़ से नीचे जिनके पास भूमि है, उनकी संख्या १७, ८४, ८५५ है । हमारे यहां सिद्धान्त इस बात का रखा गया है कि हमारे यहां पर काफ़ी किसानों के पास डेढ़ एकड़ भूमि मौजूद है और जो भूमिहीनों की संख्या है, वह कम है । माननीय सभापति, मैं कहना चाहता हूँ कि भूमिहीनों की समस्या पर विचार ठीक तरह से नहीं किया गया है । लैंड लैस की संख्या हमारे यहां अधिक हो सकती है कि लेकिन जिनके पास अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स हैं, उनकी कई लाखों की संख्या है, क्या आप चाहते हैं कि किसी के पास एक एकड़, दो एकड़ ज़मीन है, उसको भूमिहीन न मानें और भमिहीन उनको ही मानें जिनके पास बिल्कुल भूमि नही है । इस दृष्टिकोण से, अधिक न्याय के दृष्टिकोण से विधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल से जिस सिद्धान्त को प्लानिंग कमीशन ने माना है, हम उससे पीछे नहीं जा सकते । माननीय सभापति जी,कांग्रेस की तरफ़ भी बैठने वालों ने, सदस्यों ने राय ज़ाहिर की है; वे स्वतंत्र है राय ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन एक बात निश्चित है कि कांग्रेस रहेगी और सीलिंग का कानून पास होगा । कांग्रेस का मूलभूत सिद्धान्त है और उसको हमें आगे चलाना ही चाहिए । कांग्रेस शासन रहे या न रहे, लेकिन मेरी मान्यता है कि यह कानून जरूर पास होकर रहेगा ।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं एग्जेम्शन लिस्ट के बारे में । इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बहुत गोलमाल सिद्धान्त कमेटी ने रखा है । प्लानिंग कमीशन ने बताया है कि जो मेकेनाइज्ड फ़ॉर्म्स हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं । इस सिद्धान्त से मैं सहमत नहीं हूं । मेकेनाइज्ड़ फ़ॉर्म्स के जो मालिक हैं, जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ये ट्रेक्टर रखते हैं, ट्रेक्टर से ही फसल बोई जाती है और काटी भी जाती है । यह सब कुछ होते हुए भी मैं निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मेकेनाइज्ड फ़ॉर्म्स फेल ही हुए हैं, अभी तक उनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है । इन फ़ॉर्म्स में भी भूमिहीन मज़दूरों के द्वारा खेती की जाती है, अगर मेकेनाइज्ड़ फ़ॉर्म्स को बचाने के लिए एग्जेम्शन लिस्ट में रख देंगे, तो मरा निश्चित मत है कि आप जो कुछ करना चाहता हूँ, सीलिंग से, जो आप भूमिहीनों को, गरीबों को ज़मीन बांटना चाहते है, वह नहीं कर सकेंगे । और इससे बचने के लिए कई मेकेनाइज्ड फ़ॉर्म्स खड़े हो जायेंगे और तब निर्णय करना मुश्किल हो जायगा । इसलिए मेकेनाइज्ड फ़ॉर्म हो या और कुछ हमें भूमि की सीमा एक सी रखनी है और यह मान कर चलना चाहिए ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से किसी माननीय सदस्यों ने नहीं बताया वह यह कहा है कि जहां तक

Page No.78

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हर्जाने का प्रश्न है, उसके लिए जैसा बताया गया है टिनेन्सी एक्ट की धारा १८० में, उसके अन्दर कम्पेन्सेशन मुकर्रर करने की जो पद्धति है, वह मानी जायगी। वह सिद्धान्त मान लिया गया तो मेरा निवेदन है कि मैंने देखा है कि इस सिद्धान्त को माना है वह बहुत खतरनाक था क्योंकि आज जो भूमि की कीमत है, उसकी कीमत डेढ़ गुनी मुकर्रर कर दी गई है। जो सीलिंग रिपोर्ट पेश की गई है, उसका उद्देश्य है कि जो गरीब हैं, भूमि-हीन हैं, उनको धीरे धीरे आज भूमि मिल जाय। लेकिन जब हम चाहते हैं कि आज भूमि की जो कीमतें हैं, उनसे दुगुनी बड़ी कीमतें देकर जिनके पास अधिक भूमि है उनसे लें और भूमिहीनों से वह रकम वसूल की जाय, तो मेरे ख्याल से यह बहुत खतरनाक सिद्धान्त होगा। गरीबों के पास देने को पैसा नहीं है, अगर पैसा ही उनके पास होता तो वे कभी के खुले बाज़ार से भूमि खरीद सकते थे। इस लिये सरकार बीच में आ रही है और भूमिहीनों को भूमि बांट रही है। यदि आप भूमि की समस्या को मिटाना चाहते है गरीबों को भूमि देना चाहते हैं तो टिनेन्सी एक्ट में दफा....(१८०) के माफिक देने के सिद्धान्त को खत्म करें और ५.० गुनी भी रेट रख दें पर मल्टीपल ऑफ rent का सिद्धान्त है उसको मानें और हर्जाना दें। वह तरीका सीधा होगा और इससे किसानों पर भी भार नहीं पड़ेगा।

तीसरी बात जो और कही गई कि इन्होंने चाही और बारानी ज़मीन को एक समान माना, नहरी ज़मीन को अलग माना है, चाही ज़मीन के बारे में कहा है भविष्य के बारे में चाही बारानी को एक माना है और बाकी को सरकार पर छोड़ देवें। चाही ज़मीन के लिये ज्यादा सिक्योरिटी है। कुए हैं पानी देते हैं, वहां उसके लिये सिक्योरिटी है, जब चाहें पानी ले सकते हैं, पर नहर के लिये सरकार और सरकारी कर्मचारियों की ओर देखना पड़ता है। कीमतों में इनके फ़र्क नहीं होता, अगर नहरी ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं। तो चाही ज़मीनों की भी कीमतें बढ़ी हैं, इस लिये दोनों को एक नहीं मानना ठीक नहीं होगा।

तो मुख्य मुख्य मुद्दों के बारे में मैंने कहा, यह रिपोर्ट सदन के सामने है, इसके बारे में कानून आयेगा, उस कानून को जल्दी से जल्दी लाया जाय और हस्तान्तरण को रोकने के लिये जो बिल हमारे सामने था उसको जल्दी से जल्दी पास कराया जाय। इस कानून को जल्दी से जल्दी लाया जाय।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, सीलिंग की रिपोर्ट सदन में पेश हुई, उस पर दो दिन से विचार हो रहा है। कल से मैं माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा हूँ और उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर माननीय सदस्य इस सीलिंग के खिलाफ़ में हैं। सभापति महोदय, जहां तक मैं सीलिंग की रिपोर्ट के कुछ अंशों, जिनमें काफी खामियां हैं, उससे पहले मैं कह देना चाहता हूं कि सीलिंग के सिद्धान्त को मैं बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करता हूं।

(श्री गिरधारीलाल)

आज हमारे देश में सबसे बड़ा काम एक चीज़ का है, आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे यहां अन्न की कमी है, लाखों मन अनाज़ हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और करोड़ों रुपया हमें उसके बदले में देना पड़ता है। यदि अनाज़ की यहां ज्यादा पैदावार हो, तो जो करोड़ों रुपया अनाज के बदले विदेशों में जाता है, वह हमारे यहीं रह कर निर्माण सम्बन्धी कार्यों में लग सकता है। चाहे राजस्थान सरकार माने या न माने पर वास्तव में राजस्थान में खाद्यान्नों की कमी है, अजीतप्रसाद जैन ने कहा था कि एक लाख टन अनाज राजस्थान गवर्नमेंट को दिया है जब कि राजस्थान गवर्नमेंट उधर कहती है कि हम अनाज़ का एक्सपोर्ट करते हैं, पर यह तो सही बात है, मुख्य मंत्री महोदय बार बार ऐसी बातें किया करते हैं, अब हम किसको सही मानें। इसमें कोई दो राय नहीं कि अनाज़ की हमारे यहां कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिये सीलिंग एक उपाय है।

दूसरा कारण सीलिंग के सिद्धान्त को मानने का यह है कि आज हम देश में एक सिद्धान्त को मान चुके हैं, समाजवादी सिद्धांत को मानने के बाद भूमि वितरण की असमानता है उसको खत्म करना पड़ेगा। आज दिन एक आदमी के पास एक हज़ार बीघा ज़मीन है और दूसरा भूमिहीन है, भूमिहीनों को वह व्यक्ति भूमि जोतने को देता है। तो भूमिहीन उस भूमि पर अच्छी तरह से काश्त नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि वह ज़मीन उसकी नहीं है, इससे अनाज़ की प्रोडक्शन घटती जाती है। पर आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, वे इस तरह की बातें करते हैं और सीलिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय को ले कर उनमें मतभेद है। आज भूतपूर्व ज़ागीरदार और सेठ साहूकार, पूंजीपति तक कांग्रेस में हैं, वे साज़िश करना चाहते हैं गरीबों को दबाने के लिये और दलीलें देते हैं कि किसानों के लिये २४०० की सीमा निर्धारित की है वह कम है, इस पर सीलिंग नहीं लगाना चाहिये। जब कि शहरों में लोग इतना कमाते हैं और उन पर कोई सीलिंग नहीं है। मैं मानता हूं कि शहरों के ऊपर भी लगाना चाहिये पर यह दलील कि शहरों में नहीं लगता तो किसानों पर भी नहीं लगाना चाहिये यह कोई दलील नहीं। दो जगह न्याय करना है, और उनमें से एक जगह न्याय नहीं हुआ है। तो इसके माने यह नहीं हम यह नहीं कह सकते कि दूसरी जगह भी न्याय नहीं किया जाय।

समाजवाद की तरफ़ यह पहला कदम है, सरकार को इसके लिये हमें श्रेय देना चाहिये। जैसे सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के आने में ५ साल लगे हैं उसी तरह कानून बनाने में ५ साल नहीं लगने चाहिये, जल्दी से जल्दी कानून पास कर के सदियों से जो भूमिहीन गुलाम रहे हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिये जल्दी से जल्दी कानून इस सदन में लायें और पास करें।

भूमिहीन किसानों में ज्यादा वे हैं जिनके सहारे कांग्रेस हुकूमत टिकी हुई है, वे हैं हरिजन। हरिजनों को पुराने राजाओं महाराजाओं के ज़माने में भी ज़मीनें नहीं दी गई। वे भूमिहीन हैं उन्हें फायदा पहुंचाना है तो सीलिंग लागू करके भूमिहीनों को ज़मीनें देनी चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल)

तीसरी बात यह है सभापति महोदय, कि हम आज दिन एक चीज़ को लेकर चलते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे ?

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : आधा घंटा और लूंगा ।

श्री सभापति : तो फिर अब टाइम हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२-२८ बजे दिनांक २६ अप्रैल, १९५९ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार २५ अप्रेल, १९५८)

	स्तम्भ		स्तम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	८६३३	महाराजा मिडिल स्कूल, किशनगढ़	
प्रशासनिक सेवाओं के लिये आवश्यक साक्षात्कार के प्रतिबन्ध का उठाया जाना।		लालसोट के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ठीक समय पर वेतन का न मिलना।	
सुपरवाईज़र, ज़ू जोधपुर।		बिजली घर, बीकानेर।	
न्यायालय एक्सट्रा मजिस्ट्रेट, कोटा		मंडरायल-मांगरोल सड़क।	
ए. सी. सी. कम्पनी, लाखेरी द्वारा मेज नदी पर बनाया गया बांध।		डिप्टी सुपरिण्टेन्डेन्ट्स को पदच्युत	
गजेटेड अधिकारियों की नियुक्तियां		गंग कैनाल।	
सड़क निर्माण, भरतपुर।		सड़क निर्माण, जिला भीलवाड़ा	
कपड़ा मिल्स, भीलवाड़ा।		पारोली बीड़।	
भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के दौसा-लालसोट मार्ग पर स्थित भवन के लिये विद्युत की उपलब्धि हेतु किया गया व्यय।		विकास खंड।	
कोटा-जयपुर बस-सर्विस।		विकास क्षेत्रों की स्थापना-तहसील पचपदरा।	
विकास कार्य-तहसील कोटपुतली		जवाई बांध।	
हैन्डलूम फेक्ट्रीज़।		टोंक में टीन (चद्दरों) का वितरण	
जागीरदार द्वारा सार्वजनिक कुंए से पानी लेने पर लगाया गया प्रतिबंध।		शिक्षण संस्थायें।	
सड़क निर्माण।		धौलपुर नरेश में सरकार की बकाया धन राशि।	
		विकास खंड–शेरगढ़ व फलौदी	
		मोटर गेरेज के ड्राइवरों को गरम वर्दी दिया जाना।	
		सिंचाई योग्य बांध, तहसील बैराठ	
		भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कार्यों के लिए प्रदत्त लाइसेन्स	

अधिकतम सीमा समिति की पर अग्रेतर वाद-विवाद

८६८७

अधिकतम सीमा समिति की रिपोर्ट पर आज भी बहस जारी रही जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री मोतीलाल चौधरी
२. श्री रघुवीरसिंह
३. श्री सज्जनसिंह
४. श्री मुरलीधर व्यास
५. श्री हरिश्चन्द्र
६. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
७. श्री मोहरसिंह
८. श्री सोहनलाल भटनागर
९. श्री गिरधारीलाल

शनिवार, २६ अप्रेल १९५८ की कार्य सूची

'नवयुग' दैनिक पत्र एवं मेजर फतहसिंह के सम्बन्धित विशेषाधिकार प्रश्न पर वाद-विवाद

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६२५ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE HANDLOOM FACTORIES IN RAJASTHAN.

S.No.	Name of the factory	Location	Production during the last five years.	Remark.
1.	Bankeywala Factory	Jaipur	420000 Yds	
2.	Mal Hotra Handloom Factory.	,,	340000 ,,	
3-	Veer ,,	,,	31200 ,,	
4.	Azad ,,	Ajmer	150000 ,,	
5.	Jai Bharat ,,	,,	108000 ,,	
6,	Prakash ,,	,,	162000 ,,	
7.	Madras ,, ,, Formarly working as Rani Ram & Co.	,,	85000 ,,	
8.	Kumar Handloom Factory	,,	18000 ,,	
9.	Laxmi ,, ,,	,,	150000 ,,	
10.	Ghuriomall ,, ,,	,,	30000 ,,	
11.	Ganesh ,, ,,	,,	45000 ,,	
12.	Chhabra ,, ,,	Kishangarh	136000 ,,	
13.	Choudhery ,, ,,	,,	75000 ,,	
14,	Kailash ,, ,,	,,	30000 ,,	
15,	Bahiti Hath Kargha Vastra Utpadak	,,		Working for last four months.
16.	Mool Chand Kishan Lal Handloom factoroy	Beawar	6000 ,,	
17.	Mohanlal Madavi Handloom factory.	Pachpadra.	5000 ,,	
18.	Bhura Hindu ,, ,,	Balotra	20000 ,,	

1	2	3	4	5
19.	Swastic ,, ,,	Sardar shar.	72400 ,,	
20.	M/s Lal Chand Nemi chand	Lunl Reodar	75000 ,,	
21.	Manji Lal	Posaliya	60000 ,,	
22.	Veer Chandhi factory	Paldi	90000 ,,	
23.	Maha Laxmi factory	Abu road	70000 ,,	
24.	Shri Bhikam Chand Ghamandi Chand	Jodhpur	Cloth worth Rs.	77672/12/-
25.	Prakash Hath Kargha Udyog	,,	,, ,,	24140/-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING DISCHARGE OF GANG CANAL FEROZEPORE.

Dates	January.	February	March.	
1.	2720		2720	
2.	—	—	2720	2-7/1/58. Canal was closed due to breach in the canal
3.	—	—	2720	
4.	—	—	2720	
5.	—	—	2720	near Ferozepore
6.	—	500	1000	(Punjab Territory)
7.	—	1602	1000	
8.	1000	2500	1000	2. 26.1.58. to 5.2.58
9.	1500	2720	1000	Annual closure of Canal.
10.	2000	2720	1000	
11.	2500	2720	1000	3. Supply was reduced on
12.	2700	2720	1000	6.3.58 according to our
13.	2650	2720	1000	share.
14.	2650	2720	1000	
15.	2650	2720	1000	
16.	2650	2720	1000	
17.	2650	2720	1000	
18.	2650	2720	1000	
19.	2650	2720	1000	
20.	2650	2720	1000	

परिशिष्ट

१	2	3	4
21.	2650	2720	1500
22.	2720	2720	1500
23.	2720	2720	1500
24.	2720	2720	1500
25.	2720	2720	1500
26.	—	2720	1500
27.	—	2720	1500
28.	—	2720	1000
29-	—		1000
30.	—		1000
31	—		1000

Executive Engineer,
Gang Canal Divn.,
Sri Ganganagar.

Page No.87

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ का उत्तर देखिये)

द्वितीय पंचवर्षिय योजना के अन्तर्गत अब तक खोले गये विकास खण्डों की सूची

अप्रेल सन् १९५६

क्रम संख्या	विकास खंड का नाम
१	लाडनू
२	सरदार शहर
३	खामनौर
४	कपासिन
५	बासपुर
६	उदयपुर वाटी
७	तीजारा
८	टोंक
९	सांचोर
१०	बान्दीकुई
११	श्रीनगर

अक्टूबर सन् १९५६

१	लछमनगढ़
२	ओसिया
३	शिव
४	खारची
५	हिन्डौली
६	खानपुर
७	बागीडोरा

Page No.88

८	राजाखेड़ा
९	हनुमानगढ़
१०	मान्डल
११	दरियावद
१२	किशनगढ़
१३	गंगापुर
१४	आबू
१५	कुशलगढ़

अप्रैल, मई १९५७

१	चित्तौड़
२	शाहपुरा
३	कुचामन
४	मन्डावर
५	नदबई
६	सुरतगढ़
७	उदयपुर (वडगांव)
८	फागी
९	सूरजगढ़
१०	सोजत
११	मीनाय

अक्टूबर सन १९५७

१	रेलमगरा
२	अटरू
३	डूगंरपुर (बिचीवाड़ा)
४	भोपालगढ़

५ नवलगढ़

६ गाशमी

७ शाहजपुर

८ मकराना

९ कोटकासिम

१० पदमपुर

११ इंटावा

१२ बाटोल

१३ रूपवास

१४ दांतारामगढ़

१५ टोडारायसिंह

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १६१६ का उत्तर)

नकशा मौ० भोजपुर उर्फ लाखा वाला बाध छीतोली बाबत चारान हु० बंध चाहात के जात का रकबा।

नाम नम्बर शुमार	मालिक मय वल्दियत कौरीगत	नं० खसरा	रकबा	किस्म ज़मीन	लगान शरह फी बीघा	लगान
१	२	३	४	५	६	७
१	माफी नारायणीया	२५६	॥)	बंजर १	≡)|||	=)
	पुत्र डालूनाथ ह: प्रभूनाथ पुत्र नाराणनाथ	२५८	३॥३	बंजर १	≡)॥	|||≡
	कौम जोगी स्वा० बैराठ	१६०	७।२	बारानी १	॥=)	४।≡)
		३	११।)			५।≡
२	छोटया भूरिया मिभूदा कौम गूजर एक देह	१७५	३८॥)	बारानी १	|||≡)	—
३	छोटया भूरा मिभूदा छोटा पुत्र सरदामादि नाराण पुत्र के केदारा हेमूला पुत्र सेडूराम समि पुत्र भूरा परभात पुत्र विसना कौम गूजर स० देह	२२४	२	गैर मू० चाट		
	१ भूला पुत्र सेडा	१	३|||)३	बारानी २	||=)	२।≡)
	नारायण पुत्र केदारा गूजर रल देह	२२६	३)३	बारानी २		१|||=)॥
२	छोटा पुत्र भूरा मि० भूमा	२२५	१॥)२	बारानी २		१)

१	२	३	४	५	६	७
	गूजर ३ रामसाय रामकर्णसिं भूराह गूजर	२२७	२॥)१	बारानी २		१।॥)
४	परभात पुत्र चिमना कौम	२२१	३)३	बारानी २		।=)॥
	गूजर म० देह	२२२	॥।)	बारानी २		।≡)॥
	अशहर सदर	२२३	१॥)	बारानी २		॥≡)
		८	१८॥४			८॥।≡)॥
४	पीथम व हेम वि० भोज व माग पुत्र लादू हि० ½ साह पुत्र बलदेव व गोकल पुत्र सरदारा व बिहारीलाल पुत्र रामलाल ½ छोटा भूरा वि० भूरा गंगला पुत्र हुकमा छोटया पुत्र सरदारा हि० ⅓ पर भातिया पुत्र चिमना रामसाय पुत्र भूदा हि० ⅓ गुथा पुत्र खीदा ⅓ ४½	२३८	३	गैरम चाह		
५	सादा पुत्र बलदेव गूजर २	२५२	२।१	चाही १	७≡)	७॥≡)
	गोकुल पुत्र सरदामा कौम	२५३	१।२	बारानी ए०	२।=)।	२।३
	गूजर	२५७	॥२	चाही १	७≡)	४।—)
		२७२	॥३	चाही १	॥	४॥=)।।
३	पीथा हेला वि०	२५४	१॥)	बारानी ए०	२।—।	
	मोथा व मागालाल पुत्र	२६०	॥)	चाही १		४।—
	लादू गूजर	२६२	२)	चाही १		
		२७४	।३	चाही १	१७≡)	१४।≡)

१	२	३	४	५	६	७
	छोटा भूरा वि	२५५	।)२	चाही १		२।।)।
	भूरा हि० ½ छोटा पुत्र सरदारा	२५६	।)	चाही १		१।।।)
	गंगला पुत्र हुक्मा हि० ½	२५७	।।२	चाही १		४।।=)
	रामसहाय रामकर्ण वि०	२६३	।।।	चाही १		५।।।)
	भूरा हि० ½ परमाता पुत्र	२६४	।।।४			बाराना
	बिसना ½ नूथा पुत्र मीरा ½	२३५	।।।२	चाही १		४।।
	कौम गुरख्ल देह	२६६	।।२	चाही		
		२६७	।।२		ए०	१
		२६८	।।१		१।-)	।।≥)।।
		२६९	१।)		१।)	१।।।)
		२७७	१।१			१।।।)।।
		२७१	।।।)१			१-।।
		२६६	।।।)१			१-।।
		३८९				
५	बिहारीलाल पुत्र रामलाल	२५३	।।।२	चाही	७	६-।।।
	कौम गुजर गा० देह	३९२				
		१४	१।।।२			
		२३	१९।२			७८।।=
	मीजान कुल	३५	८७।।।)२			८६।-।

जमीन जो गकी में आती है

नाम ग्राम	रकबा	किस्म जमीन	शरह	लगान
भोजपुर ऊर्फ	१०॥)३	चाही १	७≡	७६॥)॥।
लालावाला	८।)२	बारानी ए०	१।=॥	११॥≡॥
	३८॥	बारानी १	।॥≡)	३६)॥
	२५।॥)४	बारानी १	॥=)	१६।)॥
	४)३	बंजड़ १	≡)।॥	१)
				१४१॥=

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३५ का उत्तर लिखिये)

तालिका प्रश्न संख्या ४०६ । सी० एम० के उत्तर के साथ संलग्न

क्रम संख्या	नाम उद्योग	उत्पादन क्षमता
१.	मेसर्स कुमार एन्ड को० मार्फत मेसर्स कुमार टेक्सटाइल मिल्स ब्यावर (अजमेर)	१२०० तक (स्पीन्डल्स) काटन वेस्ट मार्च
२.	मेसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ।	प्रतिदिन ४०० टन की उत्पादन क्षमता ।
३.	मेसर्स नेशनल बियरिंग कम्पनी–वर्कशाप, भरतपुर ।	रेल के डिब्बे २००० प्रतिवर्ष स्ट्रकचरल्स १२०० ,,
४,	मेसर्स गोपाल इन्डस्ट्रीज़ कोटा जंक्शन (राजस्थान)	४४०४ काटन यार्न स्पीन्डल्स
५.	मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड कानपुर ।	१५०० काटन यार्न स्पीन्डल्स
६.	मेसर्स भूपाल माइनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा ।	माइका इन्सूलेटिंग ब्रिक्स आदि उत्पादन
७.	मेसर्स गंगानगर शुगर मिल्स ।	६०० से ८०० टन शक्कर प्रतिदिन उत्पादन वृद्धि ।
८.	इस्पात मिल्स भरतपुर ।	स्टील जिंक पाइप ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २५ अप्रैल, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८६५२	अन्तिम से ४	नहीं	नहीं
८६६०	१४ व २३	सैक्शन	सैन्कशन
८६८४	८	सिजाई	सिंचाई
,,	१३	करी	करीब
८६९२	५	समभू	समझ
८७०३	अन्तिम से ३	इम्कम	इन्कम
८७११	२४	विष्ये	विषय
८७२९	३	स्टेन्डर्ड अफ लिविग	स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग
,,	अन्तिम से ४	कोनोमिक	इकॉनोमिक
८७३०	१९ व २०	ओर	और
८७३१	१९	माहवर	महावार
८७३३	११	लिथे	लिये
८७३३	अन्तिम	स्टेंडर्ड	स्टेन्डर्ड
८७३७	——	(श्री सज्जलसिंह)	(श्री सज्जनसिंह)
८७४५	८	११. १ म. प.	११. १ म. पू.
८७४६	१५	लगाने को	लगाने का
८७४७	१३-१४	चाहते । के हैं	चाहते हैं
८७५८	६	श्री हरश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
८७६०	२६	miving staldard	living Standard
८७६३	शीर्ष	सीनिंग	सीलिंग
८७६६	अन्तिम से ६	होल्डग्ज़	होल्डिंग्ज़
८७८४	,, ,, २	सिद्धाम्त	सिद्धान्त
८७८५	,, ,, ११	भमिहीन	भूमिहीन